



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]
No. 417]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

(आय-कर)

का.आ. 752(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम 2008 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2008 से लागू होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 12 में,-

- उपनियम (1) में “1 अप्रैल, 2007 को या किसी पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्ष” शब्दों और अंकों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2008 को” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
- उपनियम (5) में, “1 अप्रैल, 2006 को” शब्दों और अंकों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2007 को” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप आकवि-1, प्ररूप आकवि-2, प्ररूप आकवि-3, प्ररूप आकवि-4, प्ररूप आकवि-5, प्ररूप आकवि-6, प्ररूप आकवि-7 और प्ररूप आकवि-8 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्रारूप

आ.क.वि.-I

भारतीय आयकर विवरणी
[ऐसे व्यष्टियों के लिए जिनकी आय वेतन/पेंशन/परिवारिक पेंशन और ब्याज से है]
[कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]
(संलग्न अनुदेश भी देखिए)

निर्धारण वर्ष

2008-09

व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लेट / द्वार / ब्लाक सं०	परिसर/भवन / गांव का नाम		जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष)
	मार्ग/गली/झाकधर	क्षेत्र/ अवस्थान		नियोजन प्रकार (सही का निशान लगाएं) ☐ सरकारी ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य
	नगर/ शहर/ जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (सही का निशान लगाएं) ☐ पुरुष ☐ स्त्री
ई मेल पता		(एसटीडी कोड)- फोन नंबर ()		
विवरण की प्रस्थिति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)		किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है - / कृपया अनुदेश सं-9(1) देखिए	
	विवरण मूल है या पुनरीक्षित है? (सही का निशान लगाएं) ☐ मूल ☐ पुनरीक्षित			
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि/मास/वर्ष)			
	निवास की प्रस्थिति (सही का निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु गामूली तौर पर निवासी नहीं			
आय और कटौतियां	1 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (वेतन/ पेंशन)			1
	2 'अन्य स्रोतों' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ब्याज)			
	क 'परिवारिक पेंशन'	2क		
	ख ब्याज	2ख		
	ग योग (2क+2ख)	2ग		
	3 सकल कुल आय (1+2ग)			3
	4 अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (धारा)			
	क 80 ग	ड 80घ	झ 80 छ	
	ख 80 गग	घ 80 घघ	ञ 80 छछ	
	ग 80 गगघ	छ 80 ङ	ट 80 छछग	
घ 80 घ	ज 80 छ	ठ 80 घ		
ड कटौतियां (क से ठ का योग)	4 ड			
5 कुल आय (3-4ड)			5	
6 शुद्ध कृषि आय (यदि 5,000 रु. से अधिक है तो भरें)			6	
7 'संकलित आय' (5+6)			7	
कर की संगणना	8 क 'संकलित आय' पर संदेय कर			8 क
	ख शुद्ध कृषि आय की बाबत रिबेट			8 ख
	9 क 'कुल आय' पर संदेय कर (8 क -8 ख)			9 क
	ख 9 क पर अधिभार			9 ख
	ग माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित (9 क +9 ख) पर शिक्षा उपकर			9 ग
	घ संदेय कुल कर, अधिभार और शिक्षा उपकर (9 क +9 ख +9 ग)			9 घ
	10 धारा 89 के अधीन छूट			
	11 धारा 90/91 के अधीन छूट			11
	12 संदेय बकाया कर (9 घ -10-11)			12
	हस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टॉप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)			
13	क धारा 234 क के अधीन संदेय ब्याज	13 क		
	ख धारा 234 ख के अधीन संदेय ब्याज	13 ख		
	ग धारा 234 ग के अधीन संदेय ब्याज	13 ग		
	घ संदेय कुल ब्याज (13 क +13 ख +13 ग)	13 घ		
14 संदेय कुल कर और ब्याज (12+13 घ)			14	
केंद्रीय कार्यालय उपयोग के लिए रसीद सं.			प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर	

संदत कर	15	संदत कर						
	क	अग्रिम कर (मद 23 से)	15 क					
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (मद 21 का स्तंभ 7 + मद 22 का स्तंभ 8)	15 ख					
	ग	स्व निर्धारण कर (मद 23 से)	15 ग					
	घ	कुल संदत कर (15 क + 15 ख + 15 ग)	15 घ					
प्रतिदाय	16	संदेय कर (14-15 घ) (यदि 14 15घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा खाली छोड़ दें)	16					
	17	प्रतिदाय (15 घ - 14) (यदि 15घ 14 से अधिक है तो लिखें और बैंक खाते का नीचे ब्योरा भी दें)	17					
	18	अपना बैंक खाता संख्या लिखें (प्रतिदाय के मामलों में आवश्यक)						
	19	अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ बैंक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाएं)						
	20	यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्योरा दें						
		एमआईसीआर कोड	खाता का प्रकार (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाएं) ☐ बचत ☐ चेसू					
वित्तन से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्योरा [नियोजक द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]	21	वित्तन से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्योरा [नियोजक द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]						
	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या	नियोजक का नाम और पता	वित्तन के अधीन प्रभावी आय	अध्याय 8 के अधीन कटौती	संदेय कर (अभिभार और शिक्षा उपकर सहित)	कटौती किया गया कुल कर	संदेय/प्रतिदेय कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
	22	ब्याज से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्योरा [नियोजक द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16अ के अनुसार]						
	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/ जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) से रकम	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	i							
	ii							
iii								
टिप्पण ► मद 21 के स्तंभ 7 और मद 22 के स्तंभ 7 का योग क्रम सं. 15ख में लिखें ।								

कर संदाय	23	अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर संदाय के ब्योरे				
	क्रम सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिनि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
v						
टिप्पण ► संदत करों की क्रम सं. 15क और 15ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।						

24	अन्य सूचना (वार्षिक सूचना विवरणी के माध्यम से रिपोर्ट किए गए संख्यावार) (कृपया कोड के लिए अनुदेश सं-9(ii) देखिए)							
क्रम	कोड	रकम (रु.)	क्रम	कोड	रकम (रु.)	क्रम	कोड	रकम (रु.)
क	001		घ	004		छ	007	
ख	002		ड	005		ज	008	
ग	003		च	006				

25	कर छूट ब्याज आय (केवल रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए)	25	
----	--	----	--

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-09 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभावी आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं ।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

26	यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार किया गया है तो निम्नानुसार और ब्योरा दें:		
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार हैं तो उसकी रकम (कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा भरा जाए)	27		

प्रारूप

आ.क.वि-2

भारतीय आयकर विवरणी
[ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुंबों के लिए जिनकी आय कारबार या वृत्ति से नहीं है]
[कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]
(संलग्न अनुदेश भी देखिए)

निर्धारण वर्ष

2008-09

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना

प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/गांव का नाम		प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान		जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष) (व्यष्टि की दशा में) / /
नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यष्टि की दशा में) (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ पुरुष ☐ स्त्री
ई मेल पता	(एसटीडी कोड)- फोन नंबर ()		नियोजन प्रवर्ग (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य
निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)		किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है - [कृपया अनुदेश सं.-9(ii) देखिए]	
विवरणी मूल है या पुनर्सेक्षित है? (सही का निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनर्सेक्षित			
यदि पुनर्सेक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्टि करें। (तिथि/मास/वर्ष)			
निवास की प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु भूमिहीन तौर पर निवासी नहीं।			
क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं			
यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
(क)	प्रतिनिधि का नाम		
(ख)	प्रतिनिधि का पता		
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)		

भाग - ख

भाग ख - कुल आय

कुल आय की संगणना

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	2	
	3	पूँजी अभिलाष		
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक (धारा 111 के अधीन) / अनुसूची पूँज का 5	3 क i	
	ii	अल्पकालिक (अन्य) / अनुसूची पूँज का 6	3 क ii	
	iii	कुल अल्पकालिक (3 क i + 3 क ii) (अनुसूची गृह का 4)	3 क iii	
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची पूँज का 3ख) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3 ख		
ग	कुल पूँजी लाभ (3 क iii + 3 ख) यदि 3ग हानि है तो शून्य लिखें)	3 ग		

इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टॉप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए रसीद सं.

तारीख

प्रारंभ करने वाले अधिकारी का नाम और पद
प्रस्ताव

4	अन्य स्रोतों से आय	
क	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से निम्न स्रोत से आय (अनुसूची अक्षों का 3) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 क
ख	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय (अनुसूची अक्षों का 4ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 ख
ग	योग (क + ख) (यदि 4 ग हानि है तो शून्य लिखें)	4 ग
5	योग (1+2+3 ग +4 ग)	5
6	5 के विरुद्ध भुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2vi और 3vi का योग)	6
7	चालू वर्ष की हानियों के भुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)	7
8	7 के विरुद्ध भुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 2vi)	8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 3vii की)	9
10	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का 3)	10
11	कुल आय	11
12	शुद्ध कृषि आय/ वर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)	12
13	'संकलित आय' (11+12)	13
14	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची अग्रणीत हानि की पंक्ति xi का योग)	14

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

संकेत कर	1	कुल आय पर संदेय कर	
	क	सामान्य दरों पर कर	1 क
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का 11)	1 ख
	ग	कुल आय पर संदेय कर (1 क + 1 ख)	1 ग
	2	1ग पर अधिभार	2
	3	(1 ग + 2) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर	3
	4	सकल कर दायित्व (1 ग + 2 + 3)	4
	5	कर छूट	
	क	धारा 89	5 क
	ख	धारा 90	5 ख
	ग	धारा 91	5 ग
	घ	योग (5 क + 5 ख)	5 घ
	6	सकल कर दायित्व (4 - 5 घ)	6
	7	संदेय ब्याज	
	क	विवरण देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234 क)	7 क
ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7 ख	
ग	अग्रिम कर के आन्वयन के लिए (धारा 234 ग)	7 ग	
घ	कुल संदेय ब्याज (7 क + 7 ख + 7 ग)	7 घ	
8	संकलित दायित्व (6 + 7 घ)	8	
9	संवत्स कर		
क	अग्रिम कर (अनुसूची आयकर से)	9 क	
ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 8 का)	9 ख	
ग	स्व निर्धारण कर (अनुसूची आयकर से)	9 ग	
घ	संवत्स कुल कर (9 क + 9 ख + 9 ग)	9 घ	
10	संदेय कर (यदि 8 घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)	10	
11	प्रतिदाय (यदि 9 घ 8 से अधिक है तो लिखें और बैंक खाते का नीचे ब्योरा भी दें)	11	
12	अपना बैंक खाता संख्या लिखें (प्रतिदाय के मामले में आज्ञापक)		
13	अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ बैंक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाएं)		
14	यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्योरा दें		
एमआईसीआर कोड		खाता का प्रकार (जो लागू हो वहां सही का निशान लगाएं)	☐ बचत ☐ चालू

सत्यापन

मैं..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री....., सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें वर्णित कुल भाग की रकम और अन्य विशिष्टिगत मूल्य-कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-2009 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभावी आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार है।

यह हस्ताक्षर करें→

तारीख

स्थान

15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:			
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम			16

वेतन से प्राप्त आय का ब्यौरा			
नियोजक का नाम		नियोजक का स्थायी खाता संख्या (पैन)	
नियोजक का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
1 वेतन (सभी भत्तों, परिलब्धियों और वेतन की जगह लाभ को छोड़कर)	1		
2 धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते	2		
3 छूट न प्राप्त भत्ते	3		
4 परिलब्धियों का मूल्य	4		
5 वेतन की जगह लाभ	5		
6 वेतन शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (1+3+4+5)	6		

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेश देखें)				
गृह संपत्ति	1 संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	(सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ किराएदार का नाम		किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (वैकल्पिक)	
	क वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)		1 क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1 ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1 ग		
	घ योग (1 ख + 1 ग)	1 घ		
	ङ अतिशेष (1 क - 1 घ)	1 ङ		
	च 1 ङ का 30%	1 च		
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1 छ		
	ज योग (1 च + 1 छ)	1 ज		
	झ गृह संपत्ति 1 से आय (1 ङ - 1 ज)	1 झ		
	2 संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
	(सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ किराएदार का नाम		किराएदार का स्थायी खाता संख्या पैन	
	क वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)		2 क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2 ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग			
घ योग (2 ख + 2 ग)	2 घ			
ङ अतिशेष (2 क - 2 घ)	2 ङ			
च 2 ङ का 30%	2 च			
छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2 छ			
ज योग (2 च + 2 छ)	2 ज			
झ गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ - 2 ज)	2 झ			
3 "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय				
क धारा 25 क/ क के अधीन वसूल किया गया पूर्व वर्ष का किराया	3 क			

ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25 ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया	3 ख
ग	योग (3 क + 3 ख + 1 झ + 2 ङ)	3 ग
टिप्पण— कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें		

अनुसूची 1 में अन्य आय पुंजी अभिलाष

पुंजी अभिलाष

क	अल्पकालिक पुंजी अभिलाष				
1	ऐसे अनिवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1			
2	अन्य आस्तियों से				
	क प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क			
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i अर्जन की लागत	ख i			
	ii सुधार की लागत	ख ii			
	iii अंतरण पर व्यय	ख iii			
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv			
	ग अतिशेष (3 क - ख iv)	2 ग			
	घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि (कैपिटल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2 घ			
	ङ धारा 54 ख/54 घ/के अधीन छूट	2 ङ			
	च अल्पकालिक पुंजी अभिलाष (2 ग - 2 घ - 2 ङ)	2 च			
3	धारा 54 ख/54 घ/54 ङ/54 छ के अधीन अल्पकालिक पुंजी अभिलाष समझे जाने वाली रकम	3			
4	कुल अल्पकालिक पुंजी अभिलाष (1 + 2 च + 3)	4			
5	4 में सम्मिलित धारा 111 क के अधीन अल्पकालिक पुंजी अभिलाष	क5			
6	धारा 111 क में निर्दिष्ट से निम्न अल्पकालिक पुंजी अभिलाष (क4 - क5)	क6			
ख	दीर्घकालिक पुंजी अभिलाष				
1	ऐसे अनिवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1			
2	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) का परंतुक लागू नहीं होता है				
	क प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क			
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात् अर्जन की लागत	ख i			
	ii सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात् सुधार की लागत	ख ii			
	iii अंतरण पर व्यय	ख iii			
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग			
	घ धारा 54ख/54 घ/54 ङ/54 छ/54 छ के अधीन कटौती	2 घ			
	ङ शुद्ध अतिशेष (2 ग - 2 घ)	2 ङ			
3	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) का परंतुक लागू होता है				
	क प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क			
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i सूचीबद्ध किए बिना अर्जन की लागत	ख i			
	ii सूचीबद्ध किए बिना सुधार की लागत	ख ii			
	iii अंतरण पर व्यय	ख iii			
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग अतिशेष (4 क - ख iv)	3 ग			
	घ धारा 54ख/54 घ/54 ङ/54 छ के अधीन कटौती	3 घ			
	ङ शुद्ध अतिशेष	3 ङ			
4	धारा 50 ख/54 घ/54 ङ/54 छ/54 छ के अधीन दीर्घकालिक पुंजी अभिलाष समझे जाने वाली रकम	4			
5	दीर्घकालिक पुंजी अभिलाष का योग 1 + 2 ङ यदि हानि हो तो 2 ङ को शून्य लिखें + 3 ङ (यदि हानि हो तो 3 ङ को शून्य लिखें) + 4	ख 5			
ग	"पुंजी अभिलाष" शीर्ष के अधीन प्रत्येक आय (क 4 + ख 5) लिखें यदि हानि हो तो ख 5 को शून्य लिखें)	ग			
घ	पुंजी अभिलाष का प्रोद्योगन/प्राप्ति के बारे में जानकारी				
	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 तक (ii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक				
2	अल्पकालिक				

टिप्पण— कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची 2 अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1 आय	
क	लाभांश, सकल	1 क
ख	व्याज, सकल	1 ख
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1 ग

घ	अन्य, सकल (दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय को छोड़कर 1) 1 घ	
ङ	योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ)	1 ङ
च	धारा 57 के अधीन कटीतियाँ:-	
i	खय	च i
ii	अवकायण	च ii
iii	योग	च iii
छ	अतिशेष (1 ङ - च iii)	1 छ
2	लाटरियों, पहलियों, घुड़दौड़ आदि जीतना	2
3	अन्य स्रोतों से आय (दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1 छ + 2) (यदि हानि हो तो 1 छ को शून्य लिखें)	3
4	दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय	
क	प्राप्तियाँ	4 क
ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटीतियाँ	4 ख
ग	अतिशेष (4 क - 4 ख)	4 ग
5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रचार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि हो तो 4 ग को शून्य लिखें और 4 ग की हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में ले जाएँ 1)	5

टिप्पणी कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

आय का शीर्ष/स्रोत		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा		चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का मुजरा		मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
क्रम सं.		चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा	कुल हानि (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ग)	कुल हानि (अनुसूची-अन्य स्रोत का 3)	
		1	कुल हानि (अनुसूची का 3ग-गृह)	2	कुल हानि (अनुसूची का 3-ओएस)	4=1-2-3
चालू वर्ष की हानि का समायोजन	समायोजन की जाने वाली हानि 1					
	i वेतन					
	ii गृह संपत्ति					
	iii अल्पकालिक पूँजी अभिलाष					
	iv दीर्घकालिक पूँजी अभिलाष					
	v अन्य स्रोत (दीड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ)					
	vi कुल हानि मुजरा					
	vii 2 और 3 का मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

आय का शीर्ष/स्रोत		पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा		मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
क्रम सं.		अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात् आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	
		1	2	3
अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	i वेतन			
	ii गृह संपत्ति			
	iii अल्पकालिक पूँजी अभिलाष			
	iv दीर्घकालिक पूँजी अभिलाष			
	v अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दीड़ के घोड़े रखने से लाभ भी है)			
	vi अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा			
	vii मुजरे के पश्चात् शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3)			

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

हानियों का अनुमयन	निर्धारण वर्ष	फाइल करने का तारीख (दिनांक/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अस्थकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (बीड के घोटों से हानि से विन्म)	अन्य स्रोत हानि (बीड के घोटों के स्वामित्व से)
i	2000-01						
ii	2001-02						
iii	2002-03						
iv	2003-04						
v	2004-05						
vi	2005-06						
vii	2006-07						
viii	2007-08						
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग						
x	अनुसूची अन्तर्गत हानि समायोजन में उपरोक्त हानियों का समायोजन						
xi	2008-09 (साल वर्ष की हानियाँ)						
xii	आगामी वर्ष के लिए अन्तर्गत कुल हानि						

अनुसूची VI-क अध्याय VI-क (धारा) के अधीन कटौतियाँ

कुल कटौतियाँ	क 80 ग	ख 80 ग ग ग	ग 80 ग ग घ	घ 80 घ	ङ 80 घ घ	च 80 घ घ ख	छ 80 ङ	ज 80 छ	झ 80 छ छ	ञ 80 छ छ क	ट 80 छ छ ग	ठ 80 ददख	ड 80 त	ड 80 त
क कुल कटौतियाँ (क से ङ का योग)														

अनुसूची विनिर्दिष्ट निधिरिती की आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) की आय (1,500 रु) प्रति बासक व्यक्तियों की आय के पश्चात् अव्यस्क बालक की आय सम्मिलित की जानी है।

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संबंध	आय की प्रकृति	रकम (रु.)
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष आय विशेष दरों पर आयकर से प्रभावी आय। कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए।

क्रम सं.	सेक्सन कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्रम सं.	सेक्सन कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1					6				
2					7				
3					8				
4					9				
5					10				
11								योग (11 से 10 ii)	

अनुसूची छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का व्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

क्रम सं.	व्याज से आय	1
2	लाभाना से आय	2
3	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष जिसपर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संचाय किया जाता है	3
4	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय	4
5	अन्य जिसमें अव्यस्क बालकों की आय को छूट सम्मिलित है	5
6	योग (1+2+3+4+5)	6

अनुसूची-चारोंक संलग्न विवरणी		अन्य सूचना (वार्षिक सूचना विवरणी के माध्यम से रिपोर्ट किए गए संव्यवहार) कृपया कोड के लिए अनुदेश सं-9 (ii) देखिए।					
क्रम सं.	संव्यवहार का कोड	☒	रकम (रु.)	Sl	संव्यवहार का कोड	☒	रकम (रु.)
1	001	☐		5	005	☐	
2	002	☐		6	006	☐	
3	003	☐		7	007	☐	
4	004	☐		8	008	☐	

अनुसूची-आयकर		आयकर का अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे			
क्रम सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निकष की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
कर संदाय	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	v				
टिप्पण ▶		भाग ख - टीपीआई की क्रम सं. 9क और 9ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें			

अनुसूची-कटौती		वेतन से खोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार।					
क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभाय आय	अध्याय VI-क के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसके अंतर्गत अधिभार और शिक्षा उपकर भी हैं)	कटौती किया गया कुल कर	संदेय/प्रतिदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

अनुसूची-कटौती		अन्य आय से खोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार।					
क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) से रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
i							
ii							

प्रारूप

आ.क.वि-3

भारतीय आयकर विवरणी

[ऐसे व्यक्ति/ हिन्दू अभिभक्त कुटुंबों के लिए जो फर्मों में भागीदार हैं और किसी भागीदारी के अधीन कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहे हैं]
[कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]
(सलग्न अनुदेश भी देखिए)

निर्धारण वर्ष

2008-09

भाग के साधारण

व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लैट/ द्वार/ ब्लाक सं०	परिसर/भवन/गांव का नाम	प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अभिभक्त कुटुंब	
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/ अवस्थान	जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष) (व्यक्ति की दशा में) / /	
	नगर/ शहर/ जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की दशा में) (सही का निशान लगाएं) ☐ पुरुष ☐ स्त्री
	ई मेल पता	(एसटीडी कोड)- फोन नंबर ()	नियोजन प्रवर्ग (यदि नियोजन में है) (सही का निशान लगाएं) ☐ सरकार ☐ सार्वजनिक सेक्टर एकक ☐ अन्य	
विवरण की प्राप्ति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वाई/सर्किल)			किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है - (कृपया अनुदेश सं.-9(ii) देखिए)
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित है? (सही का निशान लगाएं) ☐ मूल ☐ पुनरीक्षित			
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि/मास/वर्ष)			
	निवास की प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं			
	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है ? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं			
	यदि हां है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
	(क)	प्रतिनिधि का नाम		
(ख)	प्रतिनिधि का पता			
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)			

भाग - ख

कुल आय

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गुप्त का 3ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाष (अनुसूची कारबार या वृत्ति का 6 vi) (यदि हानि हो तो शून्य लिखें)	3
	4	पूँजी अभिलाष	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक (धारा 111 क के अधीन)/अनुसूची पूँज का क 5)	4 क i
	ii	अल्पकालिक (अन्य)/अनुसूची पूँज का क 6/	4 क ii
	iii	कुल अल्पकालिक (4 क i + 4 क ii) (यदि हानि है तो शून्य लिखें) (अनुसूची पूँज का क 4)	4 क iii
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची पूँज का ख 5) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4 ख	
ग	कुल पूँजी लाभ (4 क iii + 4 ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	4 ग	

इस क्षेत्र में कुछ न लिखें या स्टॉप न लगाएं (बार कोड के लिए स्थान)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
रसीद सं.

तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी की भुज्ज और
हस्ताक्षर

5	अन्य स्रोतों से आय	
क	ढाँड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से आय (अनुसूची अखों का 3) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	5 क
ख	ढाँड़ के घोड़ों के स्वामित्व से आय (अनुसूची अखों का 4ग) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	5 ख
ग	योग (5क + 5ख) (यदि 5ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	5 ग
6	योग (1+2+3 +4 ग+5 ग)	6
7	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि सभा. के 2vii, 3vii और 4 vii का योग)	7
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7)	8
9	8 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रणीत हानि सभा. का 2vii)	9
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रणीत हानि सभा. का 3vii बी)	10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का ग)	11
12	कुल आय (10-11)	12
13	शुद्ध कृषि आय/ दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छूट प्राप्त आय का 4)	13
14	'संकलित आय' (12+13)	14
15	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi)	15

भाग 2A कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर	
क	सामान्य दरों पर कर	1 क
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का 11)	1 ख
ग	कुल आय पर संदेय कर (1 क + 1 ख)	1 ग
2	1ग पर अधिभार	2
3	(1 ग + 2) पर शिक्षा उपकर, जिसमें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सम्मिलित हैं	3
4	सकल कर दायित्व (1 ग + 2 + 3)	4
5	कर छूट	
क	धारा 89	5 क
ख	धारा 90	5 ख
ग	धारा 91	5 ग
घ	योग (5 क + 5 ख + 5 ग)	5 घ
6	सकल कर दायित्व (4 - 5 घ)	6
7	संदेय ब्याज	
क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234 क)	7 क
ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7 ख
ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234 ग)	7 ग
घ	कुल संदेय ब्याज (7 क + 7 ख + 7 ग)	7 घ
8	संकलित दायित्व (6 + 7 घ)	8
9	संवत् कर	
क	अग्रिम कर (अनुसूची आयकर से)	9 क
ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर कटौती 2 के स्तंभ 8 का)	9 ख
ग	स्व निर्धारण कर (अनुसूची आयकर से)	9 ग
घ	संवत् कुल कर (9 क + 9 ख + 9 ग)	9 घ
10	संदेय कर (यदि 8 9घ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)	10
11	प्रतिदाय (यदि 9घ 8 से अधिक है तो लिखें और बैंक खाते का नीचे ब्योरा भी दें)	11
12	अपना बैंक खाता संख्या लिखें (प्रतिदाय के मामले में आझापक)	
13	अपना प्रतिदाय किससे चाहते हैं ? ☐ बैंक द्वारा, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके (जो लागू हो तो सही का निशान लगाएं)	
14	यदि आपके बैंक खाते में सीधे जमा किया जाए तो अतिरिक्त ब्योरा दें	
एमआईसीआर कोड		
खाता का प्रकार (जो लागू हो वहाँ सही का निशान लगाएं)	☐ बचत ☐ चालू	

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दार्जित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-2009 से सुरुवात पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में अन्य-कर अधिनियम, 1961 के तपश्चो क अनुसरण है।

यहाँ हस्ताक्षर करें →

तारीख

स्थान

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:			
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम			16

वेतन से आय का ब्यौरा		नियोजक का नाम		नियोजक का स्थायी खाता संख्या (पैन)	
नियोजक का पता		नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड	
वेतन	1 वेतन (सभी भातों, परिलब्धियों और वेतन की जगह लाभ को छोड़कर)	1			
	2 धारा 10 के अर्धीन छूट प्राप्त बतों	2			
	3 छूट न प्राप्त भरी	3			
	4 परिलब्धियों का मूल्य	4			
	5 वेतन की जगह लाभ	5			
	6 वेतन शीर्ष के अधीन प्रमाण्य आय (1+3+4+5)	6			

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा		संपत्ति 1 का पता		नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		(सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (वैकल्पिक)	
गृह संपत्ति	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)				1 क
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1 ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर				1 ग
	घ	योग (1 ख + 1 ग)				1 घ
	ङ	अतिशेष (1 क - 1 घ)				1 ङ
	च	1 ङ का 30%				1 च
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				1 छ
	ज	योग (1 घ + 1 छ)				1 ज
	झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1 ङ - 1 ज)				1 झ
	2	संपत्ति 2 का पता		नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड
		(सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या पैन	
गृह संपत्ति	क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्त होने योग्य किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो निम्नतम)				2 क
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				2 ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर				2 ग
	घ	योग (2 ख + 2 ग)				2 घ
	ङ	अतिशेष (2 क - 2 घ)				2 ङ
	च	2 ङ का 30%				2 च
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				2 छ
	ज	योग (2 घ + 2 छ)				2 ज
	झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ - 2 ज)				2 झ
	3	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय				
क	धारा 25 क/ क क के अधीन वसूल किया गया पूर्व वर्ष का किराया				3 क	
ख	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25 ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया				3 ख	
ग	योग (3 क + 3 ख + 1 झ + 2 झ)				3 ग	

टिप्पणी कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

उन भागीदारी फर्मों के संबंध में सूचना जिनमें आप भागीदार हो						
उन फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हो						
भागीदारी की क्र. सं.	फर्म की सं.	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी खाता संख्या	फर्म के लाभ में अंश का प्रतिशत	अंश की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी अतिशेष
					i	ii
	1	1				
	2	2				
3	3					

4	4					
5	5					
6	योग					

अनुसूची-कारबार या
वृत्ति

कारबार या वृत्ति से 'लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय (उन फर्मों से आय जिनमें आप भागीदार हो)

क्रम सं.	फर्म सं. (अनुसूची-आईएफ से)	फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक	फर्म से पूंजी पर प्राप्त ब्याज	योग ii + iii	iv से संबंधित व्यय	शुद्ध आय iv - v
	i	ii	iii	iv	v	vi
1	1					
2	2					
3	3					
4	4					
5	5					
6	योग					

टिप्पणी ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - पूंजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

अ अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ

1	ऐसे अनेवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1	
2	अन्य आस्तियों से		
	क प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	
	ख धारा 48 के अधीन छूट		
	i अर्जन की लागत	ख i	
	ii सुधार की लागत	ख ii	
	iii अंतरण पर व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
	ग अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग	
	घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2 घ	
	ङ धारा 54 ख/54 घ के अधीन छूट	2 ङ	
	च अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग - 2 घ - 2 ङ)	2 च	
3	धारा 54 ख/54 घ/54 ङ/54 छ के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम	3	
4	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 + 2 च + क3)	4	
5	4 में सम्मिलित धारा 111 क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	क5	
6	धारा 111 क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क4 - क5)	क6	

ख दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ

1	ऐसे अनेवासी की दशा में आस्तियों से जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	1	
2	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) का परंतुक लागू नहीं होता है		
	क प्रतिफल का पूरा मूल्य	2 क	
	ख धारा 48 के अधीन छूट		
	i सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीबद्ध किए जाने के पश्चात सुधार की लागत	ख ii	
	iii अंतरण पर व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग अतिशेष (2 क - ख iv)	2 ग	
	घ धारा 54/54 ख/54 घ/54 ङ/54 छ/54 झ के अधीन छूट	2 घ	
	ङ शुद्ध अतिशेष (2 ग - 2 घ)	2 ङ	
3	अन्य आस्तियों से जहां धारा 112(1) का परंतुक लागू होता है		
	क प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क	
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीबद्ध किए बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीबद्ध किए बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii अंतरण पर व्यय	ख iii	
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग अतिशेष (4 क - ख iv)	3 ग	
	घ धारा 54/54 ख/54 घ/54 ङ/54 छ/54 झ के अधीन छूट	3 घ	
	ङ शुद्ध अतिशेष	3 ङ	
4	धारा 50 ख/54 घ/54 ङ/54 छ/54 झ के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझे जाने वाली रकम	4	
5	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का योग (1 + 2 ङ + 1 (यदि हानि है तो 2 ङ को शून्य लिखें) + 3 ङ (यदि हानि है तो 3 ङ को शून्य लिखें) + 4)	ख 5	
ग	"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 6 + ख 5) (यदि हानि है तो ख 5 को शून्य लिखें)	ग	
घ	पूंजी अभिलाभ का प्रोद्भव/प्राप्ति के बारे में जानकारी		

पूंजी अभिलाभ

	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 तक (ii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 to 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक				
2	अल्पकालिक				

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	आय			
		क लाभान्श, सकल	1 क		
		ख ब्याज, सकल	1 ख		
		ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1 ग		
		घ अन्य, सकल (दीर्घ के छोड़ों के स्वामित्व से हुई आय को छोड़कर)	1 घ		
		ङ योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ)		1 ङ	
		च धारा 57 के अधीन कटौतियाँ:-			
		i व्यय	च i		
		ii अवक्षयण	च ii		
		iii योग	च iii		
		छ अतिशेष (1 ङ - च iii)		1 छ	
	2	लाटिरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ आदि जीतना		2	
	3	अन्य स्रोतों से आय (दीर्घ के छोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1 छ + 2) (यदि हानि है तो 1 छ को शून्य लिखें)		3	
	4	दीर्घ के छोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय			
		क प्राप्तियाँ	4 क		
		ख (4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4 ख		
		ग अतिशेष (4 क - 4 ख)		4 ग	
	5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाव्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4 ग को शून्य लिखें और 4 ग की हानि के अंकों को अनुसूची चालू वर्ष की हानि के समायोजन में लें)		5	

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ का तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा		कारबार हानि		चालू वर्ष की अन्य स्रोत हानि (रेस के छोड़ों से हानि से भिन्न) का मुजरा कुल हानि (अनुसूची अन्य स्रोत का 3)	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय 5=1-2-3-4
			कुल हानि (अनुसूची-गृह संपत्ति का 3ग)		कुल हानि (अनुसूची का.वृ. का 6 vi)			
			1	2	3			
i	वेतन							
ii	गृह संपत्ति							
iii	कारबार या वृत्ति							
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष							
v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष							
vi	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दीर्घ के छोड़ों रखने से लाभ भी है)							
vii	कुल हानि मुजरा							
viii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि							

पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात् आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन			
ii	गृह संपत्ति			
iii	कारबार या वृत्ति			
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष			
v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष			
vi	अन्य स्रोत (जिसके अंतर्गत दीर्घ के छोड़ों रखने से लाभ भी है)			
vii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा			
viii	मुजरे के पश्चात् शेष चालू वर्ष की आय - योग (i3 + ii3 + iii3 + iv3 + v3 + vi3)			

आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिनांक/मास/वर्ष)	गृह संगति हानि	कारबार या नृति	अत्यन्तालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य खोना हानि (लौह के घोंकों से हानि से भिन्न)	अन्य खोना हानि (लौह के घोंकों के स्वामित्व से)
i	2000-01							
ii	2001-02							
iii	2002-03							
iv	2003-04							
v	2004-05							
vi	2005-06							
vii	2006-07							
viii	2007-08							
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग							
x	अनुसूची अग्रणीत हानि समायोजन में उपरोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2008-09 (चालू वर्ष की हानियाँ)							
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि							

हानियों का अग्रनयन

अनुसूची VI क अध्याय VI-क (घारा) के अधीन कटीतियां

क	80 ग		ज	80 छ	
ख	80 ग ग		झ	80 छ छ	
ग	80 ग ग घ		ञ	80 छ छ क	
घ	80 घ		ट	80 छ छ ग	
ङ	80 घ घ		ठ	80 धथख	
च	80 घ घ ख		ड	80 ददख	
छ	80 ङ		ढ	80 ण	
ज	कुल कटीतियां (क से ङ का योग)		ड		

कुल कटीतियां

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय निर्धारित की आय में सम्मिलित किए जाने योग्य विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संबंध	आय की प्रकृति	रकम (रु.)
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय विशेष दरों पर आयकर से प्रभाय आय। कृपया घारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए।

क्रम सं.	सेक्सन कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्रम सं.	सेक्सन कोड	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1					6				
2					7				
3					8				
4					9				
5					10				
ii								योग (11 से 10 ii)	

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय	1
2	लाभांश से आय	2
3	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष जिसपर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया जाता है	3
4	शुद्ध कृषि आय/दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय	4
5	कर्म के लाभ में अंश/एओपी आदि	5
6	अन्य	6
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

छूट प्राप्त आय

अन्य सूचना (वार्षिक सूचना विवरणी के माध्यम से रिपोर्ट किए गए संयोजक) | कृपया कोड के लिए अनुदेश सं-9 (ii) देखिए।

क्रम सं.	संयोजक का कोड	☐	रकम (रु.)	SI	संयोजक का कोड	☐	रकम (रु.)
1	001	☐		5	005	☐	
2	002	☐		6	006	☐	
3	003	☐		7	007	☐	
4	004	☐		8	008	☐	

अनुसूची आयकर आयकर का अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

क्रम सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	नियोजक की तारीख (दिनांक/मास/वर्ष)	आवृत्ति का क्रम सं.	रकम (रु.)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

टिप्पणी: भाग ख - टीपीआई की क्रम सं. 9क और 9ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।

वेतन से खोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा | नियोजक द्वारा जारी प्रारूप 16 के अनुसार।

क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभाव आय	अध्याय VI-क के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसके अंतर्गत अधिभार और शिक्षा उपकर भी हैं)	धारा 192(1) के अधीन खोत पर कटौती किया गया कर	संदेय/प्रतिदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

अन्य आय से खोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा | नियोजक द्वारा जारी प्रारूप 16 के अनुसार।

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	खोत पर कटौती किया गया कर	(8) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
i						
ii						

प्रारूप

आकृति-4

भारतीय आय-कर विवरणी
(किसी संपत्तिक कारकाद वा वृत्ती से आव गले व्षटि और हिन्दू अभिषक्त कुटुम्ब)
कृषया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए
(संलग्न अनुदेश भी देखिए)

निर्धारण वर्ष

2008-09

भाग 13

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	पहला नाम	माध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक सं०	परिसर/मकान/ग्राम का नाम	प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☐ व्यापारिक ☐ हिन्दू अभिषक्त कुटुम्ब	
	सड़क/ गली/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	जन्म की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) (व्यक्ति की वरु में)	/ /
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की वरु में) (चिह्नित करें) ☐ पुरुष ☐ महिला
	ई-मेल पता	(एसटीडी कोड)-फोन न० ()	निर्वाहक प्रकार (यदि निर्वाह न हो) (चिह्नित करें) ☐ सरकारी ☐ लोक.उ. ☐ अन्य	
फाइल करने की प्रास्थिति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम/वार्ड/सर्किल)		धारा के अधीन फाइल की गई विवरणी (कृषया अनुदेश सं० 9(ii) देखिए)	
	क्या विवरणी मूल या पुनरीक्षित है? (चिह्नित करें) ☐ मूल ☐ पुनरीक्षित			
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)			
	आवासीय प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं			
	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
(क)	प्रतिनिधि का नाम			
(ख)	प्रतिनिधि का पता			
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)			
लेखा परीक्षा जानकारी	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं			
	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं, यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें-			
	(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)		
	(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)		
	(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख		

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

रसीद सं०

तारीख

प्राप्त कर्ता पक्षधारी की मूहर और हस्ताक्षर

कारबार की प्रकृति	कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/उत्पादों को उपदर्शित करें			
	क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश सं० 9(ii) देखें)	संघटित का नाम, यदि कोई है	वर्जन
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

सांघटिक कारबार की 31 मार्च, 2007 को तुलनपत्र
(मद 1 से 5 भरें यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों के स्रोत	1	स्वामी की निधि		
		क स्वामी की पूजी	क	
		ख आरक्षित और अधिशेष		
		i पुनर्भूल्यांकन आरक्षित	खi	
		ii पूजी आरक्षित	खii	
		iii कानूनी आरक्षित	खiii	
		iv कोई अन्य आरक्षित	खiv	
		v योग (खi + खii + खiii + खiv)	खv	
		ग कुल भागीदारों की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां		
निधियों का उपयोग		क प्रतिभूत ऋण		
		i विदेशी मुद्रा ऋण	कii	
		ii रुपए में ऋण		
		अ बैंकों से ऋण	कiiiअ	
		आ अन्य से	कiiiआ	
		इ योग (कiiiअ + कiiiआ)	कiiiइ	
		iii योग (कi + कii + कiiiइ)	कiii	
		ख अप्रतिभूत ऋण		
		i बैंकों से ऋण	खi	
		ii अन्य से	खii	
		iii योग (खi + खii)	खiii	
		ग योग ऋण निधि (कiii + खiii)	2ग	
निधियों का उपयोग	3	आस्थगित कर दायित्व	3	
	4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)	4	
	1	स्थिर आस्तियां		
		क संकलन : ब्लाक	1क	
		ख अवसंयोजन	1ख	
		ग शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग	
		घ चल रहा पूंजी कार्य	1घ	
		क योग (1ग + 1घ)	1क	
	2	विनिधान		
		क दीर्घकालिक विनिधान		
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गईं	का	
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गईं	कii	
		iii योग (का + कii)	कiii	
		ख व्यापार विनिधान		
		i साधारण शेयर	खi	
		ii अधिमानी शेयर	खii	
		iii डिबेंचर	खiii	
		iv योग (खi + खii + खiii)	खiv	
		ग कुल विनिधान (कiii + खiv)	2ग	
	3	चालू आस्तियां, ऋण और अतिरिक्त		

कोई लेख माफ़ नहीं	अ बाबू आस्तिया		
	I बीजक		
	अ भंकार, रसावन और पैकिंग सामग्री	IA	
	आ कच्ची सामग्री	IAA	
	इ ब्यापक भंकार	IE	
	ई लेखर माल / व्यापार माल	IEI	
	उ योग (IA + IAA + IE + IEI)		II
	II विविध ऋणी		काII
	III मुख्य और बँक अतिशेष		
	अ इस्तमगत नकदी	IIIA	
	आ बैंक के पास अतिशेष	IIIAA	
	इ योग (IIIA + IIIAA)		IIIIE
	IV अन्य बाबू आस्तिया		काIV
	V कुल बाबू आस्तिया (II + IIIE + IIIIE + काIV)		काV
	ख ऋण और अग्रिम		
	I नकद में या बरतु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	काI	
	II भिक्षेय	काII	
	III राजस्वप्रकारियों आदि के पास अतिशेष	काIII	
	IV योग (काI + काII + काIII)		खIV
	ग बाबू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (काV + खIV)		3ग
घ बाबू दायित्व और उपबंध			
I बाबू दायित्व			
अ विविध लेनदार	IA		
आ पट्टाभूत आस्तियों के लिए दायित्व	IAA		
इ उपभूत पर उभयभूत ब्याज	IE		
ई उभयभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शीघ्र नहीं है	IEI		
उ योग (IA + IAA + IE + IEI)		II	
II उपबंध			
अ आयकर के लिए उपबंध	IIA		
आ धन कर के लिए उपबंध	IIA		
इ सुदृढ़ मुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	IIIE		
ई अन्य उपबंध	IIIEI		
उ योग (IIA + IIA + IIIE + IIIEI)		IIIE	
III योग (II + IIIE)		गIII	
घ शुद्ध बाबू आस्तिया (3ग-गIII)		3घ	
4 क अवस्थित या सहायोजित न किया गया प्रकीर्ण धन्य	4क		
ख आपभूत कर आस्ति	4ख		
ग लाभ और हानि लेखा	4ग		
घ योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ	
5 विविधों के उपभोजन का योग (1घ + 2ग + 3घ + 4घ)		5	
6 उस वक्ता में जहाँ कारबार या वृत्ति की लेखा बहियाँ नहीं रखी जाती हैं - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2008 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
क विविध ऋणियों की कुल रकम		6क	
ख विविध लेनदारों की कुल रकम		6ख	
ग व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम		6ग	
घ नकदी बकाया की रकम		6घ	

सांभलिक कारबार के पूर्व वर्ष 2007-08 के लिए लाभ और हानि लेखा

(उस दशा में जहाँ नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती हैं, मद 1 से मद 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरे)

लाभ और हानि लेखा को भरें	1 कारबार या वृत्ति का विवरण / सकल रसीद (शुद्ध विवरणों और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)	
	2 निम्नलिखित रूप में लाभ और प्रत्यय की गई लेखा क संख्या में प्रामाण्य बाबू शुल्क, कर और उपबंध	
	क लाभ उत्पाद शुल्क	2क
	ख लेख कर	2ख

	ग	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	2ग		
	घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ		
	क	प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल शुल्क, कर और उपकर (2क+2ख+2ग+2घ)	2क		
3	अन्य आय				
	क	किराया	3क		
	ख	कमीशन	3ख		
	ग	लाभान्ता	3ग		
	घ	भत्ता	3घ		
	ङ	स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	3ङ		
	च	प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभाव्य प्रतिभूतियों के विनिमय के विक्रय पर लाभ	3च		
	छ	अन्य विनिमय के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	चालू उत्तर चक्राव मद्दे लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग (3क से 3ञ)	3ट		
4	अंतिम स्टाक				4
5	लाभ और हानि के लेनदारों का योग (1+2क+3ट+4)				5
6	आरंभिक स्टाक				6
7	क्रय (गुट्ट प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				7
8	क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संवत या संदेय शुल्क और कर				
	क	सीमा-शुल्क	8क		
	ख	प्रति शुल्क	8ख		
	ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग		
	घ	संघ उत्पाद-शुल्क	8घ		
	ङ	सेवा कर	8ङ		
	च	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	8च		
	ज	संवत या संदेय कोई अन्य कर	8ज		
	झ	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8ज)	8झ		
9	भाड़ा				9
10	संभार और अतिरिक्त पूर्णों की खपत				10
11	विद्युत और ईंधन				11
12	किराया				12
13	धवन की सरम्भत				13
14	मशीनरी की सरम्भत				14
15	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	क	वेतन और मजदूरी	15क		
	ख	बोनस	15ख		
	ग	शिक्षितरीय व्यय	15ग		
	घ	कुट्टी मुनाया जाना	15घ		
	ङ	कुट्टी यात्रा फायदे	15ङ		
	च	अनुप्रादित अधिवर्धिता निधि में अभिदाय	15च		
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ		
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज		
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ		
	ञ	किसी कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है	15ञ		
	ट	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ)	15ट		
16	बीमा				
	क	शिक्षित बीमा	16क		
	ख	जीवन बीमा	16ख		
	ग	घरि मेन बीमा	16ग		
	घ	अन्य बीमा	16घ		
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ		
17	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द व्यय				17

18	मनोरंजन	18	
19	सत्कार	19	
20	सम्मेलन	20	
21	विक्रय संबंधन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न)	21	
22	विज्ञापन	22	
23	कमीशन	23	
24	होटल, बोर्डिंग और लोजिंग	24	
25	यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी है	25	
26	वाहन व्यय	26	
27	टेलीफोन व्यय	27	
28	अतिथि गृह व्यय	28	
29	कलत्र व्यय	29	
30	स्वीटार आयोजन व्यय	30	
31	छात्रवृत्ति	31	
32	दान	32	
33	सिंदान	33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी है)		
	क संघ उत्पाद शुल्क	34क	
	ख सेवा कर	34ख	
	ग मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	34ग	
	घ उपकर	34घ	
	ङ कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर	34ङ	
	च संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च	
35	लेखा परीक्षा शुल्क	35	
36	अन्य व्यय	36	
37	वृद्धत ऋण	37	
38	वृद्धत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	38	
39	अन्य उपबंध	39	
40	व्याज, अवसयण और करों से पूर्व लाभ [5 - (6 + 7 + 8ख + 9 to 14 + 15। + 16क + 17 to 33 + 34घ + 35 से 39)]	40	
41	व्याज	41	
42	अवसयण	42	
43	करों से पूर्व लाभ (40-41-42)	43	
44	मातृ कर के लिए उपबंध	44	
45	अस्थागित कर के लिए उपबंध	45	
46	कर के पश्चात् लाभ (43 - 44 - 45)	46	
47	पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया	47	
48	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (46 + 47)	48	
49	आरक्षितियों और अधिशेष को अंतरित	49	
50	स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (48 - 49)	50	
51	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहिया नहीं रखी जाती है वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2006-07 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें:		
	क सकल प्राप्तियां	51क	
	ख सकल लाभ	51ख	
	ग व्यय	51ग	
	घ शुद्ध लाभ	51घ	

भाग क 01

अन्य जानकारी

(उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए राखी नहीं है)

1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(विहित करें) ☒ ☐ वाणिज्य ☐ नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(विहित करें) ☒ ☐ हां ☐ नहीं
3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति में विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ पर प्रभाव	3
4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति	
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐

अन्य जानकारी

ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☒ हाँ ☐ नहीं	
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विकसन के कारण, यदि कोई हो लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित हैं:-	
क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क
ख	जहां प्रत्यय, वापसी या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शोध रूप में प्राप्त है जहां प्रत्यय, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय, विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रोफार्मा	5ख
ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ
ङ	पूजी रसीद, यदि कोई है	5ङ
च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय न की गई सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकसित रकम :-	
क	स्टॉक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संवत् प्रीमियम	6क
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संवत् प्रीमियम	6ख
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संवत् कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभाना के रूप में उसको अन्वया संदेय थी	6ग
घ	उधार ली गई पूजी के संबंध में संवत् ब्याज की रकम	6घ
ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6च
छ	किसी मान्यताप्राप्त अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम	6छ
ज	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6ज
झ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम	6झ
ञ	सूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ
ट	सूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध करना	6ट
ठ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम	6ठ
ड	कर्मचारियों के बीच पॉन्डर नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय	6ड
ढ	कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन स्थापित किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या किसी निधि अथवा देय तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ
ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण
त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम	
क	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय	7क
ख	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सैमिनेर बोधर, ट्रैक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय ;	7ख
ग	सत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय ;	7ग
घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना ;	7घ
ङ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय ;	7ङ
च	किसी आर्थिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च
छ	आय के संबंध में जो कुल आय का भाग नहीं है व्यय की रकम	7छ
ज	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7ज
झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)	7झ
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम	
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ii) और धारा 40 (क)(iii) के अन्तर्गत अधीन अननुज्ञेय रकम	
ख	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में रकम	अख
ग	अनुबंधी लाभ कर के रूप में संवत् रकम	अग
घ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अघ
ङ	धनकर के रूप में संवत् रकम	अङ
च	किसी भागीदार या सदस्य को संवत् ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अच
छ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अछ
ज	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अछ का योग)	8अज
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ

9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम	
क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदेय रकम;	9क
ख	धारा 40क(3) के अधीन एकाउन्ट पेड़ बैंक या एकाउन्ट पेड़ बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदेय बीस हजार रुपए से अधिक रकम-100 प्रतिशत अननुज्ञेय ;	9ख
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध;	9ग
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारित द्वारा संदेय कोई राशि ;	9घ
ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ
च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम	9च
10	किसी पूर्ववर्गीय पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	
क	किसी निधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ
च	कुट्टी भुजाने के म दे संदेय कोई राशि	10च
छ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)	10छ
11	किसी पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकसित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम:-	
क	किसी निधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ
च	कुट्टी भुजाने के म दे संदेय कोई राशि	11च
छ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क to 11घ का योग)	11छ
12	निम्नलिखित लेखाओं के संकक्ष में बकाया जमा की रकम	
क	संच उत्पाद शुल्क	12क
ख	सेवा कर	12ख
ग	मुल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	12ग
घ	कोई अन्य करम	12घ
ङ	बकाया कुल रकम (12क से 12घ का योग)	12ङ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या 33कग के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम	13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम	14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकसित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15

भाग के - मात्रात्मक ब्यौरे (उस दशा में विकल्प जिसमें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क) किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में	
	1 आरंभिक स्टाक	1
	2 पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
	3 पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
	4 अंतिम स्टाक	4
	5 कमी / अधिक यदि कोई हो	5
	(ख) किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में	
	6 कच्ची सामग्री	
	क आरंभिक स्टाक	6क
	ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
	ग पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग

	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार माल	6च	
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज	कमी/अधिक यदि कोई हो	6ज	
	7	तैयार माल/उत्पाद		
	क	आरंभिक स्टॉक	7क	
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	7ङ	
	च	कमी/अधिक यदि कोई हो	7च	

कुल आय की संगणना

कुल आय	1	भेदन (अनुसूची घ का 6)	1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि		
	i	सट्टे के कारबार से विन्म कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का 37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3i	
	ii	सट्टे के कारबार से विन्म कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का ख 41) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3ii	
	iii	योग (3i + 3ii) (यदि 3 iii हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
	4	पूँजी अभिलाष		
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची-पूँजी अभिलाष का 4का)	4का	
	ii	अल्पकालिक (अनुसूची-पूँजी अभिलाष का 8क)	4काii	
	iii	कुल अल्पकालिक (4का + 4काii)	4काiii	
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची-पूँजी अभिलाष का खक) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4ख	
	ग	कुल पूँजी अभिलाष (4काiii + 4ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	4ग	
	5	अन्य स्रोतों से आय		
	क	दीर्घ के चोर्की के स्वामित्व से विन्म स्रोतों से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 5क) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5क	
	ख	दीर्घ के चोर्की के स्वामित्व से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5ख	
	ग	कुल (5क + 5ख)	5ग	
	6	कुल योग (1 + 2 + 3iii + 4ग + 5ग)	6	
	7	इ के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	7	
	8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के परचात बकाया (6 - 7)	8	
	9	इ के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	9	
	10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रणीत हानि के 5viii का योग)	10	
	11	अवकाश इक के अधीन कटीतियाँ VI-क (अनुसूची VIक का प)	11	
	12	कुल आय (10 - 11)	12	
	13	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 4)	13	
	14	'औषत आय' (12 + 13)	14	
	15	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (सीएफएल के xi का योग)	15	

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
क	साधारण दरों पर कर	1क	
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	1ख	
ग	कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख)	1ग	
2	वारा 88ख के अधीन रिबेट (अनुसूची एसटीटीआर का 4)	2	
3	संदेय बकाया कर (1 - 2)	3	
4	3 पर अधिभार	4	
5	(3 + 4) पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	5	
6	सकल कर दायित्व (3 + 4 + 5)	6	

7	कर राहत		
	क धारा 89	7क	
	ख धारा 90	7ख	
	ग धारा 91	7ग	
	घ कुल (7क + 7ख + 7ग)		7
8	मुद्र कर दायित्व (6 - 7)		8
9	संदेय ब्याज		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	9क	
	ख अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	9ख	
	ग अग्रिम कर के आस्थान के लिए (धारा 234ग)	9ग	
	घ संदेय कुल ब्याज (9क+9ख+9ग)		9घ
10	औषत दायित्व (8 + 9घ)		10
11	संदत कर		
	क अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	11क	
	ख स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर की कटौती 2 के स्तंभ 8 का योग)	11ख	
	ग टीसीएस (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 8)	11ग	
	घ स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	11घ	
	ङ संदत कुल कर (11क+11ख+11ग + 11घ)		11ङ
12	संदेय रकम (यदि 11ङ से अधिक है तो 10 प्रविष्ट करे, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करे)		12
13	प्रतिदाय (यदि 10 11ङ से अधिक है तो बैंक लेखा के ब्यौरे में नीचे दे)		13
14	अपना बैंक खाता सं0 प्रविष्ट करे (प्रतिदाय की दशा में आवश्यक)		
15	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ बैंक द्वारा, या ☐ अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं? (जो लागू हो उसे ☒ चिह्नित करें)		
16	अपने बैंक खाते में सीधे जमा कराने की दशा में अतिरिक्त ब्यौरे दें		
	एमआईसीआर कोड		
	खाते की प्रकार (जो लागू हो उसे ☒ चिह्नित करें) ☐ बचत ☐ चालू		

सत्यापन

में (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में), पुत्र/पुत्र श्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्य कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-09 से सुरुआत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय कर से प्रभावी आय के संबंध में भ्रम कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

हस्ताक्षर →

तारीख

स्थान

यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो और नीचे और ब्यौरे दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं0	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी के प्रति हस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपत्ति का हकदार है तो उसकी रकम.....	18	

अनुसूची एस

वेतन आय के ब्यौरे

नियोजक का नाम	नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (पैन)
नियोजक का पता	नगर/शहर
	राज्य
	पिन कोड
1 वेतन (वेतन के स्थान पर सभी भत्ते, परिलब्धियों और लाभ को छोड़ कर)...	1
2 धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते	2
3 भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं हैं	3
4 परिलब्धियों का मूल्य	4
5 वेतन के स्थान पर लाभ	5
6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (1+3+4+5)	6

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे

1 संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
यदि किराए पर है तो ☒ (चिह्नित) करें ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)	
क बसूल किया गया या बसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)	1क		
ख किराए की रकम जो निर्मापित नहीं की जा सकती है	1ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत कर	1ग		

2	घ कुल (1ख + 1ग)	1घ	
	ङ बकाया (1क - 1घ)		1ङ
	च 1ङ का 30%	1च	
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ	
	ज कुल (1घ + 1छ)		1ज
	झ गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ - 1ज)		1झ
	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य
	पिन कोड		
	यदि किराए पर है तो ☒ (किस्मिट) करें ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक)
	क वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)		2क
ख किराए की रकम जो निर्धारित नहीं की जा सकती है	2ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ कुल (2ख + 2ग)	2घ		
ङ बकाया (2क - 2घ)		2ङ	
च 2ङ का 30%	2च		
छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ		
ज कुल (2घ + 2छ)		2ज	
झ गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2ज)		2झ	
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य
	पिन कोड		
	यदि किराए पर है तो ☒ (किस्मिट) करें ☐	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं० (वैकल्पिक)
	क वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)		3क
	ख किराए की रकम जो निर्धारित नहीं की जा सकती है	3ख	
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3ग	
	घ कुल (3ख + 3ग)	3घ	
	ङ बकाया (3क - 3घ)		3ङ
	च 3ङ का 30%	3च	
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ	
ज कुल (3घ + 3छ)		3ज	
झ गृह संपत्ति 3 से आय 3 (3ङ - 3ज)		3झ	
↓ "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय			
क धारा 25क/कक के अधीन निर्धारित पूर्व वर्षों का किराया		4क	
ख 30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया		4ख	
ग कुल (4क + 4ख + 1झ + 2झ + 3झ)		4ग	

टिप्पणी ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट तिनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - कारबार या गुति का वर्णन कारबार या गुति से आय की संगणना

अ	कारबार या गुति से आय	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या गुति	
		1 लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43)	1
		2 1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2
		3 आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रसीदें	3
		4 1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खग/44खघ/44खड/44खड/44खड/अव्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4
		5 (1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है	
		क छूट प्राप्त आय	5क
		ख काम/कामों से आय का अंश	5ख
		ग व्यक्ति संगम/व्यक्ति निकाय से आय का अंश	5ग
		घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ
		6 बकाया (1-2-3-4-5घ)	6
		7 लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7
8 लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8		
9 कुल (7 + 8)	9		
10 समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10		
11 9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञा	11		
12 आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञा			
i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवज्ञा (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	11i		

ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवकाश (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	11ii	
iii	कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवकाश के लिए समायोजन के परचात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम (भाग ओ आई का 6न)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम (भाग ओ आई का 7म)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम (भाग ओ आई का 9क)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकसित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय है	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय व्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22	
23	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस फर्म से जिसमें कोई व्यक्ति/ हिस्सेदार/ अधिकृत कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुत्पन्न भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और व्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटीती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटीती (अनुसूची 2एसआर का मद vii (4))	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटीती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम	29 क	
	ख अनुज्ञेय कटीती	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटीती	29ग	
30	कटीती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30	
31	कुल (25 + 26 + 27 + 28 + 29ग + 30)	31	
32	आय (13 + 24 - 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
i	धारा 44कघ	33i	
ii	धारा 44कङ	33ii	
iii	धारा 44कच	33iii	
iv	धारा 44ख	33iv	
v	धारा 44खख	33v	
vi	धारा 44खखक	33vi	
vii	धारा 44खखख	33vii	
viii	धारा 44घ	33	
ix	धारा 44घक	33ix	
x	अध्याय-XII-छ	33x	
xi	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33xi	
xii	कुल(33i से 33xi)	33xii	
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटीती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कटीतियां-		
i	10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
ii	10कक (अनुसूची 10कक का 4)	35ii	
iii	10ख (अनुसूची 10ख का 6)	35iii	
iv	10खक (अनुसूची 10खक का 6)	35iv	
v	योग	35v	
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 - 35v)	36	
37	कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (निवम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के परचात् विशेष कारबार की दशा के	अ 37	

सिवाय वही जो ऊपर 36 में है)		
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना	
38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38
39	धारा 28 to 44 के अनुसार परिवर्धन	39
40	धारा 28 to 44 के अनुसार कटौतियाँ	40
41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	आ 41
ब	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभाव्य आय (अ 37 + आ 41)	ई

कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एलपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची एलपीआई
अ. संशोधन

संवत्सर और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संवत्सर और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति / आस्तियों के अन्तर्ण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50* के अधीन पूजी अक्षिण/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6 + 9 - 14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची एलपीआई
अ. संशोधन

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	धवन			फर्निचर और फिटिंगें	आयुत आस्तियाँ	रोल
		5	10	100			
		(i)	(ii)	(iii)		(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण						
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण						
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो						

13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो					
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)					
15	आस्ति/आस्तियों के अन्तर्गत के संबंध में उपगत व्यय					
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाष/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6 + 9 - 14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					

अनुसूची आरक्षण पर अवक्षयण का सार		आस्तियों पर अवक्षयण का सार	
1	संवत्स और मशीनरी		
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14i)	1क	
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14ii)	1ख	
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14iii)	1ग	
घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14iv)	1घ	
ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14v)	1ङ	
च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14vi)	1च	
छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 14vii)	1छ	
ज	संवत्स और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	ज	
2	भवन		
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 14i)	2क	
ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 14ii)	2ख	
ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 14iii)	2ग	
घ	भवन पर कुल अवक्षयण	2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग अनुसूची डीओए - 14iv)	3	
4	अमृत आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)	4	
5	पोत (अनुसूची डीओए - 14vi)	5	
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)	6	

अस्तियों पर अवक्षयण का सार

अनुसूची अवक्षयण आस्तियों
के विवरण पर समझा गया पूंजी
अभिलाष

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाष

1	संवत्स और मशीनरी		
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1क	
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1ख	
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1ग	
घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1घ	
ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1ङ	
च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च	
छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ	
ज	संवत्स और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)	ज	
2	भवन		
क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 16i)	2क	
ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख	
ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग	

प	योग (2क+2ख+2ग)	2घ
3	कनीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए - 16iv)	3
4	अमूर्त आस्तिया (अनुसूची डीओए - 16v)	4
5	पोत (अनुसूची डीओए - 16vi)	5
6	कुल अक्सायण (1ज+2घ+3+4+5)	6

अनुसूची धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा	लाम और हानि लेखा में विकसित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाम और हानि लेखा में विकसित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची पूंजी अभिलाम पूंजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम	अ अल्पकालिक पूंजी अभिलाम			
	1	मंदा में विक्रय से		
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
	ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
	ग	मंदा में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाम	1ग	
	घ	धारा 54ख/54घ/54छ/54ज के अधीन कटौतियाँ	1घ	
	ङ	मंदा में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (1ग-1घ)		1ङ
	2	ऐसे अनिवार्य के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है		2
	3	अन्य आस्तियों से		
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	अर्जन की लागत	खi	
	ii	सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv	
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग	
	घ	हानि, यदि कोई हो, की धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ	
	ङ	धारा 54ख/54घ/54छ/54ज के अधीन छूट	3ङ	
	ड	अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (3ग-3घ-3ङ)		3ड
	4	अवश्यपूर्ण योग्य आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाम		4
	5	धारा 54ख/54घ/54छ/54ज के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाम के रूप में मानी गई रकम		5
	6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (1ङ+2+3ड+4+5)		6
	7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाम		7
	8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाम (6-7)		अ8
पूँजी अभिलाम	आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम			
	1	मंदा में विक्रय से		
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
	ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
	ग	मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम	1ग	
	घ	धारा 54ख/54छ/54ज के अधीन कटौतियाँ	1घ	
	ङ	मंदा में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाम (1ग-1घ)		
	2	ऐसे अनिवार्य के मामले में आस्तियों, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है		2
	3	ऐसी अन्य आस्तियाँ जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है		
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के परचात अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीकरण के परचात सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
	iv	योग (खi - खii + खiii)	खiv	
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग	
	घ	धारा 54/54ख/54घ/54ज/54ड/54घ/54छ के अधीन छूट	3घ	
	ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ङ

4	ऐसी अन्य आस्तियाँ जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया	
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क
ख	धारा 46 के अधीन कटौतियाँ	
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii
iii	अंतरण पर व्यय	खiii
iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv
ग	अतिशेष (4क-खiv)	4ग
घ	धारा 54ड/54डघ/54घ के अधीन छूट	4घ
ङ	शुद्ध अतिशेष	
5	धारा 50ख/54घ/54डघ/54घ/54घ/54घ के अधीन दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम के रूप में मानी गई रकम	5
6	कुल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 2+3ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 4ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) - 5)	अ6
7	"पूँजी अभिलाम" शीर्ष के अधीन प्रमाय आय (अ8+अ6) (यदि हानि है तो ख6 को शून्य लिखें)	7
8	पूँजी अभिलाम के प्रोद्भूत/प्राप्ति के संबंध में सूचना	
1	लाभ/हानि	15/9 तक (ii)
2	दीर्घकालिक	16/9 से 15/12 (iii)
3	अल्पकालिक	16/12 से 15/3 (iii)
		16/3 से 31/3 (iv)

कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें

अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	(दौड़ के घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय	
क	लाभ/हानि, सकल	1क
ख	व्याज, सकल	1ख
ग	मशीनरी, सयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग
घ	अन्य, सकल	1घ
घ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)	1ड
च	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ :-	
i	व्याज	चi
ii	अवसयण	चii
iii	योग	चiii
च	योग (1ड - चiii)	1च
2	लाटरी, वर्ग पहली, दौड़ आदि से जीत	2
3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (उछ + 2)	3
4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय	
क	प्राप्तियाँ	4क
ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौती	4ख
ग	रकबा (2क - 2ख)	4ग
5	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रमाय आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग हानि के अंकों को अनुसूची सीएफएल में लें)	5

इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करें

अन्य स्रोत

यात्रा वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौर

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस सतम्भ को तब भरे जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो।)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	वेतन					
ii	गृह संपत्तियाँ					
iii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iv	अल्पकालिक पूँजी अभिलाम					
v	दीर्घकालिक अभिलाम					
vi	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित)					
vii	मुजरा की गई कुल हानि					

अग्रणी की गई हानि का समायोजन

viii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि			
------	--------------------------------	--	--	--

पहले के वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	अनुसूची (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे) के 5 के अनुसार, मुजरा करने के पश्चात्, यदि कोई हो, आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्तियां					
ii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (बीड के घोटों के स्वामित्व से लाभ)					
vi	अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग					
vii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + vi5)					

भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	सट्टेबाजी से भिन्न हानि	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	अन्य स्रोतों से हानि (पुंडीक से भिन्न)	अन्य स्रोतों से हानि (बीड के घोटों के स्वामित्व से)
i	2000-01								
ii	2001-02								
iii	2002-03								
iv	2003-04								
v	2004-05								
vi	2005-06								
vii	2006-07								
viii	2007-08								
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन								
xi	अनुसूची (चालू वर्ष की हानियां)								
xii	अगले वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि								

धारा 10 के अधीन कटीती

धारा 10 के अधीन कटीतियां

1	राफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती		
	क	उपक्रम संख्या 1	1क
	ख	उपक्रम संख्या 2	1ख
	ग	उपक्रम संख्या 3	1ग
	घ	उपक्रम संख्या 4	1घ
	ङ	उपक्रम संख्या 5	1ङ
	योग (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		
2	हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती		
	क	उपक्रम संख्या 1	2क
	ख	उपक्रम संख्या 2	2ख
	ग	उपक्रम संख्या 3	2ग
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)	
3	मुक्त व्यापार जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटीती		
	क	उपक्रम संख्या 1	3क
	ख	उपक्रम संख्या 2	3ख

2 घ

	ग	उपक्रम संख्या 3	3ग		
	घ	योग (3 क + 3 ख + 3 ग)		3घ	
4	निर्यात प्रसरकरण जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	4क		
	ख	उपक्रम संख्या 2	4ख		
	ग	उपक्रम संख्या 3	4ग		
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)			
5	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	5क		
	ख	उपक्रम संख्या 2	5ख		
	ग	उपक्रम संख्या 3	5ग		
	घ	योग (5 क + 5 ख + 5 ग)			
6	धारा 10क के अधीन कुल कटौतियाँ (1ख) + 2 घ + 3घ + 4घ + 5घ				6

धारा 10कक के अधीन	धारा 10कक के अधीन कटौती				
	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	5क		
	ख	उपक्रम संख्या 2	5ख		
	ग	उपक्रम संख्या 3	5ग		
	घ	योग (क + ख + ग)		घ	

धारा 10ख के अधीन कटौतियाँ	धारा 10ख के अधीन कटौती				
	शतप्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या 2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या 3	ग		
	घ	उपक्रम संख्या 4	घ		
	ङ	उपक्रम संख्या 5	ङ		
	च	योग (क + ख + ग + घ + ङ)		च	

धारा 10खक के अधीन कटौतियाँ	धारा 10खक के अधीन कटौती				
	हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या 2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या 3	ग		
	घ	उपक्रम संख्या 4	घ		
	ङ	उपक्रम संख्या 5	ङ		
	च	योग (क + ख + ग + घ + ङ)		च	

संदानों के बारे में	धारा 80घ के अधीन कटौती के लिए हकदार संदानों के बारे में				
	क	शतप्रतिशत कटौती के लिए हकदार संदान			
		आदाता का नाम और पता		संदान की रकम	
	i		का		
	ii		काii		
	iii		काiii		
	iv		काiv		
	v		काv		
	vi	योग	काvi		
	ख	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए अनुज्ञात संदान			
		आदाता का नाम और पता		संदान की रकम	
	i		खi		
	ii		खii		
	iii		खiii		
	iv		खiv		
	v		खv		
	vi	योग	खvi		
	ग	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50% कटौती के लिए अनुज्ञात संदान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम	

i			ग	
ii			गii	
iii			गiii	
iv			गiv	
v			गv	
vi	योग		गvi	
घ	कुल राशि (क + ख + ग + घ)		ग	

धारा 80अक के अधीन कटौतियां

धारा 80अक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अक(4)(i) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (अवसरचना सुविधा)	क	
	ख	धारा 80अक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख	
	ग	धारा 80अक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ग	
	घ	धारा 80अक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (रक्षित)	घ	
	ङ	धारा 80अक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक(4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	
	च	धारा 80अक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)	च	

धारा 80अख के अधीन कटौतियां

धारा 80अख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80अख(3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क	
	ख	जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(4))	ख	
	ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(4))	ग	
	घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(5))	घ	
	ङ	मल्टीप्लेक्स थियेटर्स की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(7 क))	ङ	
	च	पारंपरिक केंद्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(7 ख))	च	
	छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(8 क))	छ	
	ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं की बाबत कटौतियां (धारा 80अख(9))	ज	
	झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80अख(10))	झ	
	ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80अख(11))	ञ	
	ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80अख(11))	ट	
	ड	खाद्यान्न, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80अख(11 क))	ड	
	ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80अख(11 ख))	ड	
	ड	धारा 80अख के अधीन कुल कटौतियां (क से ड का योग)	ड	

धारा 80अग या 80 अड के अधीन कटौतियां

धारा 80	1	सिक्किम में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	1	
	2	हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	2	
	3	उत्तरांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	3	

उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

उप भागीदारा फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं							
क्रम सं. जिनमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं		फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम i	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष ii
	क्रम सं.						
	1	1					
	2	2					
	3	3					
	4	4					
	5	5					
	6	योग					

छूट प्राप्त आय व्यौर (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय	1
2	लाभांश से आय	2
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
5	फर्म के लाभ में शेयर / एओपी इत्यादि	5
6	अन्य	6
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

अन्य सूचना

अन्य सूचना (वार्षिक सूचना विवरणी के संबंध में सूचना रिपोर्ट किए गए संव्यवहार) [कृपया कोड के लिए अनुदेश सं. 9(iv) देखिए]

क्रम सं.	संव्यवहार का कोड	☐	रकम (रु.)	SI	संव्यवहार का कोड	☐	रकम (रु.)
1	001	☐		5	005	☐	
2	002	☐		6	006	☐	
3	003	☐		7	007	☐	
4	004	☐		8	008	☐	

आय-कर के अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के कर के व्यौर

क्रम सं.	बैंक का नाम और शाखा	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख/मास/वर्ष	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

भाग ख-टीडीआई के क्रम सं. 11क और 11फ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग भरें

वेतन से खोत पर कटौती किए गए कर का व्यौर | कटौतीकर्ता द्वारा जारी प्रारूप 16 के अनुसार

क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभाय आय	अध्याय VI-क के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसके अंतर्गत अधिभार और शिक्षा उपकर भी हैं)	कटौती किया गया कुल कर	संदेय/प्रतिदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

अन्य आय से स्रोत पर कटीती किए गए कर का ब्यौरा [नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

क्रम सं.	कटीतीकर्ता का कर कटीती खाता संख्या (टैन)	कटीतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटीती किया गया कुल कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण :- कृपया भाग ख टीटीआई के 11ख में अनुसूची टीडीएस1 के स्तंभ 7 और अनुसूची टीडीएस2 के स्तंभ 7 का योग भरे।

अन्य आय से स्रोत पर संगृहीत किए गए कर के ब्यौरे [संग्रहकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]

क्र. सं.	कटीतीकर्ता का कर कटीती संख्याक (टीएएन)	कटीतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/विकसित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/विकसित हुई	कटीती किया गया कुल कर	वर्ष के दौरान (7) में से प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण :- भाग ख टीटीआई के क्रम संख्या 11ग में स्तंभ (7) का योग भरे

आय-कर के अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर के ब्यौरे

क्र. सं.	बैंक का नाम और शाखा	बीएसआर कोड	निकष की तारीख (मास वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

भाग ख-टीटीआई के क्रम सं. 9क और 9ग में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग दर्ज करें

वेतन से स्रोत पर की गई कर की कटीती [नियोजक (को) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

क्र. सं.	नियोजक का कर कटीती लेखा संख्या (टीएएन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभावी आय	अध्याय 6-क के अधीन कटीती	संदेय कर (जिसमें अधिभार और अतिरिक्त उपकर भी हैं)	धारा 192(1) के अधीन स्रोत पर कर कटीती	संदेय / प्रतिसंदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							
iii							

क्र. सं.	कटीतीकर्ता का कर कटीती संख्याक (टीएएन)	कटीतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/विकसित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/विकसित हुई	अधिभार और शिक्षा उपकर सहित संगृहीत कर	वर्ष के दौरान (7) में से प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						

टिप्पण :- भाग ख टीटीआई की क्रम संख्या 11 ग में स्तंभ 7 का योग भरे।

प्रारूप

आकृति - 5

भारतीय आयकर विवरणी
(अनुसूची फायुदा कर विवरणी सहित)
| फर्म, एओपी और सीओआई के लिए
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)
(संलग्न अनुदेश भी देखें)

निर्धारण वर्ष

2008-09

भाग II—खण्ड 3(ii)		साधारण		स्थायी लेखा संख्यांक	
नाम 921					
क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, कृपया पुराना नाम दें					
फ्लैट/हायर/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		विवरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान		प्राप्ति (फर्म-1, स्थानीय प्राधिकारी-2, सहकारी बैंक-3, सहकारी सोसाइटी-4, अन्य एओपी/ सीओआई कृतिम विधिक व्यक्ति-5) ☐		
नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड	वार- के अधीन फाइल की गई विवरणी (कोष्ठ प्रविष्ट करें)	आय कर	☐
ई-मेल पता	(एसटीडी कोड) फोन नं०		/ कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखें	अनुसूची फायदे	☐
निर्धारण अधिकारी का पदान	क्षेत्र कोड	एओ टाइप			
विवरणी मूल या पुनरीक्षित? (सही का निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनरीक्षित					
यदि पुनरीक्षित है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)			/ /		
निवास संबंधी प्राप्ति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं					
अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं					
क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं					
यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें-					
(क)	प्रतिनिधि का नाम				
(ख)	प्रतिनिधि का पता				
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा सं०				
क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखे रखने के लिए वायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं					
क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखे रखने के लिए वायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें					
(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम				
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या				
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)				
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)				
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख				

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्राप्ति सं०

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मोहर और हस्ताक्षर

[illegible]

क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश सं० १(ii) देखें)	कारबार या वृत्ति का स्वल्प, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद, बताएं	
		वर्णन	
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क. पीनस 31 मार्च, 2008 को यथाविद्यमान तुलन पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद 1 रं 5 मरें अन्यथा 6 भरें)

निधियों के स्रोत

निधियाँ

1	भागीदार/सदस्यता निधि				
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी			क
	ख	आरक्षितियाँ और अधिशेष			
	i	मुनर्ग्यंकन आरक्षिति	खi		
	ii	पूंजी आरक्षिति	खii		
	iii	कानूनी आरक्षिति	खiii		
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
	v	योग (खi+खii+खiii+खiv)	खv		
	ग	कुल भागीदारी सदस्य की निधि (क + खv)	1ग		
	2	ऋण निधि			
क		प्रतिभूत ऋण			
i		विदेशी करेंसी ऋण	का		
ii		रुपए ऋण			
अ		बैंकों से	iiअ		
आ		अन्यों से	iiआ		
इ		योग (iiअ+iiआ)	iiइ		
iii		योग (का+काii+ii ग)	कiii		
ख		अप्रतिभूत ऋण			
i		बैंकों से ऋण	खi		
ii	अन्य से	खii			
iii	योग (खi + खii)	खiii			
ग	योग ऋण निधि (कiii + खiii)			2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व			3	
4	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3)			4	
1	नियत आस्तियाँ				
	क	सकल : समूह	1क		
ख	अवक्षयण	1ख			

ग	शुद्ध समूह (क-ख)	1ग	
	घ प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ	
	ङ योग (1ग+1घ)		1ङ
2	विनिधान		
क	दीर्घकालिक विनिधान		
	i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ-कोट की गई	का	
	ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ-कोट न की गई	काII	
	iii योग (का+काII)		काIII
ख	व्यापार विनिधान		
	i साधारण शेयर	खा	
	ii अधिनामी शेयर	खII	
	iii डिबेंचर	खIII	
	iv योग (खा+खII+खIII)		खIV
ग	कुल विनिधान (काIII+खIV)		
3	चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम		
क	चालू आस्तियाँ		
	i कृषिदा		
	अ भंडार / खपत योग्य और पैकिंग सामग्री	iअ	
	आ कच्चा माल	iआ	
	इ प्रगतिगत स्टॉक	iइ	
	ई तैयार माल/व्यापारगत माल	iई	
	उ योग (iअ+iआ+iइ+iई)		iउ
	ii विविध देनदार		काII
	iii नकदी और बैंक अतिशेष		
	अ हाथ में नकदी	iii अ	
	आ बैंक में अतिशेष	iii आ	
	इ योग iii अ+iii आ)		iii इ
	iv अन्य चालू आस्तियाँ		काIV
	v कुल चालू आस्तियाँ (iउ+ काII+iiiइ+ क iv)		कV
ख	ऋण और अग्रिम		
	i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा	
	ii निक्षेप	खII	
	iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष, आदि	खIII	
	iv योग (खा + खII + खIII)		खIV
ग	योग (क v+ ख v)		3ग
घ	चालू दायित्व और उपबंध		
i	चालू दायित्व		
	अ विविध लेनदार	iअ	
	आ गेहूँ/मूत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
	क उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	iऊ	
	ए ऋण पर प्रोद्भूत किन्तु शोध नहीं ब्याज	iए	
	ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई)		iऐ
ii	उपबंध		
	अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
	आ अनुभूतिक फायदा कर के लिए उपबंध	ii आ	
	इ धन कर के लिए उपबंध	ii इ	
	ई छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षित-उपदान के लिए उपबंध	iiई	
	उ अन्य उपबंध	iiउ	
	ऐ योग (iiअ+iiआ+iiइ+iiई+iiउ+iiए)		ii ऐ
	iii योग (iऐ+iiऐ)		घIII
ङ	शुद्ध चालू आस्तियाँ (3ग-घIII)		3ङ
4	क अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
	ख आस्थगित कर आस्ति	4ख	

राज्य-हाजिरी लेख में प्रत्येक	ग	लाभ और हानि लेखा	4ग	
	घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
	5	विधियों के उपयोग का योग (1ख + 2ग + 3घ + 4घ)	5	
	6	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहीबंद नहीं रखी जाती है, कारबार या वृत्ति की लागत 31 मार्च, 2007 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
	क	विशेष देनदारों की कुल रकम	6क	
	ख	विशेष लेनदारों की कुल रकम	6ख	
	ग	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम	6ग	
	घ	नकद अतिशेष की रकम	6घ	

पूरवर्ष 2007-08 के लिए लाभ और हानि (उस दशा में जहां नियमित लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, मद 1 से 81 भरे, अन्यथा 52 भरे)

राज्य-हाजिरी लेख में प्रत्येक	1	कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्ति (शुद्ध विक्रयी और प्रतिद्वय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)	1	
	2	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त का प्राप्ति शुल्क, कर और उपकर		
		क संघ उत्पाद शुल्क	2क	
		ख सेवा कर	2ख	
		ग मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
		घ कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
		ज प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (1क+1ख+1ग+1घ)	2ज	
	3	अन्य आय		
		क किराया	3क	
		ख कमीशन	3ख	
		ग स्वाध्याय	3ग	
		घ व्याज	3घ	
		क विक्रय या निवृत्त आस्तियों पर लाभ	3क	
		ख ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संचयन कर के लिए प्रचार्य प्रतिभूतियां हैं	3ख	
		घ अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3घ	
		ज करों की उधार-बहाल पर लाभ	3ज	
		अ कृषि आय	3अ	
		अ कोई अन्य आय	3अ	
		ज अन्य आय का योग [(1) से (3)]	3ज	
राज्य-हाजिरी लेख में प्रत्येक	4	बंद स्टॉक	3द	
	5	लाभ-हानि लेख में जमा का योग (1+2क+3क+4)	4	
	6	आर्थिक स्टॉक	5	
	7	क्रय (शुद्ध प्रतिद्वय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)	6	
	8	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदेय या संदेय शुल्क और कर	7	
		क सीमा शुल्क	8क	
		ख प्रति शुल्क	8ख	
		ग विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
		घ संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
		क सेवा कर	8क	
		घ मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8घ	
		ख कोई अन्य कर, संदेय या संदेय	8ख	
		ज योग (8क+8ख+8ग+8घ+8क+8घ+8ख+8घ)	8ज	
राज्य-हाजिरी लेख में प्रत्येक	9	मादा	8ज	
	10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग	9	
	11	विद्युत और ईंधन	10	
	12	किराया	11	
	13	भयन की मरम्मत	12	
	14	मशीनरी की मरम्मत	13	
	15	कर्मचारियों को प्रतिकर	14	
		क वेतन और मजदूरी	15क	
		ख बोनस	15ख	

लेखा न होने का मापदण्ड	48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत बकाया	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम	49	
	50	आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित	50	
	51	स्वागतीदार के लेख में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (49-50)	51	
	52	उस दशा में, जहाँ कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियाँ नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2007-08 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
		क सकल प्राप्ति	52क	
		ख सकल लाभ	52ख	
		ग व्यय	52ग	
		घ शुद्ध लाभ	52घ	

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ या ☐ या ☐ नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ हा ☐ नहीं
	3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
		क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
		ग बन्धा स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	☐
		घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
	5	लाभ-हानि लेख में जमा न की गई रकम, जो:-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क
		ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख
		ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पुंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
		च लाभ-हानि लेख में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
	6	धारा 36 के अधीन नामजूर सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम-	
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मर्दे बीमा के लिए संदत प्रीमियम	6क
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत प्रीमियम	6ख
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्तर के रूप में अन्यथा संदेय थी	
		घ उधार ली गई पुंजी की बाबत संदत व्याज की कोई रकम	6घ
		ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ
		च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च
		छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ
		ज मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज
		झ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ
		ञ कूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ
		ट कूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबन्ध	6ट
		ठ किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम	6ठ
		ड कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के सर्वधन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड
		ढ नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ
		ण कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण
		त धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त
	7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकम	
		क व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क

7	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उत्सर्जन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ	
	च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
8	अ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)	7अ	
9	क	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(i)क और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अख	
	ग	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में रकम	अग	
	घ	अनुबंधों लाभ कर के रूप में संवत्त रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अङ	
	च	भवनकर के रूप में संवत्त रकम	अच	
	छ	किसी शरीरदार या सदस्य को संवत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अछ	
	ज	कोई अन्य अनुज्ञेय	अज	
	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अख से अज का योग)	9अ	
	आ	किसी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	9आ	
9 धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकसित रकम				
10	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संवत्त रकम	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अधीन एकाउंट पेई चेक या एकाउंट पेई बैंक ड्रॉफ्ट से भिन्न संवत्त रकम - 100% नामंजूर ;	9ख	
	ग	उपदान के सदाय के लिए उपबंध	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एजेंसी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संवत्त कोई राशि	9घ	
	ङ	कोई अन्य अनुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का कुल)	9च	
	ज	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क से 9च का कुल)	10ज	
10 किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
11	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी प्रतिष्ठ निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वितीय संस्था या राज्य वितीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	कुट्टी नकदीकरण पर संदेय कोई रकम	10च	
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)	10ज	
	अ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग)	11अ	
11 पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखों में विकसित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम				
12	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी प्रतिष्ठ निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
	घ	किसी लोक वितीय संस्था या राज्य वितीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
	च	कुट्टी नकदीकरण पर संदेय कोई रकम	11च	

च	कुट्टी नकदीकरण पर संदेय कोई रकम	11घ	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुसूची कुल रकम (11क से 11घ का योग)	11घ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्येक की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	कोई अन्य कर	12घ	
ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)	12ङ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाम समझी गई रकम	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाव्य लाभ की कोई रकम	14	
15	साम-हानि लेखों में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या ध्वय की रकम	15	

परिणालक ब्योरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

(क) व्यापारिक समुत्थान की दशा में		
1	आरंभिक स्टॉक	1
2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
4	बंद स्टॉक	4
5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5
(ख) विनिर्माण समुत्थान की दशा में		
6	कच्ची सामग्री	
क	आरंभिक स्टॉक	6क
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
ङ	बंद स्टॉक	6ङ
च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च
छ	आवृत्ति का प्रतिशत	6छ
ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज
7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद	
क	आरंभिक स्टॉक	7क
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख
ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ
ङ	बंद स्टॉक	7ङ
च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च

भोग राशि कुल आय कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाम		
i	सर्टिफिकेट के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-बीपी का ए 37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i	
ii	सर्टिफिकेट के कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-बीपी का बी 41) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	2ii	
iii	योग (2i+2ii) (यदि हानि है तो शून्य लिखें और इस अंक को अनुसूची सीआईएलए की हानि में लें)	2iii	
3	सूजी अभिलाम		
क	अल्पकालिक		
i	अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची-सीजी का का7) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कi	
ii	अल्पकालिक (अन्य) (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची-सीजी का क8) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कii	
iii	कुल अल्पकालिक (3कi+3कii)	3कiii	
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची-सीजी का बी6) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3ख	

ग	कुल पूँजी अभिलाष (3क+1+3ख)(अनुसूची सीआईएलए में समायोजित अंक हैं)	3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
क	लौक के धोड़ों के स्वामित्व से निम्न स्रोत से (अनुसूची ओएस का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4क	
ख	लौक के धोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची ओएस का 4ग)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4ख	
ग	योग (क+ख)	4ग	
5	योग (1+2ग+3ग+4ग)	5	
6	6 के संबंध में मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीआईएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के परन्तु अतिरिक्त (6-7)	7	
8	8 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रणी की गई हानि या (अनुसूची बीएफएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)	8	
9	सकल कुल आय (6-7-8)(अनुसूची बीएफएलए के 5viii की)	9	
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 6क का ट)	10	
11	कुल आय (10-11)	11	
12	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4)	12	
13	कुल आय (11+12)	13	
14	अग्रणी की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)	14	

भाग 234-अ और 234-ग
व्यक्तिगत

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
क	सामान्य दरों पर कर	1क	
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का 11)	1ख	
ग	कुल आय पर संदेय कर (1क+1ख)	1ग	
2	धारा 88के के अधीन रिबेट (अनुसूची एसटीटीआर का 4)	2	
3	बकाया कर संदेय (1-2)	3	
4	3 पर अधिभार	4	
5	(3+4) पर शिक्षा छूटकर, जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी हैं	5	
6	सकल कर दायित्व (3+4+5)	6	
7	कर राहत		
क	धारा 90	7क	
ख	धारा 91	7ख	
ग	योग (7क+7ख)	7ग	
8	शुद्ध कर दायित्व (6-7ग)	8	
9	संदेय ब्याज		
क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	9क	
ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	9ख	
ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	9ग	
घ	संदेय कुल बकाया (9क+9ख+9ग)	9घ	
10	कुल दायित्व (8+9घ)	10	
11	संदत कर		
क	अग्रिम कर (अनुसूची-आईटी से)	11क	
ख	स्रोत पर काटा गया कर (अनुसूची-टीडीएस का स्तंभ 7)	11ख	
ग	टीसीएस (अनुसूची-सीटीएस का स्तंभ 7)	11ग	
घ	स्वतः निर्धारण (अनुसूची-आईटी से)	11घ	
ङ	कुल संदत कर (11क+11ख+11ग+11घ)	11ङ	
12	संदेय रकम (यदि 10, 11ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें) (10-11-5)	12	
13	प्रतिदाय (यदि 11ङ, 10 से अधिक है, अनुसूची-बीए में बैंक खाते के बारे में है)	13	

संदत कर

भाग-ग

भाग ग		अनुबंधी फायदों और अनुबंधी फायदा कर की संगणना	
अनुबंधी फायदों की संगणना	1	अनुबंधी फायदों का मूल्य	
		क पहली तिमाही के लिए	1क
		ख दूसरी तिमाही के लिए	1ख
		ग तीसरी तिमाही के लिए	1ग
		घ चौथी तिमाही के लिए	1घ
		ङ कुल अनुबंधी फायदे (1क+1ख+1ग+1घ)	1ङ
	2	संदेय अनुबंधी फायदा कर [1ङ का 30%]	2
	3	2 पर अधिभार	3
	4	(2+3) पर शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	4
	5	कुल अनुबंधी फायदा कर दायित्व (2+3+4)	5
6	संदेय ब्याज		
	क अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 115बअ)	6क	
	ख विवरणी फाइल करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 115बट)	6ख	
	ग संदेय कुल ब्याज	6ग	
7	कुल दायित्व (5+6ग)	7	
8	संदत कर		
	क अग्रिम अनुबंधी फायदा कर (अनुसूची-एफबीटी से)	8क	
	ख स्वतः निर्धारण पर (अनुसूची-एफबीटी से)	8ख	
	ग कुल संदत कर (8क+8ख)	8ग	
9	संदेय कर (यदि 7, 8ग से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	9	
10	प्रतिदाय (यदि 8ग, 7 से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	10	

सत्यापन

मैं..... (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में, जो.....) का पुत्र/की पुत्री हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और उसमें दर्शित कुल आय/अनुबंधी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियाँ निर्धारण वर्ष 2008-09 से सुरुवात पूर्ववर्ष के लिए आयकर से प्रभावी आय और अनुबंधी फायदों की बाबत सही कथित की गई है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं..... की अपनी हेसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी देने और इसे सत्यापित करने के लिए भी राज़म हूँ।

यहां हस्ताक्षर करें→

तारीख

स्थान

अनुसूची-ए		प्रतिदाय की दशा में, कृपया उस बैंक खाते की बाबत निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है।	
1	अपना बैंक खाता संख्यांक लिखें (प्रतिदाय की दशा में अनिवार्य)		
2	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ चेक, या ☐ आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं? (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)		
3	आपके बैंक खाते में सीधे जमा करने की दशा में, अतिरिक्त ब्यौरे दें		
एमआईसीआर कोड		खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)	☐ बचत ☐ चालू

अनुसूची-एचपी		गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे	
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर
		सही का निशान ☒ यदि किराए पर दिया है ☐	राज्य
		किराएदार का नाम	पिनकोड
		किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	
		क वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया (अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)	1क
		ख किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख
		ग कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	1ग
		घ योग (1ख+1ग)	1घ
		ङ बकाया (1क+1घ)	1ङ
		च 1ङ का 30%	1च
	छ उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ	
	ज योग (1घ+1छ)	1ज	
	झ गृह संपत्ति से आय 1(1ङ-1ज)	1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य
	सही का निशान ☒ यदि किराए पर दिया है ☐	पिनकोड	
	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)	

17	धारा 40क के अधीन अनुसूच्य लाभ तक लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम (भाग ओ आई का 8क)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकसित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुसूच्य है	18	
19	सूच्य सन्तु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2008 की धारा 23 के अधीन अनुसूच्य ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन स्मझौती गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखग/ 72क/ 80जगध/ 80इक के अधीन स्मझौती गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य सघ या मई	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ अनुसूच्य न किया कोई अन्य सघ (जिसके अंतर्गत इन धर्मा से जिसमें विधिविती भागीदार है, बोनस, कमीशन, मोनर और ब्याज से आय भी है)	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	24	
25	धारा 32 (i) (iii) के अधीन अनुसूच्य कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुसूच्य कटौती (अनुसूची 1एसआर का मध vii (4))	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुसूच्य किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुसूच्य रकम	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुसूच्य किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुसूच्य कोई रकम (भाग ए-अ का 10ख)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम	29 क	
	ख अनुसूच्य कटौती	29ख	
	ग कटौती के रूप में अनुसूच्य अधिक रकम (खख-खक)	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुसूच्य कोई अन्य रकम	30	
31	कुल (25 + 26 + 27 + 28 + 29ग + 30)	31	
32	अव (13 + 24 - 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	
	iii धारा 44कच	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44घ	33	
	ix धारा 44घक	33ix	
	x अध्याय-XII-घ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
	xii कुल(33i से 33xi)	33xii	
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-		
	i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का घ)	35iii	
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का घ)	35iv	
	v योग	35v	
36	सट्टे के कारबार से निम्न, कारबार या भूति से शुद्ध लाभ या हानि (34- 35v)	36	
37	कारबार या भूति से शुद्ध लाभ या हानि नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय वही जो ऊपर 36 में है)	अ 37	
अ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
	38 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38	
	39 धारा 28 to 44घ के अनुसार परिवर्तन	39	
	40 धारा 28 to 44घ के अनुसार कटौतियां	40	
	41 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	अ 41	
ब	लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रचार्य आय (अ 37 + अ 41)		

संबंध और मशीनरी पर अवकाश	संबंध और मशीनरी पर अवकाश							
	1	संबंध और मशीनरी						
	2	15	30	40	50	60	80	100
	3	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							

संबंध और मशीनरी पर अवकाश	संबंध और मशीनरी पर अवकाश							
	1	संबंध और मशीनरी						
	2	15	30	40	50	60	80	100
	3	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							

16	बारा 50 के अधीन पुंजी अभिलेख/हानि* (5+8-3-4-7-15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि कोई नहीं है)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+9-14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

प्रत्येक अवलोकन पर
अवकाश का सार

आस्तियों पर अवकाश का सार

आस्तियों पर अवकाश का सार	1	संव्यंत्र और मशीनरी			
	क	15 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	1क		
	ख	30 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ख		
	ग	40 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1ग		
	घ	50 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1घ		
	ङ	60 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14v)	1ङ		
	च	80 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1च		
	छ	100 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1छ		
	ज	संव्यंत्र और मशीनरी पर कुल अवकाश (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	1ज		
	2	मकान			
	क	5 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	1क		
	ख	10 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ख		
	ग	100 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ग		
	घ	मकान पर कुल अवकाश	2घ		
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम-14iv)	3		
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीपीएम-14v)	4		
	5	मोत (अनुसूची डीपीएम-14vi)	5		
	6	कुल अवकाश (1ज+2घ+3+4+5)	6		

अनुसूची डीपीएम-16 अवकाशणीय आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पुंजी अभिलेख

1	संव्यंत्र और मशीनरी			
क	15 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क		
ख	30 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख		
ग	40 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iii)	1ग		
घ	50 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iv)	1घ		
ङ	60 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16v)	1ङ		
च	80 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vi)	1च		
छ	100 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vii)	1छ		
ज	संव्यंत्र और मशीनरी पर कुल अवकाश (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)	1ज		
2	मकान			
क	5 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क		
ख	10 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख		
ग	100 प्रतिशत की दर से अवकाश के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ग		

2	भवन		
	क 5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क	
	ख 10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख	
	ग 100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ग	
	घ भवन पर कुल अवक्षयण	2घ	
3	कर्मचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम-16iv)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीपीएम-16v)		4
5	भोत (अनुसूची डीपीएम-16vi)		5
6	योग (1क+2घ+3+4+5)		6

क्र. सं.	धारा	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुक्रम कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुक्रम कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अ)			
vi	35(2आ)			
vii	योग			

अनुसूची-पूँजी अभिलेख पूँजी अभिलेख

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलेख	
1	मंद विक्रय से	
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख
	ग मंद विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलेख	1ग
	घ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च के अधीन कटौती	1घ
	ङ मंद विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूँजी अभिलेख	1ङ
2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्तियों से	2
3	अन्य आस्तियों से	
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां	
	i अर्जन की लागत	खi
	ii सुधार की लागत	खii
	iii अंतरण पर व्यय	खiii
	iv योग (खi+खii+खiii)	खiv
	ग बकाया (3क-खiv)	3ग
	घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि यदि कोई हो (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ
	ङ धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	3ङ
	च अल्पकालिक पूँजी अभिलेख (3ग-3घ-3ङ)	3च
4	अवश्या आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलेख (अनुसूची-डीसीजी का 6)	4
5	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलेख समझी गई रकम	5
6	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलेख (1ङ+2+3च+4+5)	6
7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलेख	7
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूँजी अभिलेख (6-7)	अ8
आ	दीर्घकालिक पूँजी अभिलेख	
1	मंदी में विक्रय से	
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख
	ग मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलेख	1ग
	घ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54च के अधीन छूट	1घ
	ङ मंद विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूँजी अभिलेख	1ङ
2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्ति	2
3	अन्य आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया	
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां	
	i सूचीकरण के परचातु अर्जन की लागत	खi
	ii सूचीकरण के परचातु सुधार की लागत	खii

पूँजी अभिलेख

	iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
		iv योग (ख+खii+खiii)	खiv	
ग	अतिरिक्त (3क-खiv)			
		घ धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54ज के अधीन छूट	3घ	
ख	शुद्ध अतिरिक्त (3ग-3घ)			3ङ
4	अन्य आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परन्तु के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया			
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		3क	
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत		खi	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण पर व्यय		खiii	
		iv योग (खi+खii+खiii)	खiv	
ग	अतिरिक्त (4क-खiv)		4ग	

	घ धारा 54ङ/54घ के अधीन कटौती	4घ			
	ङ शुद्ध अतिरिक्त (3ग-3घ)		3ङ		
5	धारा 50ख/54ख/54घ/54ङ/54च/54ज/54जक के अधीन कटौती		5		
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष (1ख(यदि हानि है तो शून्य लिखें)+2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें)+4 ङ(यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 5)		आ6		
इ	“पूँजी अभिलाष” शीर्ष के अधीन प्रभाव आय (क8 + ख6)(यदि हानि है तो ख6 को शून्य लिखें)		इ		
ई	पूँजी अभिलाष के प्रादुर्भाव होने/प्राप्ति के बारे में जानकारी				
	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (iii) से	16/12 से 15/3 (iii) से	16/3 से 31/3 (iv) से
1	दीर्घकालिक				
2	अल्पकालिक				

अनुसूची अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	घुड़दौड़ के स्वामित्व से निम्न आय	
	क	स्वामित्व, सकल	1क
	ख	ब्याज, सकल	1ख
	ग	मशीनरी, संयंत्र, नवन से किराए की आय	1ग
	घ	अन्य, सकल	1घ
	ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)	1ङ
	च	धारा 57 के अधीन कटौती	
	i	व्यय	चi
	ii	अवक्षयण	चii
	iii	योग	चiii
	च	अतिरिक्त (1ङ-चiii)	1च
	2	लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ आदि से जीत	2
	3	अन्य स्रोत से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से निम्न) (1च+2) (यदि हानि है तो शून्य के रूप में 1च लिखें)	3
	4	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुकरण से आय	
	क	प्राप्तियाँ	4क
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4ख
	ग	अतिरिक्त (2क-2ख)	4ग
	5	“अन्य स्रोत से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाव आय (3+4ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि के अंक को अनुसूची सीएफएल में दें)	5

अनुसूची संगत

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के बारे में

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि		मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे की हानि से निम्न)		मुजरा की गई चालू वर्ष की अन्य स्रोत से हानि (घुड़दौड़ से हानि से निम्न)		मुजरा के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			कुल हानि (अनुसूची-एचपी का 4ग)		कुल हानि (अनुसूची-बीपी का अ37)		कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 3)		
		1	2		3		4		5=1-2-3-4
समायोजित होने वाली हानि	i	गृह संपत्तियाँ							
	ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)							
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाष							

iv	दीर्घकालिक अभिलेख					
v	अन्य स्रोत (दीर्घ के घोटों के स्वाधित से लाभ रहित)					
vi	मुजरा की गई कुल हानि					
vii	मुजरे के परचात् रोष बची हानि					

अग्रणीत हानि समायोजन						
क्र.सं.	आय का स्रोत/जोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के परचात्	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवलक्षण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक	मुजरे के परचात् चालू वर्ष की रोष आय
		1	2	3	4	5
i	वेतन					
ii	गृह संपत्ति					
iii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)					
iv	अल्पकालिक पूंजी अभिलेख					
v	दीर्घकालिक पूंजी अभिलेख					
vi	अन्य स्रोत (दीर्घ के घोटों के स्वाधित से लाभ)					
vii	योग					
योग (i + ii + iii + iv + v + vi)						

अग्रणीत हानि समायोजन									
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	काइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (घुसदीक से हानि से भिन्न)	अन्य स्रोत से हानि (दीर्घ के घोटों के स्वाधित से)
i	2000-01								
ii	2001-02								
iii	2002-03								
iv	2003-04								
v	2004-05								
vi	2005-06								
vii	2006-07								
viii	2007-08								
ix	पूर्ववर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची सीवाईएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन								
xi	2008-09 (चालू वर्ष की हानि)								
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि								

अग्रणीत हानि समायोजन									
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	काइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (घुसदीक से हानि से भिन्न)	अन्य स्रोत से हानि (दीर्घ के घोटों के स्वाधित से)
1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवास्थित यूनिटों की बाबत कटौती								
	क उपक्रम सं० 1								
	ख उपक्रम सं० 2								
	ग उपक्रम सं० 3								
	घ उपक्रम सं० 4								
	ङ उपक्रम सं० 5								
	घ योग (1ख+1ख+1ग+1घ+1ङ)								
2	इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवास्थित यूनिटों की बाबत कटौती								
	क उपक्रम सं० 1								
	ख उपक्रम सं० 2								
	ग उपक्रम सं० 3								
	घ योग (2क+2ख+2ग)								

3	मुक्त व्यापार क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटीती			
	क उपक्रम सं० 1	3क		
	ख उपक्रम सं० 2	3ख		
	ग उपक्रम सं० 3	3ग		
	घ योग (3क+3ख+3ग)		3घ	
4	नियोजित प्रसंस्करण जाने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटीती			
	क उपक्रम सं० 1	4क		
	ख उपक्रम सं० 2	4ख		
	ग उपक्रम सं० 3	4ग		
	घ योग (4क+4ख+4ग)		4घ	
5	विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जाने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटीती			
	क उपक्रम सं० 1	5क		
	ख उपक्रम सं० 2	5ख		
	ग उपक्रम सं० 3	5ग		
	घ योग (5क+5ख+5ग)		5घ	
6	धारा 10क के अधीन कुल कटीती (1घ+2घ+3घ+4घ+5घ)			6

अनुसूची-10कक

धारा 10कक के अधीन कटीती

धारा 10कक के अधीन कटीती	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटीतियाँ			
	क उपक्रम सं० 1	क		
	ख उपक्रम सं० 2	ख		
	ग उपक्रम सं० 3	ग		
	घ योग (क+ख+ग)		घ	

अनुसूची-10ख

धारा 10ख के अधीन कटीती

धारा 10ख के अधीन कटीती	शत प्रतिशत नियोजित यूनिटों की बाबत कटीती			
	क उपक्रम सं० 1	क		
	ख उपक्रम सं० 2	ख		
	ग उपक्रम सं० 3	ग		
	घ उपक्रम सं० 4	घ		
	ङ उपक्रम सं० 5	ङ		
	च योग (क+ख+ग+घ+ङ)		च	

अनुसूची-10खक

धारा 10खक के अधीन कटीती

धारा 10खक के अधीन कटीती	शत प्रतिशत नियोजित यूनिटों की बाबत कटीती			
	क उपक्रम सं० 1	क		
	ख उपक्रम सं० 2	ख		
	ग उपक्रम सं० 3	ग		
	घ उपक्रम सं० 4	घ		
	ङ उपक्रम सं० 5	ङ		
	च योग (क+ख+ग+घ+ङ)		च	

अनुसूची-80

धारा 80छ के अधीन कटीती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे	अ	100% कटीती के लिए पात्र संदान		
		अदाता का नाम और पता		संदान की रकम
		i		अi
		ii		अii
		iii		अiii
		iv		अiv
		v		अv
		vi	योग	अvi
	आ	जहां अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, वहां 50% कटीती के लिए पात्र संदान		
		अदाता का नाम और पता		संदान की रकम
		i		आi
		ii		आii
		iii		आiii
		iv		आiv
		v		आv
		vi	योग	आvi

इ जहां अदाता का धारा 80(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान		अदाता का स्थायी लेखा सं०	संदान की रकम
अदाता का नाम और पता			
i		इi	
ii		इii	
iii		इiii	
iv		इiv	
v		इv	
vi योग		इvi	
कुल संदान (अvi + आvi + इvi)		इ	

अनुसूची 80-अ		धारा 80-अ के अधीन कटौतियां	
धारा 80-अ के अधीन कटौतियां	क धारा 80-अ(4)(i) में निर्दिष्ट उद्यम के लोगों की बाबत कटौती (अवसररचना सुविधा)	क	
	ख धारा 80-अ(4)(ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लोगों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख	
	ग धारा 80-अ(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लोगों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग	
	घ धारा 80-अ(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लोगों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ	
	ङ धारा 80-अ(4)(v) में निर्दिष्ट उपक्रम के लोगों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अ(40) (vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लोग की बाबत कटौती (देश से बाहर प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	
	च धारा 80-अ के अधीन कुल कटौती	च	

अनुसूची 80-अ		धारा 80-अ के अधीन कटौतियां	
धारा 80-अ के अधीन कटौतियां	क धारा 80अ(3) में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की बाबत उपक्रम की बाबत कटौती	क	
	ख जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80अ(4))	ख	
	ग आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80अ(4))	ग	
	घ औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80अ(5))	घ	
	ङ बहुविध घियेटर की दशा में कटौती (धारा 80अ(7क))	ङ	
	च कन्वेनर केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा 80अ(7ख))	च	
	छ वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा 80अ(8क))	छ	
	ज ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा 80अ(9))	ज	
	झ गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80अ(10))	झ	
	ञ प्रसूतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80अ(11))	ञ	
	ट फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80अ(11क))	ट	
	ठ अनाज की संचलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80अ(11क))	ठ	
	ड ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 80अ(11ख))	ड	
	ड धारा 80अ के अधीन कुल कटौती (क से ड का योग)	ड	

अनुसूची 80-अ ग 80अड		धारा 80-अ ग 80अड के अधीन कटौतियां	
धारा 80-अ ग के अधीन कटौती	1 सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	1	
	2 हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	2	
	3 उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	3	
	4 पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		
	क असम	4क	
	ख अरुणाचल प्रदेश	4ख	
	ग मणिपुर	4ग	
	घ मिजोरम	4घ	
	ङ मेघालय	4ङ	
	च नागालैंड	4च	
	छ त्रिपुरा	4छ	
	ज पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (4क से 4छ का योग)	4ज	
	5 धारा 80अ ग या 80अड के अधीन कुल कटौती (1+2+3+4ज)	5	

अनुसूची-6अ: अध्याय 6क के अधीन, 7 टीलियां					
कुल कटीलियां	क 80ए		घ 80एक (अनुसूची 80अक का 8)		
	ख 80एक		छ 80एग/80अक (अनुसूची 80अक/80अक का 5)		
	ग 80एग		ज 80अक/80अक (अनुसूची 80अक का 5)		
	घ 80अक (अनुसूची 80अक का च)		झ 80अक		
	ड 80अकख (अनुसूची 80अक का द)		ञ 80अ		
ट अध्याय 6क के अधीन कुल कटीली (क से ज का योग)					
					ट

अनुसूची एराटीटीसी धारा 88ड के अधीन रिबेट					
एसटीटी रिबेट	1 कारबार या वृत्ति से लाभ होने के अधीन प्रभाय प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभाय संव्यवहार से उद्भूत और सकल योग में सम्मिलित आय				
	i जो अनुसूची-बीपीके क34 में सम्मिलित गैर सट्टेबाजी के कारबार से है-	ii			
	ii जो अनुसूची-बीपीके ख38 में सम्मिलित सट्टेबाजी के कारबार से है-	iii			
	iii योग				iii
	2 कर की औसत दर पर ऊपर (1)(iii) पर संदेय कर	2			
3 प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभाय संव्यवहार पर वर्ष के दौरान संदेय प्रतिभूति संव्यवहार कर, जा वर्ष के दौरान करबार के प्रक्रम में किए गए हैं		3			
	4 (2) और (3) के निम्नतर, धारा 88ड के अधीन रिबेट				4

अनुसूची एसआई		विशेष दर झख से आयकर से प्रभाय आय (धारा कोड और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-9(iii) देखें)									
क्र.सं.	धारा कोड	वि	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii	क्र.सं.	धारा कोड	ख	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1		☐				6		☐			
2		☐				7		☐			
3		☐				8		☐			
4		☐				9		☐			
5		☐				10		☐			
11	योग (1ii से 10ii)										

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौर (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)					
छूट प्राप्त आय	1 व्याज आय			1	
	2 लाभांश आय			2	
	3 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर संदेय किया गया है			3	
	4 शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अप्रयोजित की जाने वाली आय से भिन्न)			4	
	5 कर्म/एओपी आदि पर लाभांश			5	
	6 अन्य			6	
	7 योग (1+2+3+4+5+6)			7	

अनुसूची-एफटीआई अनुसूची फायदों के मूल्य की संगणना से संबंधित जानकारी					
अनुसूची फायदा जानकारी	1 क्या आपके पास भारत में और बाहर दोनों में आधारित कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें				☐
	2 यदि 1 का उत्तर हां है, तो क्या आप भारतीय और विदेशी प्रचालनों के लिए पृथक लेखा बहियां रख रहे हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें				☐
	3 कर्मचारियों की कुल संख्या				
	क भारत में कर्मचारियों की कुल संख्या			3क	
	ख भारत के बाहर कर्मचारियों की कुल संख्या			3ख	
	ग कर्मचारियों की कुल संख्या			3ग	

अनुसूची फायदों

अनुसूची फायदों के मूल्य की संगणना

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	व्यय की रकम/मूल्य	प्रतिशत	अनुसूची फायदों का मूल्य	
				iv = ii x iii ÷ 100	iv
1	कर्मचारियों या उनके कुटुंब के सदस्यों की निजी यात्राओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त या रियायती टिकट (स्तंभ ii में मूल्य, कर्मचारी द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई रकम से घटाकर आई साधारण जनता के लिए टिकट की लागत होगी)	11i	100		11iv
2	कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या निर्गत साधारण होयर द्वारा [115बख (1) (घ)] [निहित तारीख को उचित बाजार मूल्य और कर्मचारी से वसूल की गई या उसके द्वारा संदत्त रकम के बीच का अंतर] और कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी की बाबत एक लाख रुपये से अधिक)	2ii	100		2iv
3	मनोरंजन	3ii	20		3iv
4	क कारा 4ख या घारा 4ग या 4घ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में आतिथ्य	कii	20		कiv
	ख होटल के कारबार में आतिथ्य	खii	5		खiv
	ग वायुयान द्वारा यात्री या माल के वहन के कारबार में आतिथ्य	गii	5		गiv
	घ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में आतिथ्य	घii	5		घiv
5	सम्मेलन (कर्मचारियों द्वारा किसी सम्मेलन में लाभ लेने के लिए फीस से भिन्न)	5ii	20		5iv
6	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है (घारा 115बख (2) (घ) के परंतुक में निर्दिष्ट विज्ञापन पर किसी व्यय को छोड़कर)	6ii	20		6iv
7	कर्मचारी कल्याण	7ii	20		7iv
8	क रुख या 8ग या 8घ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में वाहन	कii	20		कiv
	ख संनिर्माण के कारबार में वाहन	खii	5		खiv
	ग औषध के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में वाहन	गii	5		गiv
	घ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में वाहन	घii	5		घiv
9	क रुख या 9ग या 9घ या 9ङ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	कii	20		कiv
	ख औषध के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	खii	5		खiv
	ग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	गii	5		गiv
	घ वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	घii	5		घiv
	ङ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	ङii	5		ङiv
10	मोटरकारों की मरम्मत, चालू करना (इंधन सहित), अनुरक्षण और क मोटरकार द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार से भिन्न कारबार में उस पर अवशयन की रकम	कii	20		कiv
	ख मोटरकारों की मरम्मत, चालू करना (इंधन सहित), अनुरक्षण और क मोटरकार द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में उस पर अवशयन की रकम	खii	5		खiv
11	वायुयानों की मरम्मत, चालू करना (इंधन सहित), अनुरक्षण और वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार से भिन्न कारबार में उस पर अवशयन की रकम	11ii	20		11iv
12	घट्टे पर टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का प्रयोग (मोबाइल फोन सहित)	12ii	20		12iv
13	अशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त वास सुविधा से भिन्न आतिथ्य गृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुरक्षण	13ii	20		13iv
14	उत्सव समारोह	14ii	50		14iv
15	स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का प्रयोग	15ii	50		15iv
16	किसी अन्य स्वस्थ सुविधाओं का प्रयोग	16ii	50		16iv
17	दान	17ii	50		17iv
18	अध्ययनाभ्युति	18ii	50		18iv
19	पर्यटन और यात्रा (विदेश यात्रा सहित)	19ii	5		19iv
20	अनुसूची फायदों का मूल्य (स्तंभ iv का योग)				20iv
21	यदि अनुसूची अनुसूची फायदा जानकारी के स्तंभ 1 का उत्तर नहीं है तो अनुसूची फायदों का मूल्य (20iv के समान)				21iv
22	यदि अनुसूची अनुसूची फायदा जानकारी के 2 का उत्तर है तो अनुसूची फायदों का मूल्य (20iv के समान)				22iv
23	यदि अनुसूची अनुसूची फायदा जानकारी के 2 का उत्तर नहीं है तो अनुसूची फायदों का मूल्य (अनुसूची फायदा जानकारी का 20iv x 3क + अनुसूची फायदा जानकारी का 3ग)				23iv
24	अनुसूची फायदों का मूल्य (यथास्थिति 21iv या 22iv या 23iv)				24iv

अनुसूची फायदों का मूल्य

टिप्पण ►

* यदि अनुसूची-अनुबंधी फायदा जानकारी के 2 का उत्तर हाँ है तो भारतीय प्रचालनों के लिए रखी गई लेखा बहियों के आधार पर 1911 में अंक प्रविष्ट करें।

अनुसूची आयकर

अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (रु०)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

टिप्पण ►

भाग छ-टीडीआई के क्र० सं० 11क और 11घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।

अनुसूची आयकर

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [कटौतीकर्ता द्वारा जारी प्ररूप 16 क के अनुसार]

क्र.सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						

अनुसूची-टीडीआई

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे | संग्रहकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार

क्र.सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती संख्या (टीएएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुभूतिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/विकलित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुभूतिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/विकलित हुई	कटौती किया गया कुल कर	वर्ष के दौरान (6) में से प्रत्येक वर्ष के रकम में अनुज्ञात की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

अनुसूची एफगीटी

अनुबंधी फायदा कर के संदाय के ब्यौरे

क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (रु०)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

भाग-ग के 8क और 8ख में v का योग प्रविष्ट करें।

प्रकरण

आकावि -6

भारतीय आयकर विवरणी
(अनुबंधी फायदे कर आय विवरणी सहित)
[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कंपनियों से भिन्न कंपनियों के लिए]
[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]
(सलग्न अनुदेशों को भी देखें)

निर्धारण वर्ष

2008-09

भाग क साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	नाम					स्थायी लेखा संख्यांक				
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें									
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०		परिसर/भवन/ग्राम का नाम			निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)				
	सड़क /मार्ग/डाक घर		क्षेत्र/अवस्थान			यदि देशी कंपनी है (निशान लगाएं) ☐				
	जिला		राज्य		पिन कोड		यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)			
ई मेल पता					(एसटीडी कोड)-दूरभाष संख्या					
फाइल करने की प्रक्रिया	निर्धारण अधिकारी का पदनाम		क्षेत्र कोड	नि०आ० प्रकार	रेज कोड	नि.आ. सं०	धारा के अधीन फाइल की गई विवरणी (प्रविष्टि कोड) [कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखें]		आयकर अनुबंधी फायदे	
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित (निशान लगाएं) ☐ मूल ☐ पुनरीक्षित									
	यदि पुनरीक्षित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्टि करें									
	आवासीय प्रस्थिति (निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी परंतु मामूली निवासी नहीं									
	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं									
संपरिक्षा जानकारी	क्या निर्धारती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं									
	यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें									
	(क)	प्रतिनिधि का नाम								
	(ख)	प्रतिनिधि का पता								
	(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक								
क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं										
क्या आप धारा 44क के अधीन संपरिक्षा के लिए दायी हैं (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं										
यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें										
(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम									
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या									
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)									
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)									
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख									

कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
रसीद संख्या

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

धारक

प्रति

कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें ☐

यदि समनुषंगी कंपनी है तो धारक कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें

यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें

कारबार संगठन

समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का नाम लिखें

सामामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का नाम लिखें

अदीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी का नाम लिखें

परिणामिक कंपनी की दशा में, अदीलीन कंपनी का नाम लिखें

प्रमुख व्यक्ति

प्रबंध निदेशकों, निदेशक सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए पर थे

क्रम सं०	नाम	पद नाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक

शेयर धारकों की सूचना

उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय 10% से अत्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे

क्रम सं०	नाम	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक

कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार

कंपनी का स्वरूप

क्र.सं.	वर्णन	कोड
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में वर्णित परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं	(निर्देशन लगाएं) ☒
2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं	☐ हा ☐ नहीं
3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अत्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।	☐ हा ☐ नहीं
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में वर्णित परिभाषित बैंककारी कंपनी हैं	☐ हा ☐ नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं	☐ हा ☐ नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)	☐ हा ☐ नहीं
7	क्या आप गैर सरकारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं	☐ हा ☐ नहीं

कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें

क्र.सं.	वर्णन	कोड
	[कृपया अनुदेश संख्या 9 (ii) देखें]	
(i)		

(ii)		
(iii)		

भाग के तुलन पत्र 31 मार्च, 2008 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

निधियों के स्रोत

1	शेयर धारक की निधि		
	क शेयर पूंजी		
	i प्राधिकृत	का	
	ii पुरोघृत, अशुद्ध और संवत्	काii	
	iii शेयर उपयोगन धन	काiii	
	iv कुल (का + काii + काiii)	काiv	
	ख आरक्षित और अतिशेष		
	i पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा	
	ii पूंजी आरक्षित	खाii	
	iii पूंजी मोचन आरक्षित	खाiii	
	iv प्रतिभूति प्रिमियम लेखा	खाiv	
	v डिबेन्चर मोचन आरक्षित	खv	
	vi कानूनी आरक्षित	खvi	
	vii साधारण आरक्षित	खvii	
	viii लाभ और हानि लेखा	खviii	
	ix कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii)	खाix	
	ग कुल शेयर धारक निधि (काiv + खाix)	1 ग	
2	ऋण निधि		
	क प्रतिभूत ऋण		
	i डिबेन्चर	का	
	ii विदेशी करेन्सी ऋण	काii	
	iii रुपए ऋण		
	क बैंकों से	का	
	ख अन्य से	का	
	ग योग (का + काii + काiii)	का	
	iv योग (का + काii + काiii)	काiv	
	ख अप्रतिभूत ऋण		
	i दीर्घकालिक		
	क बैंकों से	का	
	ख अन्य से	का	
	ग कुल (का + काii)	का	
	ii अल्पकालिक		
	क बैंकों से	का	
	ख अन्य से	का	
	ग कुल (का + काii)	का	
	iii योग (का + काii)	काiii	
	ग योग ऋण निधि (काiv + काiii)	2 ग	
3	आस्थगित घर दायित्व		3
4	निधि के स्रोत (1 ग + 2 ग + 3)		4
1	स्थिर आस्ति		
	क सकल ब्लाक	1 क	
	ख अवक्षयण	1 ख	
	ग शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1 ग	

	घ पूंजी कार्य में प्रगति	I घ	
	ङ कुल (I ग + I घ)		I घ
2	विनिधान		
	क दीर्घकालिक विनिधान		
	i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ - कोट की गई	का	
	ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ - कोट न की गई	का ii	
	iii कुल (का + का ii)		का iii
	ख लघुकालिक विनिधान		
	i साधारण शेयर	ख i	
	ii अधिमानी शेयर	ख ii	
	iii डिबेन्चर	ख iii	
	iv कुल (ख i + ख ii + ख iii)		biv
	ग कुल विनिधान (का iii + ख iv)		2c
3	चालू आस्ति ऋण और अग्रिम		
	a चालू आस्तियाँ		
	i सूचियाँ		
	क भंडार, रसायन और पैकिंग सामग्री	i क	
	ख कच्चा माल	i ख	
	ग प्रक्रियागत में स्टॉक	i ग	
	घ तैयार माल/व्यवसाय किया गया माल	i घ	
	ङ कुल (i क + i ख + i ग + i घ)		i ङ
	ii विविध देनदार		
	क छह मास से अधिक	ii क	
	ख अन्य	ii ख	
	ग कुल (ii क + ii ख)		ii ग
	iii नकदी और बैंक अतिशेष		
	क हाथ में नकदी	iii क	
	ख बैंक में अतिशेष	iii ख	
	ग कुल (iii क + iii ख)		iii ग
	iv अन्य चालू आस्तियाँ		का iv
	v कुल चालू आस्तियाँ (i ङ + ii ग + iii ग + का iv)		क v
	ख ऋण और अग्रिम		
	i समनुषंगी कंपनियों को ऋण	ख i	
	ii नकद में या वस्तु में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त करने योग्य मूल्य के लिए	ख ii	
	iii निक्षेप	ख iii	
	iv राजस्व प्राधिकरणों आदिके पास अतिशेष	ख iv	
	v कुल (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)		ख v
	ग कुल (क v + ख v)		3 ग
	घ चालू दायित्व और उपबंध		
	i चालू दायित्व		
	क विविध लेनदार	iA	
	ख पट्टाकृत आस्तियों के लिए दायित्व	iB	
	ग असंदत लाभांश	iC	
	घ असंदत परिपक्व डिबेन्चर	iD	
	ङ असंदत सांग धन	iE	
	च उपरोक्त प्रोद्युक्त ब्याज	iF	
	छ ऋण पर प्रोद्युक्त किंतु शोध्य नहीं ब्याज	iG	
	ज कुल (i क + i ख + i ग + i घ + i ङ + i च + i छ)		i ज
	ii उपबंध		

	क आयकर के लिए उपबंध	ii क	
	ख अनुबन्गी लाभ कर के लिए उपबंध	ii ख	
	ग धन कर के लिए उपबंध	ii ग	
	घ छुट्टी भुनाने/अधिवारिकी/उपदान के लिए उपबंध	ii घ	
	ङ अन्य उपबंध	ii ङ	
	च प्रस्तावित लाभांश	ii च	
	छ लाभांश पर कर	ii छ	
	ज योग (ii क + ii ख + ii ग + ii घ + ii ङ + ii च + ii छ)	ii ज	
	iii कुल (i ज + ii ज)	घiii	
	ड शुद्ध वास्तु आस्ति (3ग - घiii)	3 ड	
4	क प्रकीर्ण व्यय, जो अपलिखित या सन्तुष्टि नहीं किया गया	4 क	
	ख आरम्भित कर आस्ति	4ख	
	ग लाभ हानि लेखा	4 ग	
	घ कुल (4 क + 4 ख + 4 ग)	4घ	
5	कुल, विधियों का उपयोग (1 ड + 2 ग + 3 ङ + 4घ)	5	

भाग क लाभ और हानि

सांभलिक कारबार का पूर्व वर्ष 2007-08 के लिए लाभ हानि लेखा

(उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुसरण किया जाता है मद 1 से 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरे)

1	कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)	1	
2	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर		
	क संघ उत्पाद शुल्क	2क	
	ख सेवा कर	2ख	
	ग मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
	घ कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
	ङ प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (1क+1ख+1ग+1घ)	2ङ	
3	अन्य आय		
	क किरावा	3क	
	ख कमीशन	3ख	
	ग लाभांश	3ग	
	घ व्याज	3घ	
	ङ विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ	
	च ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिवृत्ति संभाव्यता कर के लिए प्रभाय प्रतिवृत्तियां हैं	3च	
	छ अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ	
	ज करेसी उत्तर-प्रश्न पर लाभ	3ज	
	झ कृषि आय	3झ	
	ञ कोई अन्य आय	3ञ	
	ट अन्य आय का योग [(i) से (x)]	3ट	
4	बंद स्टॉक	4	
5	लाभ-हानि लेख में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)	5	
6	आरम्भिक स्टॉक	6	
7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)	7	
8	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संवत्त या संदेय शुल्क और कर		
	क सीमा शुल्क	8क	
	ख प्रति शुल्क	8ख	
	ग विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
	घ संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
	ङ सेवा कर	8ङ	
	च मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च	
	छ कोई अन्य कर, संवत्त या संदेय	8छ	

ज	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)	8ज	
9	भाड़ा	9	
10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग	10	
11	विद्युत और ईंधन	11	
12	किराया	12	
13	भवन की मरम्मत	13	
14	मशीनरी की मरम्मत	14	
15	कर्मचारियों को प्रतिकर		
	क वेतन और मजदूरी	15क	
	ख बोनस	15ख	
	ग भिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग	
	घ कुट्टी नफ़्दीकरण	15घ	
	ङ कुट्टी यात्रा फायदा	15ङ	
	च अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च	
	छ मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ	
	ज मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज	
	झ किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ	
	ञ कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपभोग किया गया है	15ञ	
	ट संवत् और संदेय अनुबंधी फायदा कर	15ट	
	ठ कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)	15ठ	
16	बीमा		
	क भिकित्सा बीमा	16क	
	ख जीवन बीमा	16ख	
	ग प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग	
	घ अन्य बीमा	16घ	
	ङ बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृद्ध कल्याण व्यय	17	
18	मनोरंजन	18	
19	सत्कार	19	
20	सम्मेलन	20	
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञान से विन्)	21	
22	विज्ञापन	22	
23	कमीशन	23	
24	होटल, बोर्डिंग और वासा	24	
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय	25	
26	वाहन खर्च	26	
27	टेलीफोन व्यय	27	
28	अतिथि गृह व्यय	28	
29	कलस व्यय	29	
30	उत्सव समारोह व्यय	30	
31	छात्रवृत्ति	31	
32	दान	32	
33	संदान	33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संवत् या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	क संघ उत्पाद शुल्क	34क	
	ख सेवा कर	34ख	
	ग मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग	
	घ उपकर	34घ	
	ङ कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ	
	च संवत् या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च	

35	लेखा परीक्षा शुल्क	35	
36	अन्य व्यय	36	
37	कुलित भ्रम	37	
38	कुलित और संकास्यद भ्रमों के लिए उपबंध	38	
39	अन्य उपबंध	39	
40	भ्याज, अवकाश और करों से पूर्व लाभ $[5 - (6+7+8+9) + 14+15+16+17+33+34+35 + 38]$	40	
41	भ्याज	41	
42	अवकाश	42	
43	कर पूर्व लाभ (40-41-42)	43	
44	घाटे कर के लिए उपबंध	44	
45	अनुबंधी लाभ कर के लिए उपबंध	45	
46	आस्थित कर के लिए उपबंध	46	
47	कर पश्चात् लाभ (42 - 43 - 44 - 45)	47	
48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	48	
49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (46+ 47)	49	
50	विनियोग		
	क आरक्षित और अधिशेष में अंतरण	50 क	
	ख प्रस्तावित लाभभांश	50 ख	
	ग लाभभांश पर कर	50 ग	
	घ कोई अन्य विनियोग	50 घ	
	ङ कुल (50 क + 50 ख + 50 ग + 50 घ)	50 ङ	
51	तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (49 - 50ङ)	51	

भाग III—अन्य जानकारी अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दावी न होने की दशा में वैकल्पिक)

1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(निर्दिष्ट करें) ☒ ☐ वाणिज्य ☐ नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(निर्दिष्ट करें) ☒ हाँ ☐ नहीं
3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3
4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
	क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
	ग कच्चा स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हाँ तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	☐
	घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो:	
	क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
	ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख
	ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
	घ आय की कोई अन्य मद	5घ
	ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
	च लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	धारा 36 के अधीन नामजूर सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकसित रकम:	
	क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बाँमा के लिए संवत् प्रीमियम	6क
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संवत् प्रीमियम	6ख
	ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संवत् कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी	
	घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संवत् भ्याज की कोई रकम	6घ
	ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ

ब	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ब	
छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ	
ज	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
झ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ	
ञ	भूत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
ट	भूत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
ठ	किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम	6ठ	
ड	कर्मचारियों की बीध परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड	
ढ	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
ण	कोई अन्य अनुज्ञेय	6ण	
त	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	
ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
ग	तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ	
च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)	7झ	
8	अ धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेख में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ii) और धारा 40 (क)(iii) के अन्तर्गत अनुज्ञेय रकम		
ख	तिष्ठति संव्यवहार कर के रूप में रकम	अख	
ग	अनुबंधी लाभ कर के रूप में संवत् रकम	अग	
घ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अघ	
ङ	घनकर के रूप में संवत् रकम	अङ	
च	किसी भागीदार या सदस्य को संवत् ब्याज, पेंशन, बोनस, कमीशन या परिसन्धि की रकम	अच	
छ	कोई अन्य अनुज्ञेय	अछ	
ज	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अछ का योग)	8अज	
आ	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	8आ	
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें		
क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संवत् रकमें	9क	
ख	धारा 40(3) के अधीन एकाउन्ट पेई शेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से धिन्न संवत् रकम-100% अनुज्ञेय	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, निवर्तक के रूप में निर्धारित द्वारा संवत् कोई राशि	9घ	
ङ	कोई अन्य अनुज्ञेय	9ङ	
च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम	9च	
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	

ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
घ	किसी लोक वितीय संस्था या राज्य वितीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
च	कुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10घ का योग)	10छ	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
घ	किसी लोक वितीय संस्था या राज्य वितीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
च	कुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	
छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)	11छ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्येक की रकम		
क	संच उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	कोई अन्य कर	12घ	
ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)	12ङ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभाव्य लाभ की कोई रकम	14	
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	

मात्रात्मक ब्यौरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक जिसमें धारा 44कख के अधीन दायी नहीं है)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क) व्यवसायगत संस्था की दशा में		
	1 आरंभिक स्टाक	1	
	2 पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
	3 पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
	4 अंतिम स्टाक	4	
	5 कमी/अधिक्य यदि कोई हो	5	
	(ख) विनिर्माण समुत्थान की दशा में		
	6 कच्चा माल		
	क आरंभिक स्टाक	6 क	
	ख पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
	ग पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
	घ पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
	ङ अंतिम स्टाक	6 ङ	
	च समाप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
	छ समाप्त का प्रतिशत	6 छ	
	ज कमी/अधिक्य यदि कोई हो	6 ज	
7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		

क	आरंभिक स्टाक	7 क
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख
ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ
ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ
च	कमी/अधिक्य यदि कोई हो	7 च

भाग 15 के अन्तर्गत आय

कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ती से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	1
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
i	सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची - बीपी का क33) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i
ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची - बीपी का क37) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2ii
iii	कुल (2i+2ii)	2iii
3	पूँजी अमिताम	
क	अल्पकालिक	
i	अल्पकालिक (111क के अधीन) (अनुसूची सीजी का ए7)	3 का
ii	अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची सीजी का ए8)	3 काii
iii	कुल अल्पकालिक (3क i+ 3काii) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 काiii
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का ख6) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 ख
ग	कुल पूँजी अमिताम (3 काiii + 3 ख)	3 ग
4	अन्य स्रोतों से आय	
क	घुबदीब के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (ओएस अनुसूची का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 क
ख	घुबदीब के स्वामित्व से (ओएस अनुसूची का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 ख
ग	कुल (क+ ख)	4 ग
5	कुल (1 + 2ग + 3ग + 4ग)	5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (सीवाईएलए अनुसूची का कुल 2वीआई 3वीआई तथा 4वीआई)	6
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6)	7
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रसारित हानि लाए(बीएफएलए अनुसूची का कुल 2वीआई 3वीआई तथा 4वीआई)	8
9	सकल कुल आय (7-8) अनुसूची बीएफएलए का 5 vii भी)	9
10	अध्याय 5-क के अधीन कटीतियां (अनुसूची 6क का ii)	10
11	कुल आय (9-10)	11
12	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4)	12
13	"सकल आय" (12 + 13)	13
14	चालू वर्ष की हानियां जो अग्रसारित की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग	14
15	धारा 115 अख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 6)	15

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कुल आय पर कर

1	धारा 15 अख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7)	1
2	भाग ख-डी की मद 11 कुल आय पर संदेय कर	
क	नामाली वसे पर कर	2 क
ख	विशेष वसे पर कर	2 ख
ग	भाग ख-टीआई (2क + ख) की मद 11 में कुल आय पर संदेय कर	2 ग
3	सकल संदेय कर (2ग और 1 की उच्चतर प्रविष्ट करें)	3
4	पूर्ववर्ष में धारा 115 में एकक के अधीन जमा संदेय कर (यदि 2ग 1 से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का साख)	4
5	धारा 115 एकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3-4)	5
6	धारा 86ड के अधीन रिबेट (अनुसूची एसटीटीआर का 4)	6
7	अतिशेष कर संदेय (5-6)	7

देय कर	8	7 पर अधिमार्ग	8	
	9	(7 + 8) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर	9	
	10	सकल का दायित्व (7 + 8 + 9)	10	
	11	कर अनुसूची		
		क धारा 90	11	
		ख धारा 91	11	
		ग कुल (11क + 11ख)	11क	
	12	शुद्ध कर दायित्व (10-11क)	12	
	13	संश्लेष ब्याज		
		क विवरणी देने में चूक के लिए (धारा 234क)	13	
		ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए (धारा 234ख)	13	
		ग अग्रिम कर आरम्भन के लिए	13 ग	
		घ कुल संश्लेष ब्याज (13क+13ख+13ग)	13	
	14	सकल दायित्व (12 + 13 घ)	14	
	15	संवत्त कर		
		क अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	15 क	
		ख टीडीएस (अनुसूची टीडीएस 2 का स्तंभ 8)	15 ख	
		ग टीसीएस (अनुसूची टीसीएस 2 का स्तंभ 8)	15 ग	
		घ स्वयं निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	15 घ	
		ङ कुल संवत्त कर (15क+15ख+15ग + 15घ)	15क	
	16	संश्लेष रकम (यदि 14 15क से अधिक है) तो शून्य प्रविष्ट करे	16	
	17	प्रतिदाय (यदि 15क 14 से अधिक है) अनुसूची बीए बैंक लेखा ब्यारे में	17	

भाग-ग

अनुबंधी फायदा और अनुबंधी फायदों की संगणना

अनुबंधी फायदा और अनुबंधी फायदों की संगणना	1	अनुबंधी फायदों का मूल्य		
		क पहली तिमाही के लिए	1 क	
		ख दूसरी तिमाही के लिए	1ख	
		ग तीसरी तिमाही के लिए	1ग	
		घ चौथी तिमाही के लिए	1घ	
		ङ कुल अनुबंधी फायदा (1क + 1ख + 1ग + 1घ) (अनुसूची -घख का 24 iv)	1ङ	
	2	संश्लेष अनुबंधी फायदा कर [1ङ का 30%]	2	
	3	2 पर अधिमार्ग	3	
	4	(2 + 3) पर शिक्षा उपकर	4	
	5	कुल अनुबंधी फायदा कर दायित्व (2 + 3 + 4)	5	
	6	संश्लेष ब्याज		
		क अग्रिम कर में संश्लेष के व्यतिक्रम लिए (धारा 115अग (3))	6 क	
		ख विवरणी प्रस्तुत करने की व्यतिक्रम के लिए (धारा 115 बट)	6ख	
		ग कुल संश्लेष ब्याज	6 ग	
	7	सकल दायित्व (5 + 6 ग)	7	
	8	संवत्त ब्याज		
		क अग्रिम अनुबंधी फायदाकर (एक बीटी अनुसूची से))	8 क	
		ख स्व निर्धारण कर पर (एक बीटी अनुसूची से)	8 ख	
		ग कुल संवत्त कर (8क + 8ख)	8क	
	9	संश्लेष कर (यदि 8ग से 7 अधिक हो तो प्रविष्ट करे अन्यथा 0 प्रविष्ट करे)	9	
	10	प्रतिदाय (प्रविष्ट करे यदि 7 8ग से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करे)	10	

ख	किराए का रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	3 ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3 ग	
घ	कुल (3 ख + 3 ग)	3 घ	
ङ	शेष (3 क - 3 घ)		3 ङ
च	3 ङ का 30%	3 च	
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3 छ	
ज	कुल (3 च + 3 छ)		3 ज
झ	गृह संपत्ति 3 से आय (3 ङ - 3 ज)		3 झ
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय		
क	धारा 25क / कक के अधीन वसूल किया गया किराया	4 क	
ख	30 % कटौती के पश्चात् धारा 25क / कक के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया किराया	4 ख	
ग	कुल (4 क + 4ख + 1 झ + 2 झ + 3 झ)	4 ग	

असाधारण - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सदृष्ट के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		1
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क में और एन का मद 43)		
2	1 में सम्मिलित सदृष्ट के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2	
3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदे	3	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खखक/44खखग/अध्याय 12घ/पहले अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क छूट प्राप्त आय	5क	
	ख फार्म/फार्मों से आय का अंश	5ख	
	ग व्यक्ति संगम/व्यक्ति निकाय से आय का अंश	5ग	
	घ	5घ	
6	बकाया (1-2-3-4-5घ)		6
7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8	
9	कुल (7+8)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10
11	8 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अयव्ययण		11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अयव्ययण		
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i	
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आयकर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii	
	iii कुल (12i + 12ii)		12iii
13	अयव्ययण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10+11-12iii)		13
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6ख)	14	
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ख)	15	
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ख)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/33कखक/33कखग/72क/80जजघ/80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फार्मों से जिससे कंपनी भागीदार हैं, देतन, कमीशन बोनस और ब्याज सम्मिलित हैं)	23	
24	कुल (14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)		24
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची ईएसआर का मद vii (4))	26	

27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	28	
29	धारा 35 का के अधीन कटीती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम	29 क	
	ख अनुज्ञेय कटीती	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकसित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटीती	29ग	
30		30	
31	कुल (25 + 26 + 27 + 28 + 29ग + 30)		
32	आय (13 + 24 - 31)	31	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -	32	
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कघ	33ii	
	iii धारा 44कघ	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44घ	33	
	ix धारा 44घक	33ix	
	x अध्याय-XII-घ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
	xii कुल(33i से 33xi)		
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटीती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)	33xii	
35	निम्नलिखित के अधीन कटीतियां-	34	
	i 10क (अनुसूची 10क का घ)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का घ)	35iii	
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का घ)	35iv	
	v योग		
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34-35v)	35v	
37	निबन्ध 7क, 7ख या 7ग लागू करने के परवाते कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (निबन्ध 7क, 7ख या 7ग लागू करने के परवाते विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 36 में है)	अ 37	
अ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38	
39	धारा 28 to 44घ के अनुसार परिवर्धन	39	
40	धारा 28 to 44घ के अनुसार कटीतियां	40	
41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	अ 41	
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभाव आय (अ 37 + अ 41)		
मुख्य इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें			

अनुसूची डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण	1	आवृत्ति का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
			15	30	40	50	60	80	100
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
2	दर (%)								
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को लिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली								
6	3 - 4 - 5								
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य								

सूच्यकीकरण							
9	7-8						
10	पूर्व दर पर 6 का अवक्षयण						
11	आखी दर पर 9 का अवक्षयण						
12	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 4 पर						
13	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 7 पर						
14	कुल अवक्षयण * (10 + 11 + 12 + 13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5+8-3-4-7-15)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य (6+9-14)						

अन्य आस्तियों का अवक्षयण

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	आस्तियों का प्रकार	मूल्य			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	दर (%)	5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अपलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिसपर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना (3 + 4 - 5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन की कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9	रकम जिसपर आखी दर से अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना (7 - 8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
10	पूर्व दर पर 6 में अवक्षयण						
11	आखी दर पर 9 में अवक्षयण						
12	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 4 पर						
13	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 7 पर						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लोक नहीं रहता)						
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य * (6 + 9 - 14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

आस्ति पर अवक्षयण सारांश

आस्ति पर अवक्षयण का सार	1	संवत् और मशीनरी		
	क	15 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14i)	1 क	
	ख	30 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1 ख	
	ग	40 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1 ग	
	घ	50 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1 घ	
	ङ	60 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14v)	1 ङ	
	च	80 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1 च	
	छ	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1 छ	
	ज	संवत् और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	1 ज	
	2	भवन		
	क	5 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14i)	2 क	
	ख	10 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14ii)	2 ख	
	ग	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14ii)	2 ग	
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण	2 घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 14iv)	3	
	4	अमूल्य आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)	4	
	5	मोत (अनुसूची डीओए - 14vi)	5	
	6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)	6	

अवक्षयी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाम

आस्ति पर अवक्षयण का सार	1	संवत् और मशीनरी		
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1ग	
	घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1घ	
	ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1ङ	
	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च	
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ	
	ज	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)		1ज
	2	भवन		
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16i)	2क	
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख	
	ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग	
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
	3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 16iv)	3	

4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 16v)	4
5	घेत (अनुसूची डीओए - 16vi)	5
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)	6

अनुसूची - 3 धारा 35 के अधीन कटीती

क्र. सं.	धारा (1)	लाम और हानि लेखा में विकसित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुव्यय कटीती (3)	लाम और हानि लेखा में विकसित रकम से अधिक अनुव्यय कटीती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अज)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची - 3 पूँजी अभिलाम

अ अल्पकालिक पूँजी अभिलाम			
1	मंदी में विक्रय से		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
ग	मंदी में विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाम	1ग	
घ	धारा 54ख/54घ/54छ/54झ के अधीन कटीतियां	1घ	
ड	मंदी में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (1ग-1घ)		1ड
2	ऐसे अनिवार्य के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है		2
3	अन्य आस्तियों से		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां		
	i अर्जन की लागत	खi	
	ii सुधार की लागत	खii	
	iii अंतरण पर व्यय	खiii	
	iv योग (i + ii + iii)	खiv	
ग	अवशिष्ट (3क-खiv)	3ग	
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि, यदि कोई (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ	
घ	धारा 54ख/54घ/54छ/54झ के अधीन छूट	3ड	
ड	अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (3ग-3घ-3ड)		3ड
4	अवश्या आस्तियों पर गाने गए अल्पकालिक पूँजी अभिलाम		4
5	धारा 54ख/54घ/54छ/54झ के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलाम के रूप में मानी गई रकमें		5
6	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (1ड+2+3ड+4+5)		6
7	6 में सम्मिलित किया गया धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलाम		7
8	धारा 111क में निर्दिष्ट राशि अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (6-7)		अ8
आ दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम			
1	मंदी में विक्रय से		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
ग	मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम	1ग	
घ	धारा 54ख/54घ/54छ/ 54झ/54झ के अधीन छूट	1घ	
ड	मंदी में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1ग-1घ)		1ड
2	ऐसे अनिवार्य के मामले में आस्तियों, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है		2
3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विक्रय का प्रयोग नहीं किया गया है		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां		
	i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi	
	ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii	
	iii अंतरण पर व्यय	खiii	

	iv	योग (ख + खii + खiii)	खiv	
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग	
	घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च के अधीन कटौती	3घ	
	ड	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ड
4	ऐसी अन्य आस्तियाँ जिनके लिए धारा 112(1) के परतक के अधीन विकल्प का प्रयोग			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
	iv	योग (ख + खii + खiii)	खiv	
	ग	अतिशेष (4क-खiv)	4ग	
	घ	धारा 54ख/54घ/ 54ङ/54च/54छ के अधीन भूट	4घ	
	ड	शुद्ध अतिशेष		4ड
5	धारा 50ख/54घ/54ङ/54च/54छ के अधीन दीर्घकालिक पूँजी अभिलेख के रूप में मानी गई रकम			
				5
6	कुल दीर्घकालिक पूँजी अभिलेख (1ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 2+3ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 4ड (यदि हानि है तो शून्य लिखें) + 5)			
				आ6
7	“पूँजी अभिलेख” शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (आ6+आ6)			
				इ
8	पूँजी अभिलेख के प्रोद्भव/प्राप्ति के संबंध में सूचना			
1	तारीख	15/6 तक	16/6 से 15/9	16/12 से 15/3
2	दीर्घकालिक	(i)	(ii)	(iii)
3	अल्पकालिक			(iv)

अनुसूची ओएस अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	दौड़ के घोड़े (घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से विन्यत आय			
	क	लाभाना सकल	1क		
	ख	व्याज, सकल	1ख		
	ग	गरीबनरी संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग		
	घ	अन्य सकल	1घ		
	ड	योग (1क+1ख+1ग+1घ)			1ड
	च	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ			
	i	जय	चi		
	ii	अवशरण	चii		
	iii	योग	चiii		
	छ	अतिशेष (1ड-चiii)			1छ
2	लाटरी, वर्ग पहली, पहली लौटों आदि से जीत				2
3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से गिन) (यदि हानि है तो 1छ के लिए शून्य लिखें)				3
4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय				
	क	प्राप्तियाँ	4क		
	ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	4ख		
	ग	अतिशेष (2क - 2ख)			4ग
5	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि के अंक को अनुसूची ओएस में लें)				5

अनुसूची सीआईएनए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के त्वारे

क	सीधे/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से गिन) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (मुड़वाई हुई हानि से गिन) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय
			कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31,	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3,	
i	गृह संपत्ति		1	2	3	5 = 1-2-3-4
ii	कारबार (सट्टेबाजी) लाभ का संचयन					
iii	अल्पकालिक पूँजी अभिलेख					

iv	दीर्घकालिक अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित)					
vi	मुजरा की गई कुल हानि					
vii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय का विवरण

क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की हानियों का यदि कोई हो, मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे (अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत अवक्षरण का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (स्टेबलजी लाभ सहित)					
iii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ					
iv	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ)					
vi	अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग					
vii	योग का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + vi5)					

भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (ता/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	स्टेबलजी कारबार से हानि से भिन्न कारबार हानि	स्टेबलजी कारबार से हानि	अल्पकालिक पूँजी हानि	दीर्घकालिक पूँजी हानि	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)	अन्य स्रोतों से हानि (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से)
i	2000-01								
ii	2001-02								
iii	2002-03								
iv	2003-04								
v	2004-05								
vi	2005-06								
vii	2006-07								
viii	2007-08								
ix	पूर्व वर्षों की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन								
xi	2008-09 (चालू वर्ष की हानियाँ)								
xii	भावी वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि								

अनुसूची 1(a) के धारा 1(i) के अधीन कटौती

क्र. सं.	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पाकों में अवस्थित इकाइयों की बाबर कटौती	1(a)
i	उपक्रम संख्या 1	1(a)
ii	उपक्रम संख्या 2	1(a)
iii	उपक्रम संख्या 3	1(a)
iv	उपक्रम संख्या 4	1(a)
v	उपक्रम संख्या 5	1(a)

धारा 10क के

	योग (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ + 1 ङ)		1
2	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क उपक्रम संख्या 1	2क	
	ख उपक्रम संख्या 2	2ख	
	ग उपक्रम संख्या 3	2ग	
	घ योग (2 क + 2 ख + 2 ग)		2 घ
3	मुक्त व्यापार जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क उपक्रम संख्या 1	3क	
	ख उपक्रम संख्या 2	3ख	
	ग उपक्रम संख्या 3	3ग	
	घ योग (3 क + 3 ख + 3 ग)		3 घ
4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क उपक्रम संख्या 1	4क	
	ख उपक्रम संख्या 2	4ख	
	ग उपक्रम संख्या 3	4ग	
	घ योग (4 क + 4 ख + 4 ग)		4 घ
5	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क उपक्रम संख्या 1	5क	
	ख उपक्रम संख्या 2	5ख	
	ग उपक्रम संख्या 3	5ग	
	घ योग (5 क + 5 ख + 5 ग)		5 घ
6	(1 घ + 2 घ + 3 घ + 4 घ + 5 घ) का योग		6

	धारा 10कक के अधीन कटौती		
विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती			
क उपक्रम संख्या 1	5क		
ख उपक्रम संख्या 2	5ख		
ग उपक्रम संख्या 3	5ग		
घ योग (क + ख + ग)			घ

	धारा 10ख के अधीन कटौती		
शतप्रतिशत निर्यातानुमुख इकाइयों की बाबत कटौती			
क उपक्रम संख्या 1	क		
ख उपक्रम संख्या 2	ख		
ग उपक्रम संख्या 3	ग		
घ उपक्रम संख्या 4	घ		
ङ उपक्रम संख्या 5	ङ		
च योग (क + ख + ग + घ + ङ)			च

	धारा 10खक के अधीन कटौती		
हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती			
क उपक्रम संख्या 1	क		
ख उपक्रम संख्या 2	ख		
ग उपक्रम संख्या 3	ग		
घ उपक्रम संख्या 4	घ		
ङ उपक्रम संख्या 5	ङ		
च योग (क + ख + ग + घ + ङ)			च

	धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के व्योरे		
अ	शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र संदान		
	संदानकर्ता का नाम और पता		संदान की रकम
i		अi	
ii		अii	
iii		अiii	
iv		अiv	
v		अv	
vi	योग	अvi	
आ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है 50% कटौती के लिए पात्र संदान		
	संदानकर्ता का नाम और पता		संदान की रकम

i		आi	
ii		आii	
iii		आiii	
iv		आiv	
v		आv	
vi	योग	आvi	
इ	जहां सदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है 50% कटौती के लिए पात्र सदान		
	सदानकर्ता का नाम और पता	सदानकर्ता का स्थायी लेखा संख्या	सदान की रकम
i			इi
ii			इii

धारा 80झक के अधीन कटौतियां			
धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख
	ग	धारा 80झक (4) (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोनों में)	ग
	घ	धारा 80झक (4) (iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (शक्ति)	घ
	ङ	धारा 80झक (4) (v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन सयंत्र का पुनरुज्जीवन और धारा 80 झक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपकरण के लाभों के संबंध में कटौती पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ
	च	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)	च

धारा 80झख के अधीन कटौतियां			
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झख (3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क
	ख	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ख
	ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ग
	घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (5))	घ
	ङ	बहुविध धियटरे की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (7 क))	ङ
	च	कन्वेशन केंद्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (7ख))	च
	छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (8 क))	छ
	ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ करता है की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (9))	ज
	झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो आवसीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख (10))	झ
	ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80झख (11))	ञ
	ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (11))	ट
	ठ	खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80झख (11 क))	ठ
	ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और अनुसंधान में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80झख (11 ख))	ड
	ढ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियां (क से ङ का योग)	ढ

धारा 80अ. या 80आ. के अधीन कटीतियां		धारा 80अ या 80आ. के अधीन कटीतियां	
धारा 80 अ या 80 आ के अधीन कटीतियां	1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	1
	2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	2
	3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	3
	4	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटीतियां	
		क असम	4क
		ख अरुणाचल प्रदेश	4ख
		ग मणिपुर	4ग
		घ मिजोरम	4घ
		ङ मेघालय	4ङ
		च नागालैंड	4च
		छ त्रिपुरा	4छ
	5	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटीतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4 ज
धारा 80अ के अधीन कुल कटीतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)			5

अध्याय VI-A के अधीन कटीतियां		अध्याय VI-A के अधीन कटीतियां	
कुल कटीतियां	क	80अ	छ 80अ (अनुसूची 80 अख का द)
	ख	80आ	ज 80 आ/अ. (अनुसूची 80 अग/अ. का 5)
	ग	80अख	झ 80 अघ/अजकक
	घ	80अग	ञ 80अजकक
	ङ	80अक (अनुसूची 80 अक का च)	ट 80 अक
	च	80 अख (अनुसूची 80 अक ख)	
	प	अध्याय VI-क के अधीन कुल कटीतियां (क से ट का कुल योग)	प

धारा 88 के अधीन रिबेट		धारा 88 के अधीन रिबेट	
एसटीटी रिबेट	1	"कारबार या वृत्ति से अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभावं और सकल योग से प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभावं कर संव्यवहार से उद्भूत आय शामिल	
	i	सट्टेबाजी से मित्त कारबार से इस अनुसूची में शामिल है	ii
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से इस अनुसूची में शामिल है	iii
	iii	योग	iii
	2	उपरोक्त (1) (iii) पर कर और दर पर संदेय कर ।	2
एसटीटी रिबेट	3	प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभावं संव्यवहार पर वर्ष के दौरान संदेय प्रतिभूति संव्यवहार कर जो वर्ष के दौरान कारबार में शामिल किया गया है ।	3
	4	धारा 80अ के अधीन रिबेट (2) और (3) से कम	4

विशेष दर पर आय आय-कर से डाक (कृपया: ... और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9(iii)) देखें)											
क्रम सं.	धातु कोड	☐	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्रम सं.	धातु कोड	☐	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
विशेष दर	1	☐				6		☐			
	2	☐				7		☐			
	3	☐				8		☐			
	4	☐				9		☐			
	5	☐				10		☐			

11	खण्ड (11) से 10 में
----	---------------------

शुद्ध प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय	1
2	लाभांश से आय	2
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलेख जिन पर प्रतिभूति संयवहार कर का संचाय किया गया है	3
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
5	फर्म के लाभ में शेयर/एओपी इत्यादि	5
6	अन्य	6
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 8 के भाग 2 और 3 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हाँ तो, 1 लिखें, यदि नहीं तो 2 लिखें)	☐
2	क्या ऊपर सूच्य 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियाँ, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षेप की संगणना करने के लिए वरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समस्त अधिकारित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है? (यदि हाँ तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)	☐
3	लाभ और हानि लेखा में क्या दर्शाया गया है पूर्ण लाभ (..... अनुसूची 8 की एंज एन की मद प्रविष्ट करें)	3
4	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकसित है)	
	क संवत् या संदेय आय कर या उसका उपबन्ध (एफबीटी से भिन्न)	4क
	ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख
	ग अभिवर्धित न किए गए दावित्व के लिए उपबन्ध	4ग
	घ समनुपेक्षी कंपनियों की हानियों के लिए उपबन्ध	4घ
	ङ संवत् या प्रस्तावित लाभांश	4ङ
	च धारा 10, 10क, 11 और 12 के अधीन शुद्ध प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन शुद्ध प्राप्त आय को छोड़कर शुद्ध प्राप्त आय)	4च
	छ आरक्षितों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षेपण	4छ
	ज अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित)	4ज
	झ कुल कटौतियाँ (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ+4ज)	4झ
5	कटौतियाँ	
	क आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबन्ध	5क
	ख धारा 10, 10क, 11 और 12 के अधीन आय धारा 10 (38) के अधीन शुद्ध प्राप्त आय को छोड़कर शुद्ध प्राप्त आय	5ख
	ग पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकाली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षेपण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	5ग
	घ अप्रतीत की गई हानि या अवक्षेपण जो भी कम हो	5घ
	ङ कृष्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	5ङ
	च अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित)	5च
	छ कुल कटौतियाँ (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च)	5छ
6	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (3+ 4झ - 5छ)	6
7	धारा 115अख के अधीन संदेय कर [(6) का 10%]	7

धारा 115अख के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष में 2007-08 में धारा 115अख के अधीन कर	1
2	निर्धारण वर्ष में 2007-08 में अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन कर	2
3	परचायतनी निर्धारण वर्ष में जमा के लिए उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2007-08 के बाबत एमएटी दाखिल की रकम [(1-2 लिखें यदि 2 से बड़ा है अन्यथा शून्य लिखें)] निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए एमएटी प्रत्यय को अंग्रेजित किया जाए	3
4	निर्धारण वर्ष में 2006-07 में धारा 115अख के अधीन कर	4
5	निर्धारण वर्ष में 2006-07 में अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन कर	5

6	कर जिसके संबंध में उसे बाबत जमा उपबंध है (5-4) प्रविष्ट करें यदि 5.4 से अधिक है, अथवा शून्य प्रविष्ट करें)	6	
7	धारा 115अक के अधीन जमा कर की रकम [3.6 का लिए प्रविष्ट करें]	7	
8	निर्धारण वर्ष 2006-07 की बाबत एमएटी रोक जो परस्मात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के प्रत्येक के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 3.6 से अधिक अनुपस्था शून्य प्रविष्ट करें)	8	
9	निर्धारण वर्ष 2006-07 की बाबत एमएटी रोक जो परस्मात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के प्रत्येक के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 4.5 से अधिक अनुपस्था शून्य प्रविष्ट करें)	9	

अनुषंगी फायदे देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और ब्याज की संगणना

1	देशी कंपनियों के किसी लाभार्थ लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा की तारीख	1	
2	पूर्व वर्ष के दौरान वितरित या संदाय लाभार्थ की वर्ष		
	क अंतिम (दर %)	2क	
	ख अंतिम (दर %)	2ख	
3	घोषित, वितरित या संदाय लाभार्थ की रकम	3	
4	घोषित लाभार्थ पर संदेय कर वितरित या संदाय		
	क धारा 115थ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर	4क	
	ख 4क पर अविचार	4ख	
	ग शिक्षा उपकर (4क + 4ख)	4ग	
	घ कुल संदेय कर (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
5	धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज	5	
6	अतिरिक्त आयकर + संदेय ब्याज (4घ + 5)	6	
7	संदाय कर और ब्याज (अनुसूची 5 डीडीटीपी का योग)	7	
8	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (6-7)	8	

अनुषंगी फायदे अनुषंगी फायदे के मूल्य की संगणना के संबंध में सूचना

1	क्या आप भारत में और भारत के बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं यदि हा, तो 1 लिखें और नहीं तो 2 लिखें	☐
2	यदि 1 का उत्तर हा है तो क्या आपने भारतीय और विदेश के प्रचालन के लिए पृथक् लेखा बहियां अनुरक्षित की है ? यदि हा तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें ।	☐
3	कर्मचारियों की कुल संख्या	
	क भारत में कर्मचारियों की संख्या	3 क
	ख भारत के बाहर कर्मचारियों की संख्या	3 ख
	ग कर्मचारियों की कुल संख्या	3 ग

अनुषंगी फायदे अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	व्यय की रकम/ मूल्य	प्रतिशत	अनुषंगी फायदे का मूल्य iv=ii x iii/ 100
	i	ii	iii	iv
1	कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राइवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदाय या उससे वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी ।	1ii	100	1iv
2	किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या इक्विटी शेयर [धारा 115बजा (1)(घ) कर्मचारी द्वारा संदाय या से वसूल रकम और विहित तारीख पर उचित बाजार मूल्य के मध्य अंतर] और कर्मचारियों के लिए किसी अनुमोदित अधिवार्षिका निधि के लिए अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक हो)	2ii	100	2iv
3	मनोरंजन	3ii	20	3iv
4	क 4ख या 4ग या 4घ में निर्दिष्ट कारखार से भिन्न कारखार में सत्कार	कii	20	कiv
	ख होटल कारखार में सत्कार	खii	5	खiv
	ग शायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारखार में सत्कार	गii	5	गiv
	घ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारखार में सत्कार	घii	5	घiv
5	सम्मेलन (किसी सम्मेलन में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की फीस से भिन्न)	5ii	20	5iv
6	प्रचार सहित विक्रय सवर्धन (धारा 115बख (2)(घ) के परवृत्त में निर्दिष्ट किसी प्रचार व्यय से भिन्न)	6ii	20	6iv

7	कर्मचारी कल्याण	7ii	20	7iv
8	क 8ख, 8ग या 8घ में निर्दिष्ट से भिन्न कारबार में वाहन	कii	20	कiv
	ख सन्निर्माण कारबार में वाहन ।	खii	5	खiv
	ग औषध के निर्माण और उत्पादन के कारबार में वाहन ।	गii	5	गiv
	घ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण और उत्पादन के कारबार में वाहन ।	घii	5	घiv
9	क 9ख, 9ग, 9घ या 9ङ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	कii	20	कiv
	ख औषध निर्माण और उत्पादन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	खii	5	खiv
	ग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	गii	5	गiv
	घ वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	घii	5	घiv
	ङ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन का कारबार होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	ङii	5	ङiv
10	क मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अवक्षयण और उनके अवक्षय की रकम ।	कii	20	कiv
	ख मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुक्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।	खii	5	खiv
11	वायुयान द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुक्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।	11ii	20	11iv
12	पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है) उपयोग ।	12ii	20	12iv
13	प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुक्षण ।	13ii	20	13iv
14	उत्सव समारोह ।	14ii	50	14iv
15	स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग ।	15ii	50	15iv
16	किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग ।	16ii	50	16iv
17	दान ।	17ii	50	17iv
18	छात्रवृत्तियां ।	18ii	50	18iv
19	पर्यटन और यात्राएं (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं) ।	19ii	5	19iv
20	अनुबंधी फायदों का मूल्य (स्तंभ iv का योग)			20iv
21	यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा । के '1' का उत्तर नहीं है तो अनुबंधी फायदे का मूल्य (20 iv के समान होगा ।)			21iv
22	यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा । के '2' का उत्तर हां है तो अनुबंधी फायदे का मूल्य (20 iv के समान होगा)			22iv
23	यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा । के '2' का उत्तर नहीं है तो अनुबंधी फायदे का मूल्य (20 ivx अनुसूची-अनुबंधी फायदे । का 3क /अनुसूची - अनुबंधी फायदे । क 3ग)			23iv
24	अनुबंधी फायदे का मूल्य (स्थिति 21 iv या 22 iv या 23 iv)			24iv
यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा । के '2' का उत्तर हां है तो भारत में प्रचालन के लिए अनुरक्षित लेखा बहियों के आधार पर 1 ii से 19 ii में के अंक प्रविष्ट करें ।				

अतिरिक्त जानकारी

अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्त्रनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख /मास/वर्ष	चलान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
i					
ii					
iii					
iv					
v					
भाग ख के क्रम संख्यांक 15क और 15ख में अतिरिक्त कर और स्वतन्त्रनिर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें					

अनुसूची 2 कर		अन्य आय से खोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 क के अनुसार				
क्र. सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत रकम	संदाय/जमा की तारीख	खोत पर कटौती किया गया कर	(8) से रकम जिसका इस क के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
i						
ii						

अनुसूची टीसीएस		अन्य आय से खोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा प्ररूप 27घ के अनुसार				
क्र. सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती संख्यांक (टीएसएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/विकलित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/विकलित हुई	अधिभार और शिक्षा उपकर सहित संगृहित कर	वर्ष के दौरान (7) में से प्रत्येक के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

अनुसूची एसएमडी		अनुसूची फायदा कर के संदाय के ब्यौरे									
कर संदाय	क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	घातान का क्रम सं०			रकम (रु०)
	i										
	ii										
	iii										
	iv										
	v										

अनुसूची सीडीडीपी		वितरित लाभ पर कर के संदाय के ब्यौरे										
कर संदाय	क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड					निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	घातान का क्रम सं०			रकम (रु०)
	i											
	ii											
	iii											
	iv											
	v											

प्ररूप
आकृति 7

भारतीय आयकर विवरणी
(जिसमें सीमांत फायदे कर विवरणी भी है)
धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने
के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए जिनमें कंपनियां भी सम्मिलित हैं ।
[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]
(संबद्ध अनुदेश भी देखें)

निर्धारण वर्ष-

2008-09

भाग-क
साधारण

- स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)
- नाम (जैसा सृजन/गठन/निगमन/विरचना विलेख में वर्णित है)
- पता
(फ्लैट सं०/ द्वार/मकान सं०/ परिसर
मार्ग, अवस्थान)

पिन टेलीफोन
फैक्स, यदि कोई हो
- गठन की तारीख (दिन-मास-वर्ष) - - 5. प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखिए)
- ई-मेल आई डी:
- क्या पते में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ ☐ नहीं ☐
- धारा 12क(क) के अधीन और - - रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख
- यदि धारा 10 के अधीन छूट का दावा किया हो :
(i) खंड और उपखंड दर्शाएं
(ii) अधिसूचना/अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो - -
(iii) वैधता की अवधि - - से - -

10. क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कर के लिए दायी हैं? हाँ ☐ नहीं ☐
11. वार्ड /सर्किल/रेंज
12. निर्धारण वर्ष - 13. निवासीय प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखिए)
14. यदि अधिकारिता में परिवर्तन है तो पुराना वार्ड / सर्किल/ रेंज बताएं
15. वह धारा जिसके अधीन यह विवरणी फाइल की जा रही है आय की विवरणी सीमांत फायदों की विवरणी
(कृपया अनुदेश देखिए)
16. विवरणी मूल है ☐ या संशोधित ☐
- यदि संशोधित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख और -
17. क्या यह आपकी पहली विवरणी है? हाँ ☐ नहीं ☐

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

अभिस्वीकृति
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
पावती सं०.

तारीख

प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर
और मुद्रा

भाग ख
(क) कुल आय की संगणना

18. गृह संपत्ति - आय [अनुसूची- (च-1क)]	000	
19.(i) कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (च-1ख)]	000	
(ii) उपरोक्त(i) में सम्मिलित प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची- (ख-26(ii))]	000	
20. पूंजी अभिलाभ		
(क) अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) [(अनुसूची च-1ग(i))]	000	
(ख) अल्पकालिक (अन्य) [(अनुसूची च-1ग(ii))]	000	
(ग) दीर्घकालिक [(अनुसूची च-1ग(iii))]	000	
21. अन्य स्रोतों से आय [(अनुसूची च-1घ)]	000	
22. धारा 11 के अधीन समझी गई आय [(अनुसूची च-4(iv))]	000	
23. कुल [(18)+(19)+(20)+(21)+(22)]	000	
24. घटाएं : आय पर छूट [(अनुसूची च 3(viii))]	000	
25. धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय - [(अनुसूची -ख (34))]	000	
26. कुल आय [(23)-(24)+(25)]	000	
शब्दों में		

(ख) कुल आय पर करों की विवरणी

27. शुद्ध कृषि आय [(अनुसूची च-9)]	000	
28. कुल आय पर कर [(अनुसूची छ-2)]	000	
29. धारा 88ड के अधीन रिबेट [अनुसूची 7 (iii)]	000	
30. अधिभार [(अनुसूची छ-9)]	000	
31. शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है [(अनुसूची छ-11)]	000	

32. कर +अधिभार + शिक्षा उपकर [(अनुसूची छ-12]	000	
33. स्रोत पर काटा गया/संगृहीत कर [(अनुसूची छ-16ख]	000	
34. संदत्त अग्रिम कर [(अनुसूची छ-16क]	000	
35. संदत्त स्वतः निर्धारण कर [(अनुसूची छ-16ग]	000	
36. संदेय अतिशेष कर[(32)-(33)-(34)-(35)]	000	
37. धारा 234क/234ख/234ग के अधीन संदेय ब्याज [(अनुसूची छ-13]	000	
38. संदेय कर और ब्याज [(अनुसूची छ-18]	000	
39. शोध्य प्रतिदाय, यदि कोई हो [(अनुसूची छ-19]	000	

भाग -ग

सीमांत फायदों की संगणना और उस पर कर (यदि लागू हो)

1. पहली तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
2. दूसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
3. तीसरी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
4. चौथी तिमाही के लिए सीमांत फायदों का मूल्य	0000	
5. कुल सीमांत फायदों का मूल्य (अनुसूची- ड)	0000	
6. संदेय सीमांत फायदा कर [(5) का 30%]	0000	
7. (6) पर अधिभार	0000	
8. [(6)+(7)] पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	0000	
9. संदेय कुल सीमांत फायदा कर [(6)+(7)+(8)]	0000	
10. संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर (अनुसूची -ढ)	0000	
11. संदेय अतिशेष कर [(9)-(10)]	0000	

12. धारा 115बज के अधीन ब्याज 0000
13. धारा 115बट के अधीन ब्याज 0000
14. संदत्त स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची - ण) 0000
15. संदेय/प्रतिदेय अतिशेष कर [(11)+(12)+(13)-(14)] 0000

संलग्न दस्तावेजों/विवरणियों की संख्या

	वर्णन	अंकों में	शब्दों में		वर्णन	अंकों में	शब्दों में
क.	स्रोत पर काटा गया कर प्रमाणपत्र			च.	धारा 11(1) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए आवेदन		
ख.	प्ररूप सं० 10ख में संपरीक्षा रिपोर्ट			छ.	प्ररूप 10घख/10घग		
ग.	प्ररूप सं० 10खख में संपरीक्षा रिपोर्ट			ज.	आय/व्यय लेखा और तुलन पत्र		
घ.	धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट			झ.	अन्य		
ड.	धारा 11(2) के अधीन विकल्पों के प्रयोग के लिए प्ररूप सं० 10						

सत्यापन

मैं.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न अनुसूधियों, विवरणों, आदि में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष.....से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रभावी आय/अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

तारीख.....

स्थान.....

नाम और हस्ताक्षर

11. अतिशेष [(8)-(10)]
12. द्वारा 25क/और या 25कक के अधीन वर्ष में प्राप्त किया गया अप्राप्त किराया
13. (क) द्वारा 25ख के अधीन वर्ष में प्राप्त किराए के बकाए की रकम
- (ख) घटाए : द्वारा 25ख के अधीन अनुज्ञेय कटौती (प्राप्त बकाए किराए का 30%)
14. द्वारा 25ख के अधीन प्रभार्य आय [13(क)-13(ख)]
15. अतिशेष [(11)+(12)+(14)]
16. 15 का योग (एक से अधिक संपत्ति की दशा में, सभी पन्नों का योग दीजिए)
17. "गृह संपत्ति से आय" (16) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय

अनुसूची ख : कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ

(I) साधारण

1. कारबार या वृत्ति की प्रकृति : विनिर्माण व्यापार
 विनिर्माण-सह-व्यापार सेवाएं वृत्ति अन्य
2. शाखाओं की संख्या पूरे पता/पते के साथ सूची संलग्न करें

3. लेखा पद्धति वाणिज्यिक नकद
4. क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं
5. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए

6. स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति.....
7. क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ? हां नहीं

8. यदि हां, तो परिवर्तन का विवरण दीजिए.....
9. क्या आप धारा 44क के अनुसार लेख का अनुक्षण करने के लिए दायी हैं? हां ☐ नहीं ☐
10. क्या आप धारा 44ख(क)/(ख) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं? हां ☐ नहीं ☐
11. क्या आप धारा 44 कघ/44कड/44कच के साथ पठित धारा 44कख(ग) के अधीन कर संपरीक्षा के लिए दायी हैं? हां ☐ नहीं ☐
12. यदि 'मद 10 या मद 11' का उत्तर हां है तो क्या आपने विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेख संपरीक्षित कराए हैं? हां ☐ नहीं ☐
13. यदि हां, तो क्या संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो रसीद सं० और उसको फाइल करने की तारीख दीजिए (प्रति भी संलग्न करें)

(II) सटूटे वाले कारबार से भिन्न कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

(यदि आप एक से अधिक कारबार या वृत्ति रखते हैं और पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं तो प्रत्येक ऐसे कारबार या वृत्ति के लिए संगणना देते हुए पृथक पन्ना (पन्ने) संलग्न करें और विभिन्न मदों के सामने संकलित अंक दर्शाएं)

14. समेकित लाभ और हानि लेख के अनुसार शुद्ध लाभ/या हानि

15. जोड़े : लेख की पद्धति और/या स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण समायोजन

धारा 44कघ/44कड/44कच के अंतर्गत आय वाले निर्धारितियों के लिए :-

16 (i) जोड़े/घटाएं- कारबार(कारबारों) की लाभ/हानि, जिसमें (जिनमें) नीचे दर्शायी गई धारा के अधीन मद 14 में, यदि उपरोक्त किसी मद 9, 11, 12 या 13 का उत्तर 'नहीं' है, सम्मिलित है।

(क). धारा 44कघ के लिए

(ख). धारा 44कड के लिए

(ग). धारा 44कच के लिए

योग

(ii) यदि आप धारा 44कघ में वर्णित सिविल सन्निर्माण के कारबार या सिविल सन्निर्माण के लिए श्रम प्रदाय में लगे थे :

(क). सकल प्राप्तियां

(ख). सकल प्राप्ति की 8% की दर से शुद्ध लाभ

(ग). जोड़े : उपरोक्त (i)(क) और (ii)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो

(iii) यदि आप दस साल वाहनो से अनधिक के स्वामी थे और धारा 44कड में वर्णित ऐसे वाहनो के चलाये, भाड़े या पट्टे पर लेने के कारबार में लगे थे :

	यानो/वाहनो की सं०	महीनो की सं० जिसके दौरान वे स्वामित्व में थे	धारा 44कड के अधीन समझा गया लाभ
(क) भारी माल यान			
(ख) अन्य माल वाहन		योग	

(ग). जोड़ें : उपरोक्त (i)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो और धारा 44कड के अधीन उपरोक्त समझे गए लाभ के रूप में अवधारित रकम

000

(iv) यदि आप किसी माल के फुटकर व्यापार के कारबार या वाणिज्या में लगे थे, जिसके कारण धारा 44कड में यथा वर्णित कुल व्यापारवर्त चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं था :

(क). ऐसे कारबार के कारण कुल व्यापारवर्त

000

(ख). व्यापारवर्त के 5% की दर से समझा गया लाभ

000

(ग). जोड़ें : 16 (i)(ग) और 16(iv)(ख) में वर्णित रकमों में से जो भी अधिक हो

000

17. घटाएं- मद 14 में सम्मिलित निम्नलिखित के कारण छूट प्राप्त आय की रकम :

(i) धारा 10(2क) के अधीन छूट प्राप्त फर्म (फर्मों) से आय का अंश

000

(ii) एओपी/ बीओआई से आय का अंश

000

(iii) कर से छूट प्राप्त कोई अन्य आय (धारा विनिर्दिष्ट करें)

000

18. क्या धारा 10क/10ख/10ग लागू है ?

हां

☐

नहीं

☐

यदि हां, तो क्या आपने धारा 10क(8)/10ख(8)/10ग(6) के अधीन विहित घोषणा का फाइल किया जाना चयनित किया है ?

☐

नहीं

☐

यदि नहीं, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें

धारा	वर्ष सं०	कुल आय में दावा की गई कटौती योग्य रकम/सम्मिलित न की जाने वाली रकम

घटाएं : उपरोक्त मद 18 के अनुसार रकम

552

19. जोड़ें : ऐसी आय जो धारा 28(ii) से 28(vi) में विनिर्दिष्ट की गई है, किन्तु मद 14 में सम्मिलित नहीं है

560

(III) सट्टे के कारबार से आय की संगणना

27. सट्टे से लाभ/हानि

000

28. जोड़ें/घटाएं : शुद्ध कानूनी समायोजन

000

29. सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ

000

30. घटाएं : अग्रणीत सट्टा हानि, यदि कोई हो

000

31. सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ और अभिलाभ

000

32. लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [26(i)+(31)]
(मद 31 में ऋणात्मक अंक पर विचार न किया जाए)

599

(IV) धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना

33. उपक्रम के कारबार लेख में यथादर्शित आय [निर्देश धारा 11(4)]

000

34. धारा 11(4)(32)-(33) के अधीन कर प्रभार्य आय

000

अनुसूची ग : पूंजी अभिलाभ

एक से अधिक अल्पकालिक/दीर्घकालिक आस्ति की दशा में पृथक पन्ने विवरणी के साथ प्रयुक्त और संलग्न किए जा सकेंगे। संकलित अंक मद सं० 12 के सामने दर्शाए जा सकेंगे।

क. अल्पकालिक आस्ति

1. पन्नों की संख्या 000 (केवल एक से अधिक आस्ति की दशा में)

2. अंतर्गत की गई आस्ति की विशिष्टियां

000

3. अर्जन की तारीख (दिन-माह-वर्ष)

000

4. अंतरण की तारीख (दिन-माह-वर्ष)

000

5. अंतरण की रीति

000

6. प्रोद्भूत या प्राप्त पूर्ण मूल्य प्रतिफल

000

ख. दीर्घकालिक आस्ति

000

000

0000

0000

000

000

7. धारा 48 के अधीन कटौतियां

(i) अर्जन की लागत 000 000

(ii) अभिवृद्धि की लागत 000 000

(iii) अंतरण पर व्यय 0000 000

8. उपरोक्त 7 का योग 000 000

9. अतिशेष [(6)-(8)] 000 000

10. धारा 11(1क) के अधीन छूट 000 000

11. अतिशेष [(9)-(10)] 000 000

(कृपया धारा 111क/अन्य के अधीन

अल्पकालिक विनिर्दिष्ट करें)

12. 11 का योग (एक से अधिक 000 000

अल्प/दीर्घकालिक आस्ति की दशा
में, सभी पन्नों का योग दीजिए)

13. अवकायण के योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (धारा 50) 000

14. "पूजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय

क. अल्पकालिक [(12)+(13)] 000 ख. दीर्घकालिक (12) 000

ग. धारा 111क के अधीन 000 घ. अल्पकालिक 000
अल्पकालिक, जो 14क में सम्मिलित है (अन्य) (14क-14ग)

अनुसूची घ : अन्य स्रोतों से आय

1. घुड़दौड़ (घुड़दौड़ों) के स्वामित्व से भिन्न आय :-

(क) लाभांश 000

(ख) ब्याज, सकल 000

(ग) मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराया संबंधी आय 000

(घ) स्वैच्छिक अभिदायों/दानों जिनमें समग्र के लिए दान सम्मिलित है 000

(ङ) अन्य	000	
2. उपरोक्त 1 का योग	000	
3. धारा 57 के अधीन कटौतियां		
(क) अवक्षयण		
(ख)		
(ग)		
4. उपरोक्त 3 का योग	000	
5. अतिशेष [(2)-(4)]	000	
6. (क) घुड़दौड़ों के घोड़े रखने और उनके रखरखाव से आय	000	
(ख) धारा 57 के अधीन कटौतियां	000	
7. दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व या उनके रखरखाव से अतिशेष आय [6(क)-6(ख)]	000	
8. लाटरियों, पहेलियों, घुड़दौड़ों, आदि से जीतना (धारा 115खख देखिए)	000	
9. "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय [(5)+(7)+(8)]	000	

[मद 7 में ऋणात्मक अंक, यदि कोई हो तो यहां पर विचार न किया जाए]

अनुसूची ड : धारा 71 के अधीन चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के विवरण

यह अनुसूची केवल तभी भरें यदि किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध मुजरे के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से किसी से हानि होती है।
अन्यथा लागू नहीं लिखें

1. गृह संपत्ति से उद्भूत हानि की रकम [मद क-17 देखिए]	0000	
2. कारबार से हानि की रकम (सट्टे से हानि को छोड़कर) [मद ख-26 देखिए]	0000	
3. अन्य स्रोतों से हानि की रकम (घुड़दौड़ों से हानि को छोड़कर) [मद घ-5 देखिए]	0000	

10. ऐसी आय जो उपरोक्त मद 8 के अंतर्गत विशेष दरों/ अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य है

आय की प्रकृति	यह धारा जिसके अधीन प्रभार्य है	आय की रकम	कर की दर	कर की रकम

11. सामान्य दरों पर प्रभार्य कुल आय

000

12. विशेष दरों पर प्रभार्य कुल आय

000

13. धारा 115खखग के अधीन अनाम दानों का 30 प्रतिशत कर

000

14. अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य कुल आय

000

अनुसूची छ- कुल आय पर करों विवरणी

1. कुल आय पर कर

(क) विशेष दरों पर

000

(ख) सामान्य दरों पर

000

(ग) अधिकतम सीमांत दर पर

000

(घ) धारा 115खखग के अधीन

000

2. कुल आय पर कर [1(क)+1(ख)+1(ग) + घ]

000

3. धारा 115अख के अधीन संदेय योग्य कर (अनुसूची ज-6)

000

4. 3 और 4 का उच्चतर

000

5. पूर्ववर्ती वर्षों में संदेय कर को धारा 115 अकक के अधीन जमा (अनुसूची अक-6)

000

6. धारा 115अकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(4)-(5)] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. धारा 88ड के अधीन रिबेट
- (i) प्रतिभूति संव्यवहार कर को प्रभार्य संव्यवहारों से लाभ और अभिलाभ पर कर [अनुसूची ख की मद 26(ii)] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- (ii) संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम (प्रत्येक 10घख/10घग संलग्न करें) ; 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- (iii) धारा 88ड के अधीन रिबेट [उपरोक्त (i)/(ii) के नीचे] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. धारा 88ड के अधीन कर में से रिबेट घटाएं [(6)-(7)(iii)] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9. अधिभार [उपरोक्त (8) पर] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10. कर + अधिभार [(8) + (9)] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11. शिक्षा उपकर [उपरोक्त (10) पर] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12. कर + अधिभार + शिक्षा उपकर [(10) + (11)] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13. निम्नलिखित के लिए ब्याज जोड़ें :
- (क) धारा 234क के अधीन दिवराणी विलंब से फाइल करने पर 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- (ख) धारा 234ख के अधीन अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम पर 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- (ग) धारा 234ग के अधीन अग्रिम कर के आस्थगन पर 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14. उपरोक्त मद 9 का योग 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15. संदेय कर और ब्याज का योग [(12) + (13)] 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16. पूर्व संदत्त कर
- क. अग्रिम कर

अनुसूची ज- साधारण जानकारी

1. पते में परिवर्तन की दशा में, कृपया नया पता दें (टिक लगाएं) :

क. निवास

11

या स्व. कार्यालय

111

फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०

[illegible]

परिसरों/मदन/ग्राम

[illegible]

मार्ग/स्ट्रीट/लेन/डाकघर

[illegible]

क्षेत्र/परिक्षेत्र/तालुक/उपखंड

કેત્ર/પાસકેત્ર/તેલુકે/ઉપકેડ

कस्बा/शहर/जिला

कस्बा/शहर/जिला							

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

[illegible]

पिन्

--	--	--	--	--	--

2. बैंक खाते की विशिष्टियां (प्रतिदाय मामलों में आझापक)

बैंक का नाम	एमआईसीआर कोड (9 अंकीय)	बैंक शाखा का पता	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	खाता संख्या	ईसीएस (हां/नहीं)

3. दावाकृत छूट प्राप्त आय :

आय की प्रकृति	रकम (रु० में)	दावे के लिए कारण

4. यदि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या (iiiकड) या (vi) या (viक) के अधीन छूट का दावा किया जाता है तो संकलित वार्षिक प्राप्तियों की रकम का विवरण दीजिए

--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची अक : धारा 115अक के अधीन जमा कर

क्रम सं.	मद	निर्धारण वर्ष 2006-07	निर्धारण वर्ष 2007-08
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	धारा 115अक के अधीन कर		
2.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर		
3.	115अक के अधीन अधिक कर		
		[1(iii)-2(iii) यदि 1(iii) 2(iii) से अधिक है]	[1(iv)-2(iv) यदि 1(iv) 2(iv) से अधिक है]
4.	अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिक कर		
			[2(iv)-1(iv) यदि 2(iv) 1(iv) से अधिक है]
5.	धारा 115अक के अधीन जमा कर 3(iii) और 4(viii) से अन्यून		

**अनुसूची ट- न्यास या संस्था की सभी निधियों के, जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन थी,
विनिधान को दर्शाते हुए विवरणी**

भाग क- धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/निक्षेपों के बारे में (पृथक पन्ने पर दिए जा सकेंगे यदि जगह समुचित नहीं है)

भाग ख- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान [उस संबंध में जिसमें धारा 13(3) में किसी सारवान हित को रखने वाले व्यक्ति निर्दिष्ट है]

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध कोई कंपनी है तो शेयरों की सं० और	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ 4 की रकम पूर्ववर्ष के दौरान संबद्ध की पूंजी का 5 प्रतिशत से अधिक है- हां/नहीं लिखें
1	2	3	4	5	6

5. पूर्ण या धार्मिक या शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों/क्रियाकलापों की प्रकृति का विवरण दीजिए

6. क्या आप धन-कर के लिए निर्धारित हैं ?

हां ☐ नहीं ☐

(यदि हां, तो इस विवरणी के साथ धन-कर विवरणी फाइल करें)

अनुसूची अ- धारा 11(2) के अर्थान्तर्गत पिछले ग्यारह वर्ष में अर्थात् चालू निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष और दस पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में संचित/पृथक की गई रकमों का ब्यौरा

संचयन का वर्ष	संचित रकम	क्या धारा 11(5) के उपबंधों के अनुसार विनिधान की गई है	संचयन का प्रयोजन	वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम	उपयोजन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थातगत समझी गई आय की रकम

अनुसूची अ- धारा 115अख के अधीन खाता लाभ

- पूर्व सुसंगत वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में यथादर्शित शुद्ध लाभ-धारा 115अख(2)
- समायोजन (यदि कोई हो)-धारा 115अख(2)के पहले और दूसरे परंतुक द्वारा
- समायोजन -धारा 115अख(2) के स्पष्टीकरण द्वारा

भद की प्रकृति	जोड़ें	घटाएं

- कुल समायोजन [(2)+(3)]
- अतिशेष खाता लाभ [(1)+(4)]
- खाता लाभ का 10%

		योग			
--	--	-----	--	--	--

भाग ग- अन्य विनिधान, जैसे पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के अंतिम दिन थे

क्र०सं०	संबद्ध का नाम और पता	जहां संबद्ध कोई कंपनी है, तो धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान की सं० और अभिहित मूल्य
1	2	3	4

**अनुसूची ठ - संस्था के न्यास के
कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों)/न्यासी(न्यासियों)/प्रबंधक(प्रबंधकों), आदि
के संबंध में विशिष्टियों की विवरणी**

- कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों) का(के) नाम और पता (पते), यदि जीवित है(हैं)
- वह तारीख जिसको न्यास सृजित किया गया था या संस्था स्थापित की गई थी या कंपनी निगमित की गई थी
- पूर्ववर्ष (पूर्ववर्षों) के दौरान उस(उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) का(के) नाम जो न्यासी/प्रबंधक था (थे)
- उस व्यक्ति का (उन व्यक्तियों के) नाम जिसने/जिन्होंने धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में सारवान अभिदाय किया है।
- नातेदार का (नातेदारों के), कर्ता का (कर्ताओं के) संप्रवर्तक(संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) का(के) नाम और सारवान अभिदाय (अभिदायों) और जहां कोई ऐसा कर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान अभिदायकर्ता हिन्दू अविमक्त कुटुम्ब का है तो कुटुम्ब के सदस्यों और उनके नातेदारों के नाम भी दीजिए

अनुसूची ठक (राजनैतिक दल के मामले में)

- क्या लेखा पुस्तक रखी जाती है ? हां नहीं
- क्या बीस हजार रुपए से अधिक प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख रखा जाता है (व्यक्ति का नाम और पता जिसने ऐसा अभिदाय किया है हां नहीं
- क्या लेखा की संपरीक्षा की जाती है, यदि हां, तो संपरीक्षा की तारीख हां नहीं
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा(3) के अधीन रिपोर्ट जमा की गई है हां नहीं

अनुसूची ४ : सीमांत फायदों का मूल्य (यदि लागू हो)

व्यय की प्रकृति (i)	व्यय की रकम/मूल्य (ii)	प्रतिशत (iii)	सीमांत फायदे का मूल्य (iv)=(ii)x (iii) + 100
1. कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या निर्गत साधारण सेयर [घास 115बख (1)(घ)][कर्मचारी से वसूल की गई या उसके द्वारा संदत्त रकम और विनिहित तारीख को उचित बाजार मूल्य के बीच का अंतर] और कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राइवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदत्त या वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी।)		100	
2. कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अखिवार्शिकी निधि में किया गया अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक नहीं)		100	
3. मनोरंजन		20	
4.(क) (4ख), (4ग) और (4घ) में निर्दिष्ट कारबार से अन्यथा कारबार में सत्कार		20	
4(ख) होटल कारबार में सत्कार		5	
4(ग) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वाहक के कारबार में सत्कार		5	
4(घ) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वाहक के कारबार में सत्कार		5	

5. सम्मेलन (किसी सम्मेलन में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की फीस से अन्यथा) 20
6. प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (घास 115बख (2)(घ) के परसुक में निर्दिष्ट किसी प्रचार व्यय के सिवाय) 20
7. कर्मचारी कल्याण । 20
- 8(क). 8(ख), 8(ग) और 8(घ) में निर्दिष्ट से भिन्न कारबार में वाहन 20
- 8 (ख) सन्निर्माण कारबार में वाहन । 5
- 8 (ग) सन्निर्माण कारबार या भेषजीय उत्पादन में वाहन । 5
- 8 (घ) सन्निर्माण कारबार या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादन में वाहन । 5
- 9(क). 9(ख), 9(ग), 9(घ) या 9(ङ) में विनिर्दिष्ट कारोबार से भिन्न कारबार में होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग । 20
- 9 (ख) विनिर्माण कारबार या उत्पादन कारबार या भेषजीय औषधियों के उत्पादन से भिन्न कारबार में होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग । 5
- 9 (ग) विनिर्माण कारबार या उत्पादन कारबार या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उत्पादन से भिन्न कारबार में होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग । 5

9 (घ) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वाहक का कारबार होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग।

5

0000

9 (ङ) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वाहक का कारबार होटल, आवास और भोजन की सुविधाओं का उपयोग।

5

0000

10 (क) मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुक्षण और उनके अवक्षयण की रकम।

20

0000

10 (ख) मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुक्षण और उनके अवक्षयण की रकम।

5

0000

11. वायुयान द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुक्षण और उनके अवक्षयण की रकम।

20

0000

12. पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है) उपयोग।

20

0000

13. प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुक्षण।

20

0000

14. उत्सव समारोह।

50

0000

15. स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग। 50 0000
16. किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग। 50 0000
17. दान। 50 0000
18. छत्रवृत्तियां। 50 0000
19. दौरा और यात्राएं (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं) 5 0000
20. सीमांत फायदों का मूल्य। [स्तंभ (iv) का योग] 0000

21. (क) क्या आप भारत में और बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें

0000

(ख) यदि हां, तो क्या आप भारत और विदेश के प्रचालनों के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित करते हैं ? यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें

0000

22. यदि कर्मचारी भारत से बाहर नहीं, सीमांत फायदों का मूल्य

0000

23. यदि कुछ कर्मचारी भारत से बाहर हैं और भारतीय विदेश प्रचालन के लिए पृथक लेखा पुस्तकें अनुरक्षित की जाएंगी (ऐसी लेखा पुस्तकों के आधार पर अंकों में (1-19) के आधार पर भरी जाएंगी), सीमांत फायदों का मूल्य

0000

(i) भारत में कर्मचारियों की संख्या

0000 (ii) भारत में और भारत से बाहर दोनों
कर्मचारियों की कुल संख्या0000 (iii) कर योग्य सीमांत फायदों का मूल्य
(स्तंभ 20 X स्तंभ 23(ग)(i)+स्तंभ
23(ग)(ii))0000

अनुसूची - ङ अग्रिम अनुषंगी फायदा कर (यदि लागू हो)

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (रु०)

किस्त की तारीख	पहली तिमाही के लिए	दूसरी तिमाही के लिए	तीसरी तिमाही के लिए	चौथी तिमाही के लिए
	0000	0000	0000	0000
रकम				

कुल संदत्त अग्रिम सीमांत फायदा कर

0000

अनुसूची ञ स्वतःनिर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर (यदि लागू हो)

बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बी एस आर कोड (7 अंकीय)	जमा की तारीख (दिन मास वर्ष)	चालान की क्रम सं०	रकम (रु०)

कुल स्वतः निर्धारण पर संदत्त सीमांत फायदा कर

0000

प्रकार आकृति-8

भारतीय आय-कर विवरणी
[अनुप्राणी फार्मों के लिए विवरणी]
(कूपरा आय-कर विवरण 1982 का नियम 12 देखें)
(संलग्न अनुदेशों को भी देखें)

निर्धारण वर्ष

2 0 0 8 - 0 9

साधारण

वैयक्तिक सूचना	नाम		स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)	
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है, यदि हाँ तो कूपरा पुनर्नाम का संलेख करें			
	फैक्ट/ ट्राय/ व्यापक संख्या	परिसर/ भवन/ भ्रम का नाम	गठन / निगमन की तारीख	
	सड़क / गली/ डाकघर	क्षेत्र / प्रास्थिति	तारीख/ मास / वर्ष	
फाइल करने की प्रस्थिति	कस्बा/ नगर/ जिला	राज्य	पिन कोड	प्रास्थिति
	ई-मेल का पता		एस.टी.डी.कोड टेलीफोन नं.	यदि फर्म है तो 1 लिखें, यदि कोई सार्वजनिक कंपनी है तो 6 लिखें और यदि प्राइवेट कंपनी है तो 7 लिखें (जैसा कंपनी अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित है), और यदि अन्य हैं तो 8 लिखें। यदि घरेलू कंपनी है तो ✓ करें।
	निर्धारण अधिकारी का नाम		क्षेत्र कोड	
	क्षेत्र कोड		एओ प्रकार	
क्षेत्र कोड		एओ सं.	फाइल की गई विवरणी धारा के अधीन। (कोड प्रविष्ट करें।) [अनुदेश सं.- 9(i) देखें]	
क्या विवरणी मूल या पुनरीक्षित है? (चिह्नित करें) ☐ मूल ☐ पुनरीक्षित				
यदि पुनरीक्षित है तो मासिक संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (तारीख/ मास / वर्ष)				
निवासी प्रस्थिति (चिह्नित करें) ☐ निवासी ☐ अनिवासी ☐ निवासी किंतु साधारण तौर पर अनिवासी				
अनिवासी की दस्ता में क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं				
क्या ☐ (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो निम्नलिखित सूचनाएं दें -				
(क)	प्रतिनिधि का नाम			
(ख)	प्रतिनिधि का पता			
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)			
संपरीक्षा सूचना	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखा रखने को बाध्य हैं? (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं			
	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा को बाध्य हैं? (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं			
	(क)	संपरीक्षक का नाम		
	(ख)	संपरीक्षक का पता		
	(ग)	संपरीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(घ)	संपरीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (पैन)		
(ङ)	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख			

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

पावती सं.

तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

भाग ख

अनुबंधी फायदों की संगणना और अनुबंधी फायदा कर

अनुबंधी फायदों और अनुबंधी फायदा कर की संगणना	1	अनुबंधी फायदों का मूल्य		
	क	पहली तिमाही के लिए	1 क	
	ख	दूसरी तिमाही के लिए	1 ख	
	ग	तीसरी तिमाही के लिए	1 ग	
	घ	चौथी तिमाही के लिए	1 घ	
	ङ	कुल अनुबंधी फायदे (1 क + 1 ख + 1 ग + 1 घ) / अनुसूची - अनुबंधी फायदे का 24 iv भी)		1 ङ
	2	संदेय अनुबंधी फायदा कर [1 ङ का 30 प्रतिशत]		2
	3	2 पर अधिभार		3
	4	(2+3) पर शिक्षा उपकर		4
	5	कुल अनुबंधी फायदा कर वायित्व (2+3 + 4)		5
अनुबंधी फायदों और अनुबंधी फायदा कर की संगणना	6	संदेय व्याज		
	क	अग्रिम कर के संदाय में व्यक्तिगत के लिए (बारा 115बज (3))	6 क	
	ख	विवरण प्रस्तुत करने में व्यक्तिगत के लिए (बारा 115बज)	6 ख	
	ग	कुल संदेय व्याज	6 ग	
	7	संकलित वायित्व (5 + 6 ग)		7
	8	संदेय कर		
	क	अग्रिम अनुबंधी फायदा कर (अनुसूची अग्रिम अनुबंधी फायदा कर के लिए)	8 क	
	ख	सर्व निवारण के आधार पर (अनुसूची अग्रिम अनुबंधी फायदा कर के लिए)	8 ख	
	ग	कुल संदेय कर (8 क + 8 ख)	8 ग	
	9	संदेय कर (प्रतिष्ठ कर यदि 7 8 ग से अधिक है अथवा 0)		9
अनुबंधी फायदों और अनुबंधी फायदा कर की संगणना	10	प्रतिदाय (प्रतिष्ठ कर यदि 7 8 ग से अधिक है अथवा 0) अनुसूची - कख में बैंक खाते का ब्यौरा भी दें		10
	11	अपना बैंक खाता संख्या प्रतिष्ठ कर (प्रतिदायी की दशा में आजापक है)		
	12	क्या आप अपना प्रतिदाय ☐ बैंक द्वारा, या ☐ सीधे अपने बैंक खाते में जमा करावा कर प्राप्त करना चाहते हैं ? (जहां लागू हो वहां ☒ लगाएं)		
	13	आपके बैंक खाते में सीधा जमा करने की दशा में अतिरिक्त ब्यौरा दें।		
	एनआईसीआर कोड			
	खाते का प्रकार (जहां लागू हो वहां ☒ लगाएं) ☐ बचत ☐ चालू			

ई फाइलिंग की पावती सं.

तारीख (तारीख / मास / वर्ष)

सत्यापन

मैं, (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस विवरणी और इसके साथ सलग्न अनुसूचियों, में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्जित कुल आय/अनुबंधी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप से कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-09 से सुसंगत पूर्व वर्ष के आय-कर के लिए प्रमाण्य आय/अनुबंधी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं..... की हसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने के लिए और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

यहां हस्ताक्षर करें

तारीख

स्थान

अनुबंधी फायदों के मूल्य की संगणना के संबंध में सूचना

1	क्या आप भारत में और भारत के बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं यदि हां, तो 1 लिखें और नहीं तो 2 लिखें	☐
2	यदि 1 का उत्तर हां है तो क्या आपने भारतीय और विदेश के प्रचालन के लिए पृथक् लेखा बहिर्वा अनुमति	☐
	की है ? यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें ।	
3	कर्मचारियों की कुल संख्या	
	क भारत में कर्मचारियों की संख्या	3 क
	ख भारत के बाहर कर्मचारियों की संख्या	3 ख
	ग कर्मचारियों की कुल संख्या	3 ग

अनुबंधी फायदों के मूल्य की संगणना

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	व्यय की रकम/ मूल्य	प्रतिशत	अनुबंधी फायदे का मूल्य iv=ii x iii/ 100
	i	ii	iii	iv
1	कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राईवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी ।	1ii	100	1iv
2	कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या निर्गत साधारण शेयर [धारा 15बख(घ)] [कर्मचारी से वसूल की गई या उसके द्वारा संदत्त रकम के विनिर्दिष्ट की शरीख को उचित बाजार मूल्य के बीच का अंतर] और कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में किया गया अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक हो)	2ii	100	2iv
3	मनोरंजन	3ii	20	3iv
4	क 4ख या 4ग या 4घ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में सत्कार	कii	20	कiv
	ख होटल कारबार में सत्कार	खii	5	खiv
	ग वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में सत्कार	गii	5	गiv
	घ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में सत्कार	घii	5	घiv
5	सम्मेलन (किसी सम्मेलन में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की फीस से भिन्न)	5ii	20	5iv
6	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (धारा 115बख (2)(घ) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी प्रचार व्यय से भिन्न)	6ii	20	6iv
7	कर्मचारी कल्याण	7ii	20	7iv
8	क 8ख, 8ग या 8घ में निर्दिष्ट से भिन्न कारबार में वाहन	कii	20	कiv
	ख सन्निर्माण कारबार में वहन ।	खii	5	खiv
	ग औषध के निर्माण और उत्पादन के कारबार में वाहन ।	गii	5	गiv
	घ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण और उत्पादन के कारबार में वाहन।	घii	5	घiv
9	क 9ख, 9ग, 9घ या 9ठ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	कii	20	कiv
	ख औषध निर्माण और उत्पादन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग।	खii	5	खiv
	ग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	गii	5	गiv
	घ वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	घii	5	घiv
	क पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग ।	कii	5	कiv
10	क मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अवक्षयण और उनके अवक्षय की रकम ।	कii	20	कiv
	ख मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुस्क्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।	खii	5	खiv
11	वायुयान द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुस्क्षण और उनके अवक्षयण की रकम ।	11ii	20	11iv

12	पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से विन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है) उपयोग ।	12iii	20	12iv
13	प्रसिद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वास सुविधा से विन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुक्षण ।	13iii	20	13iv
14	उत्सव समारोह ।	1	50	14iv
15	स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग ।	1	50	15iv
16	किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग ।	1	50	16iv
17	घन ।	1	50	17iv
18	छात्रवृत्तियाँ ।	1	50	18iv
19	पर्यटन और यात्राएं (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं)	1	5	19iv
20	अनुबंधी फायदों का मूल्य (स्तर iv का योग)			20iv
21	यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा I के '1' का उत्तर नहीं है तो अनुबंधी फायदे का मूल्य (20 iv के समान होगा)			21iv
22	यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा I के '2' का उत्तर हाँ है तो अनुबंधी फायदे का मूल्य (20 iv के समान होगा)			22iv
23	यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा I के '2' का उत्तर नहीं है तो अनुबंधी फायदे का मूल्य (20 ivx अनुसूची-अनुबंधी फायदे I का डक /अनुसूची - अनुबंधी फायदे I क डग)			23iv
24	अनुबंधी फायदे का मूल्य (अवस्थिति 21 iv या 22 iv या 23 iv)			24iv

यदि अनुसूची - अनुबंधी फायदा I के '2' का उत्तर हाँ है तो भारत में प्रचालन के लिए अनुरक्षित सेवा कठिनों के अन्तर्गत 1 ii से 19ii में के अंक प्रविष्ट करें ।

अनुबंधी फायदे का संदाय के बारे में

क्र.सं.	बैंक और सहायक का नाम	बीएसआर कोड	जमा करने की (तारीख/ मास/ वर्ष)	वालात की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
i					
ii					
iii					
iv					
v					

टिप्पण :- भाग ख के 8क और 8ख में V के कुल को लिखें ।

क्र.सं.	आयकर विवरणी/अनुबंधी फायदों के आंकड़े प्रकट आर्टिकल -1,आईटीआर -2,आईटीआर -3, आईटीआर -4, आईटीआर -5,आईटीआर -6,आईटीआर -8 में बिना अंकीय हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारंपरिक किए गए हैं। [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेश भी देखिए)	विवरण वर्ष					
		2	0	0	8	0	9

व्यक्तिगत जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारंपरिक की तारीख	नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)	
	पते/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/गांव का नाम	प्रत्येक सं. जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारंपरिक किया गया है (कोड करें) ☐
	मार्ग/माली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान	☐
	नगर/शहर/जिला	राज्य	लिंग (कोड करें) ☐
निर्धारण अधिकारी का पदनाम (वार्ड/सर्किल)			
ई फाइलिंग शक्ती संख्या			
तारीख (दिन/मास/वर्ष)		/ /	
आय की संगणना और उसपर कर	1	सकल कुल आय	1
	2	अध्याय के अधीन कटौती-VI-क	2
	3	कुल आय	3
	3 क.	चाय वर्ष की हानि (यदि कोई हो)	
	4	कुल संदेय कर	4
	5	संदेय ब्याज	5
	6	कुल कर और संदेय ब्याज	6
	7	कर दान	
	क	अग्रिम कर	7 क
	ख	चौत पर कर कटौती	7 ख
ग	TCS	7 ग	
घ	स्वनिर्धारण कर	7 घ	
ङ	कुल संवत् कर (7क+7ख+7ग+7घ)	7 ङ	
8	संदेय कर (6-7घ)	8	
9	प्रतिदाय (7ङ-6)	9	
अनुबंधी फायदों की संगणना और उनपर कर	10	अनुबंधी फायदे का मूल्य	10
	11	अनुबंधी फायदा दाखिल	11
	12	कुल संदेय ब्याज	12
	13	कुल कर और संदेय ब्याज	13
	14	संवत् कर	
	क	अग्रिम कर	14 क
	ख	स्वनिर्धारण कर	14 ख
	ग	कुल संवत् कर (14क+14ख)	14 ग
	15	संदेय कर (13-14ग)	15
	16	प्रतिदाय	16

सत्यापन

(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री श्री.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी जो मेरे द्वारा उम्मीदवार पावती संख्या से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारंपरिक की गई है, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दक्षिण कुल आय/अनुबंधी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियाँ सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2008-09 से सुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रभावी अनुबंधी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं.....की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

यहां हस्ताक्षर करें →

तारीख

स्थान

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार किया गया है तो निम्नानुसार और ब्योरा दें:		
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
जबल कार्यलय प्रयोग के लिए		प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर और मुहर
सोद सं		
संख		

[अधिसूचना सं. 50/2008/फा. सं. 142/02/2008-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव
टिप्पण : मूल नियम संख्यांक 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आयकर (पॉचवॉ संशोधन) नियम, 2008 अधिसूचना सं. का.आ.547 तारीख 24.03.2008 के द्वारा किया गया था।

भारत सरकार

आय-कर विभाग
अभिलेखीकृति

निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए प्रारूप सं. आय-कर विवरणी में श्री से आय-कर की विवरणी और/ या अनुबंधी फायदों की विवरणी धन्यवाद सहित प्राप्त की । जिसकी विशिष्टियां निम्नलिखित हैं ।

व्यक्ति जानकारी	नाम		स्थायी संचा सं. (पैन)	
	प्लेट / द्वार / ब्लाक सं०		परिसर/मकान / गांव का नाम	
	मार्ग/गली/खकघर		क्षेत्र/ अवस्थान	
	नगर/ शहर/ जिला		राज्य	
निर्धारण अधिकारी का पदनाम (वार्ड/ सर्किल)				
आय की संगणना और उस पर कर	1	सकल कुल आय	1	
	2	अव्याय के अधीन कटौती-VI- क	2	
	3	कुल आय	3	
	3क.	चालू वर्ष की हानि (यदि कोई हो)		
	4	कुल संदेय कर	4	
	5	संदेय ब्याज	5	
	6	कुल कर और संदेय ब्याज	6	
	7	संदत कर दान		
		क अग्रिम कर	7 क	
		ख चोत पर कर कटौती	7 ख	
		ग टीसीएस	7 ग	
		घ स्वनिर्धारण कर	7 घ	
		ङ कुल संदत कर (7क+7ख+7ग+7घ)	7 ङ	
	8	संदेय कर (6-7घ)	8	
	9	प्रतिदाय (7ङ-6)	9	
	अनुबंधी फायदों की संगणना और उनपर कर	10	अनुबंधी फायदे का मूल्य	10
11		कुल अनुबंधी फायदा कर दायित्व	11	
12		कुल संदेय ब्याज	12	
13		कुल कर और संदेय ब्याज	13	
14		संदत कर		
		क अग्रिम कर	14 क	
		ख स्वनिर्धारण कर	14 ख	
		ग कुल संदत कर (14क+14ख)	14 ग	
15		संदेय कर (13-14ग)	15	
16		प्रतिदाय (14ग - 13)	16	

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
संसीद सं
संरीख

प्राप्त करने वाले पदधारियों के हस्ताक्षर और मुहर